53वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014 - 2015

मॉयल
MOIL

मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

इस्पात को शक्तिशाली बनाये

श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, इस्पात एवं खान को लाभांश चेक देते हुए

श्री देवेंद्र फड़नवीस, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र को लाभांश चेक देते हुए

श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश को लाभांश चेक देते हुए

दृष्टिकोण एवं लक्ष्य उद्देश्य

मॉयल MOIL

मॉयल लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

दृष्टिकोण और लक्ष्य

- उपलब्ध कौशल / प्रतिभा का उपयोग और उन्नयन के माध्यम से दुनिया की उत्तम मैंगनीज खनन कंपनियों में से एक बनाना।
- संयुक्त उद्यमों/ प्रोद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से मूल्य वर्धन को ध्यान में रखते हुए सभी संभावित क्षेत्रों में विश्व स्तर पर कंपनी की गतिविधियों का विस्तार करना।

उद्देश्य

- भारत के मैंगनीज उद्योग बाजार में अपनी अग्रणी प्रतिष्ठा को बनाए रखना।
- सभी पणधारियों की संतुष्टि के लिए पर्याप्त अधिशेषों को उत्पन्न करना तथा सबसे अच्छा लाभांश सुनिश्चित करना ।
- सभी स्तर पर मैंगनीज अयस्क और संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तथा गुणवत्ता पूर्ण सामग्री और सेवाओं को तत्काल प्रदान करके ग्राहकों के समाधान में बृद्धि करना ।
- अनुसंधान एवं विकास तथा नई प्रौद्योगिकी को अंगीकार करके निम्न एवं मध्यम श्रेणी अयस्कों के अन्नयन के लिए खनन और परिष्करण प्रणाली का विविधीकरण और आधुनिकीकरण करना और मूल्य वर्धन के माध्यम से विकास को प्राप्त करना।

  (ए) मानवीय और भौतिकीय दोनों संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके उत्पादकता, क्षमता उपयोग एवं लागत प्रभावशीलता में सुधार लाना।

  (बी) फेरो मैंगनीज संयंत्र के लिए लागत प्रभावी किफायती बिजली सेवाओं की सभी संभावनाओं का पता लगाना।

- खनन क्षेत्रों को स्वच्छ, हरा-भरा तथा पर्यावरण अनुकूल बनाना।
- सुरक्षा के तरीकों में और सुधार करके शून्य दुर्धटना दर हासिल करने के प्रयास करना।
- उद्योग से जुड़े कर्मचारियों तथा अन्य पणधारियों का उत्तम जीवन-स्तर सुनिश्चित करना।

विषय सूची

कार्य-निष्पादन - एक दृष्टि में 05

अध्यक्ष का वक्तव्य.. 07

अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट.......................... 10

नियंत्रक एवं महालेखानिरीक्षक की टिप्पणियॉं.................... 67

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट... 70

वार्षिक लेखा

तुलन पत्र... 76

लाभ -हानि लेखा.. 77

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉं... 78

लेखा टिप्पणियां... 81

नकद प्रवाह विवरण... 95

व्यापार खण्डों के बारे में जानकारी............................... 96

सामाजिक सुविधाओं का विवरण.. 97

सदस्यों को महत्वपूर्ण सूचना

कंपनियों द्वारा पेपररहित अनुपालन की अनुमति देकर कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारपोरेट अधिशासन में हरित पहल की है तथा परिपत्र जारी किए है जिसमें यह कहा है कि वार्षिक रिपोर्ट सहित नोटिस/दस्तावेजों को ई-मेल द्वारा सदस्यों को भेजा जा सकता है। सरकार की इस हरित पहल का पूरी तरह से समर्थन करने के लिए ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता अब तक पंजीकृत नहीं किया है, उन से अनुरोध है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें । ऐसे सदस्य जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप से धारण किया है उनसे अनुरोध है कि मॉयल लिमिटेड या हमारे आर.एण्ड टी. एजेन्ट (मेसर्स बिग शेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड) के पास इसका पंजीकरण करें ताकि प्रिन्टेड कॉपी के बदले ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा सकें।

निदेशक मंडल

श्री जी.पी. कुंदरगी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

सरकारी निदेशक

श्रीमती उर्विला खाती
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय,
भारत सरकार

श्री शेखर शुक्ला
सचिव, खनिज साधन विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार

स्वतंत्र निदेशक

सुश्री सुनंदा प्रसाद

डॉ ए.के. लोमस

श्री जे. पी. डांगे

श्री. जी. एस. ग्रोवर

कार्यकारी निदेशक

श्री एम.पी.चौधरी
निदेशक (वित्त)

श्री ए.के.झा
निदेशक (उत्पादन एवं योजना)

श्री टी. के. पटनायक
निदेशक (वाणिज्य)

सेवानिवृत्त निदेशक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री अपूर्व चंद्रा, आई. ए. एस.

श्री लोकेश चंद्र, आई. ए. एस.

श्री ए.के. मेहरा

श्री एस गलगली, आई टी एस (सी.वी.ओ.)

मुख्य सतर्कता अधिकारी और कार्यकारी निदेशक

श्री नितिन चायदे, आईटीएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री डी शोम
कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)

वरिष्ठ कार्यकारी

श्री एस.बी. धर
महाप्रबंधक (प्रणाली)

श्री ए.के. शुक्ला
महाप्रबंधक (यांत्रिक)

श्री वी.एन. चंद्राकर
महाप्रबंधक (खान)

श्री आर.एस. वर्मा
महाप्रबंधक (खान)

श्री पी. वी.वी. पटनायक
महाप्रबंधक (परियोजना एवं विविधीकरण)

श्री डी वी राजू
महाप्रबंधक (कार्मिक)

कंपनी सचिव

श्री नीरज दत्त पाण्डेय

कार्य-निष्पादन - एक दृष्टि में

विवरण	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
वित्तीय (₹ करोड़ों में)					
कुल बिक्री	823.25	1021.28	967.12	899.58	1139.97
अन्य कमाई	316.61	303.32	235.27	203.32	145.28
कुल आय	1139.86	1324.6	1202.39	1102.9	1285.25
सकल मुनाफा	695.65	804.51	669.82	636.54	912.66
कर पूर्व लाभ	650.57	769.33	636.78	606.63	880.15
कर के बाद लाभ	428.01	509.56	431.72	410.77	588.06
लाभांश	142.80	126.00	92.40	84.00	117.60
शेयर पूंजी	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
भंडार और अधिशेष	3213.70	2959.33	2597.64	2273.31	1960.29
निवल मूल्य	3381.70	3127.33	2765.64	2441.31	2128.29
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल ब्लॉक	610.72	510.07	479.91	422.58	396.46
कार्यशील पूंजी	3030.68	2805.27	2485.5	2184.36	1892.81
प्रयुक्त पूंजी	3324.59	3054.14	2734.45	2398.06	2097.29
महत्वपूर्ण अनुपात					
राजधानी कार्यरत: करने के लिए कर पूर्व लाभ	19.57	25.19	23.29	25.30	41.97
बिक्री: करने के लिए कर पूर्व लाभ	79.02	75.33	65.84	67.43	77.21
ऋण इक्विटी अनुपात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रति शेयर आय (₹)(₹ 10 के अंकित मूल्य पर)	25.48	30.33	25.70	24.45	35.00
राजकोष में अंशदान (₹ करोड़ों में)					
आयकर	193.83	260.87	213.84	204.01	303.43
लाभांश वितरण कर	28.55	21.87	14.99	13.76	19.53
बिक्री कर और वैट	20.23	26.75	23.72	21.85	28.37
रॉयल्टी और उपकर	35.06	39.78	36.38	33.10	43.50
उत्पाद शुल्क	7.91	7.17	7.91	6.10	5.34
एम.पी. सड़क उपकर	14.12	17.81	17.17	15.59	24.52
कुल	299.70	374.25	314.01	294.41	424.69
उत्पादन					
मैंगनीज अयस्क (एमटी)	1139156	1134508	1138895	1070717	1150742
E.M.D. (एमटी)	950	923	786	714	805
फेरो मैंगनीज (एमटी)	10045	10042	9210	8694	9081
हवा मिलों से बिजली (kWh)	32808711	33206045	37545155	33022835	31039998

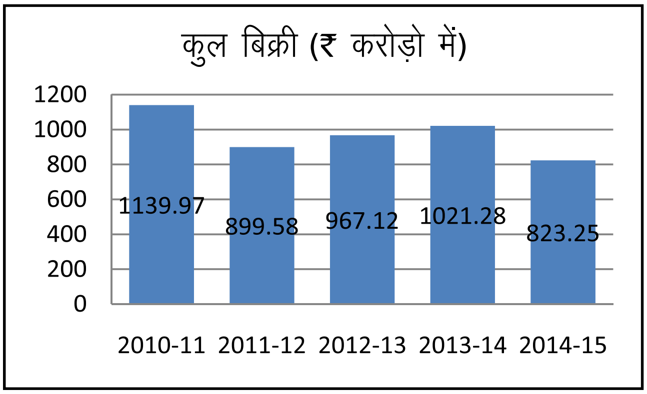
कुल बिक्री (₹ करोड़ों में)
1200
1000
800
600
400
200
0
1139.97
899.58
967.12
1021.28
823.25
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

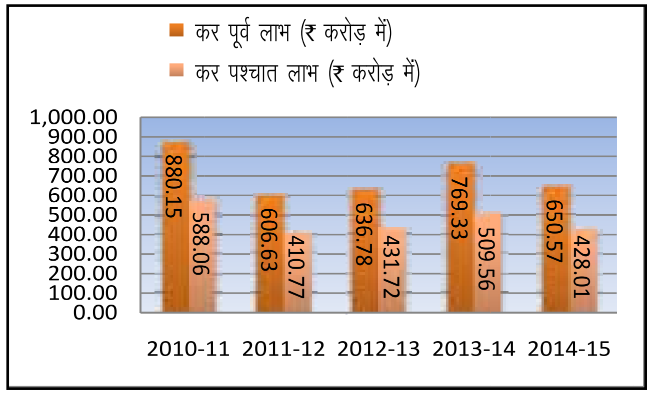
कर पूर्व लाभ (₹ करोड़ में)
कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
880.15
588.06
606.63
410.77
636.78
431.72
769.33
509.56
650.57
428.01
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

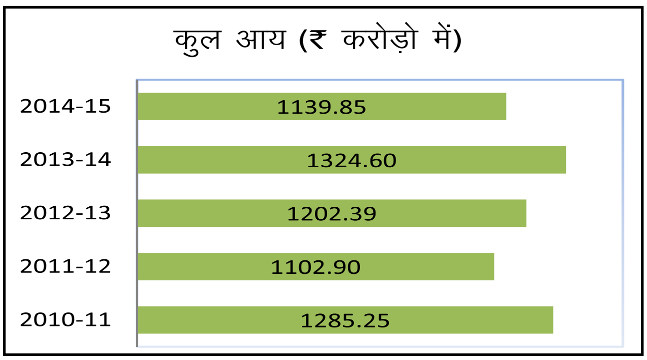
कुल आय (₹ करोड़ो में)
2014-15 1139.85
2013-14 1324.60
2012-13 1202.39
2011-12 1102.90
2010-11 1285.25

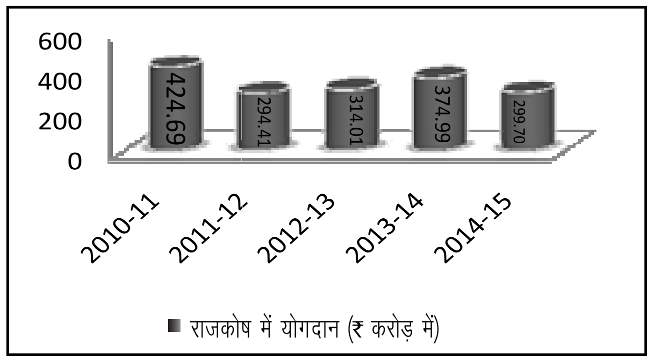
600
400
200
0
424.69
294.41
314.01
374.99
299.70
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
राजकोष में योगदान (₹ करोड़ में)

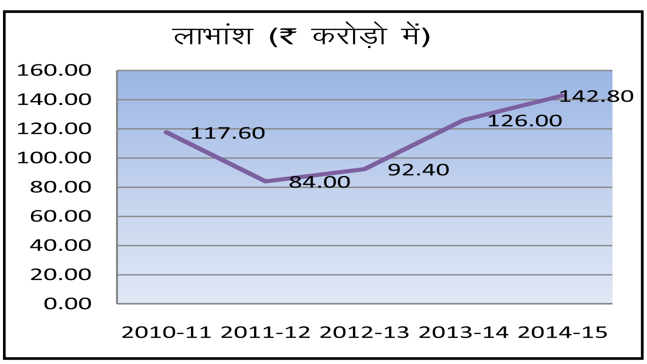
लाभांश (₹ करोड़ो में)
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
117.60
84.00
92.40
126.00
142.80
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

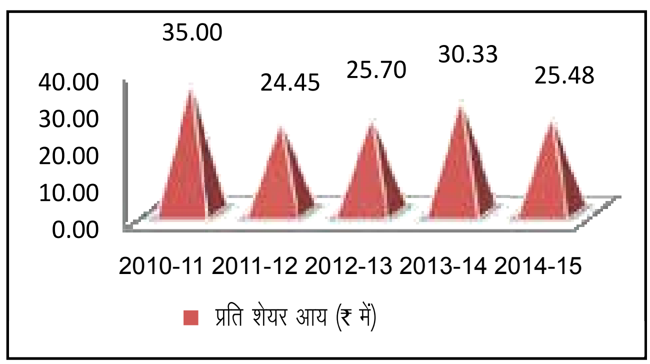
35.00
24.45
25.70
30.33
25.48
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
प्रति शेयर आय (₹ में)

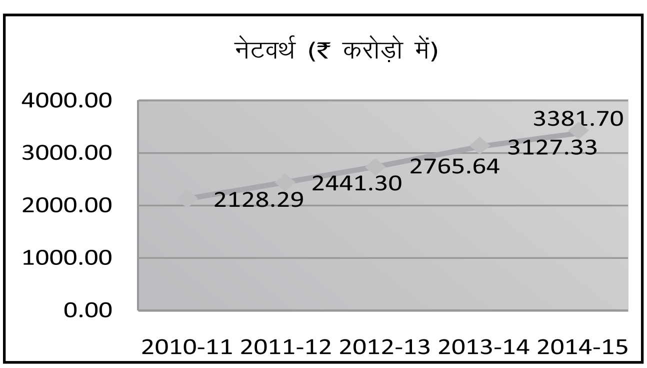
नेटवर्थ (₹ करोड़ो में)
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
2128.29
2441.30
2765.64
3127.33
3381.70
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

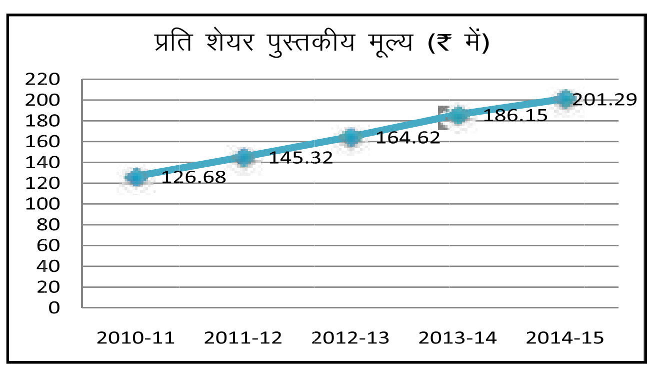
प्रति शेयर पुस्तकीय मूल्य (₹ में)
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
126.68
145.32
164.62
186.15
201.29
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय अंशधारकों,

53 वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा के अवसर पर एक बार फिर आपसे संवाद स्थापित करने और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव और खुशी की अनुभूति हो रही है।

2014-15 वित्तीय वर्ष खनन और धातु उद्योग के लिए और विशेष रूप से मैंगनीज अयस्क उद्योग के लिए चुनौतियों का साल रहा। उस के बावजूद, कंपनी अपने मूल उत्पादन में 9.90% की रिकॉर्ड छलांग करने में सक्षम रही (मैंगनीज अयस्क की फेरो और सिलिको ग्रेड, जुर्माना छोड़कर) कोर उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 8.89 लाख टन के मुकाबले 9.77 लाख टन पर रहा। मैंगनीज अयस्क के सभी ग्रेड के उत्पादन में पिछले वर्ष 11.35 लाख टन की तुलना में 11.39 लाख रुपए तक की बढोतरी दर्ज की गई।

मैंगनीज अयस्क की कीमतों में साल भर दबाव महसूस किया गया। कंपनी ने वर्ष के दौरान मैंगनीज अयस्क के अपने विभिन्न ग्रेड की कीमतें करीब करीब 27% कम की। उस के बावजूद, आपकी कंपनी काफी संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करने में सक्षम है। अच्छी विपणन रणनीति, मूल्य निर्धारण नीति और बेहतर उत्पादन मिश्र के साथ, आपकी कंपनी पिछले वर्ष के 8351 रुपये पीएमटी की तुलना में 8233 रुपये पीएमटी की बिक्री बनाए रखने में सफल रही है। हालांकि, उपलब्धता अंर्तराष्ट्रीय बाजार में उच्च ग्रेड मैंगनीज अयस्क की आपूर्ति अभी भी मैंगनीज के मूल्य निर्धारण पर दबाव डाल रही है, जो की देश में मैंगनीज उद्योग के लिए चिंता का विषय है।

आपकी कंपनी ने बीते वर्ष के 1021.28 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 823.25 करोड़ रुपये बिक्री का कारोबार दर्ज किया। कंपनी ने पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ जो की क्रमश: 769.33 करोड़ रुपये और 509.56 करोड़ रुपए के मुकाबले क्रमश: 650.57 करोड़ रुपए और 428.01 करोड़ रुपए अर्जित कीये।

मॉयल अनेक वर्षो से लाभांश भुगतान वाली कंपनी रही है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडलने 2014-15 वर्ष के लिए 35% अर्थात 3.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के दर से अंतिम लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है। इस प्रकार 2014-15 आर्थिक वर्ष के लिए 8.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर कुल लाभांश बनता है जो पिछले वर्ष में 7.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर था। 8.50 रुपये में से आपकी कंपनी ने 5.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का भुगतान अपने शेयरधारकों को मार्च 2015 में कर दिया था।

वर्ष 2014-15 आपकी कंपनी के कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) की पहली कंपनी है जो इस्पात के प्रशासनिक मंत्रालय के तहत अपने कर्मचारियों जिसमें श्रमिको का भी अंतर्भाव है उनके लिए पेंशन योजना लागू करने जा रही है। मैं इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने हमारी पेंशन योजना को मंजूरी दी। यह प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ कर्मचारी एवं उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का ऐसा जरिया है जो दूर तक जायेगा।

अपनी कंपनी को दुनिया की सर्वोत्तम मैंगनीज अयस्क खनन कंपनियों में से एक बनाने के दृष्टिकोन और इस्पात उद्योग में मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने के लिए एवं बाजार में मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में अग्रणी बनें रहने के लिए आपकी कंपनी ने मौजूदा खनन कंपनी के विकास के लिए उसमें निवेश की योजना बनाई है। कंपनी ने अलग अलग परियोजनाओं को हाथ में लिया है जिसमें बालाघाट खान की होल्म्स शाफ्ट की योजना शामिल है। मौजूदा वर्टिकल शाफ्ट को गहरा करने का कार्य 2015-16 के दौरान चालू होने की उम्मीद है, इसके अलावा उत्पादन बढाने के लिए चिकला खान में नया वर्टिकल शाफ्ट स्थापन करने का कार्य प्रगति पर है। कंपनी ने मनसर और उकवा खान में सिंकिंग का कार्य इस वर्ष के दौरान पूरा कर लिया। इसी के साथ मनसर और उकवा खान में दुसरे वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग और कान्द्री खान की वर्टिकल शाफ्ट को गहरा करने का कार्य भी प्रगति पर है। गुमगाव खान में उच्च गति की एवं बडे व्यास की दूसरी वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग की तैयारी भी प्रगति पर है।

मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है की लंबे समय से लंबित खनन पट्टा जो 48.952 हेक्टर का है एवं लुगमा गांव जो उकवा खान के निकट है उसको मध्य प्रदेश सरकार ने अनुमति प्रदान की है जहां दूसरे वर्टिकल शाफ्ट की योजना बनाई गयी है। इससे कंपनी को अधिक व्यवस्थित तरीके से खान विकसित करने के लिए मदद मिलेगी।

इसके अलावा कान्द्री खान में 37.82 हेक्टेयर के एक क्षेत्र के संबंध में वन विभाग कि मंजूरी के लंबे समय से लंबित मुद्दे को सुलझा लिया गया है और अनापत्ति प्रमाण पत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त किया गया है। इससे आने वाले वर्षों में कान्द्री खान को विकसित करने और बनाए रखने में मदद मिलेगी। आपकी कंपनी एक बड़े न्यास की स्थापना द्वारा बालाघाट खान के विस्तार में एक बड़े निवेश के लिए योजना बना रही है। शाफ्ट, खान विकास और अयस्क विकास संयत्र इत्यादि तथा इस उद्देश्य के लिए जो

सलाहकार है वो डिजाइन, ड्राइंग, खर्च का अनुमान इसके लिए कंपनी की निवेश योजना इस बात पर निर्भर है कि कंपनी को कितने अपेक्षित पट्टे बहाल किए जाते है। बालाघाट में कंपनी ने अपने मौजूदा उत्पादन शाफ्ट को और गहरा करने की योजना बनाई है जिसके डिजाइनिंग और खर्च के अनुमान का आकलन प्रगतिपथ पर है।

जैसा कि आप जानते है महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही नागपुर और भंडारा जिलो में कुल 814.71 हेक्टरमें से 597.44 हेक्टर क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्रदान करने को मंजूरी डी है और शेष क्षेत्रोंके लिए उनके साथ प्रक्रिया जारी है। कंपनी राष्ट्रीय भू-भौतिक संशोधन संस्था (CSRI का एक हिस्सा - सरकार की एक स्वायत्त संस्था) के साथ 597.44 हेक्टर क्षेत्र की ग्रेविटी चुंबकीय सर्वेक्षण के लिए साथ में काम कर रही है। राष्ट्रीय भू-भौतिक संशोधन संस्था ने कोर ड्रिलिंग द्वारा सर्वेक्षण और अन्वेषण पूरा कर लिया है और कुल पीएल में से दो में मैंगनीज अयस्क की उपस्थिति का संकेत दिया है एवं शेष पीएल के लिए आगे कोर ड्रिलिंग का काम इन क्षेत्रों प्रगति पर है। आपकी कंपनी इन क्षेत्रों में तिन नए खानों की अपेक्षा कर रही है की जिसके परिणाम स्वरुप भविष्य में मॉयल के उत्पादन मात्रा में वृद्धी होगी।

आपकी कंपनी ने हमेशा उच्चतम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्तर प्राप्त किया है। सत्यनिष्ठा का निर्वाह, आचार संहिता का अंगीकरण और एक अच्छी तरह से परिभाषित आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क की वजह से कंपनी के व्यवसाय अभ्यास में पारदर्शकता आयी है। मॉयल सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है और निगमित प्रशासन अनुपालन पर समझौतों कॉर्पोरेट गवर्नेंस के करार को निभाती है। इसी बीच स्वतंत्र निदेशक के खाली स्थान को भरने की प्रक्रिया मंत्रालय के अंतर्गत चल रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन अब बोर्ड के रिपोर्ट का हिस्सा है। मुझे सूचित करते हुए खुशी होती है की, पब्लिक एंटरप्राइजेस विभाग (डीपीई) ने आपकी कंपनी को 2013-14 में विभिन्न मानदंडों के अनुपालन के लिए उत्कृष्ट रेटिंग दि है और 2014-15 के लिए भी उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है।

एक अच्छे राष्ट्र नागरिक होने के नाते, हमेशा आपकी कंपनी बड़े पैमाने पर समाज के जरूरतमंद लोगों के विकास और उत्थान के लिए जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता बढे इसलिए अपनी सहायता देने में अग्रणी रही है । आपकी कंपनी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकों एवं स्कूलों का निर्माण / नुतनीकरण, जल आपूर्ति सुविधा परिधीय विकास खेल और संस्कृति विकास इत्यादि का आसपास के समुदाय में जहां कंपनी कार्यरत है वहां और अन्य विभागों में कई सारी पहल की है। चिकला की डीएव्ही मॉयल पब्लिक स्कूल उन बडे प्रकल्पोंमें से एक है जो मॉयल ने सीएसआर तहत पूर्ण किए है और इसको आसपास क्षेत्र के लोगोंसे बेहद अच्छी प्रतिक्रिया मिली। भारत सरकार के स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत मॉयल ने 80 स्कूलों में 100 शौचालयों का अपेक्षित समय के अन्दर निर्माण किया है जिसे भारत सरकार द्वारा सराहा गया। कंपनी ने ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल्य विकास उपक्रम भी चलाया।

इस वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों को ले जाने के उद्देश्य के लिए एक पंजीकृत सोसायटी / ट्रस्ट अर्थात् "मॉयल फाउंडेशन" का गठन किया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण संस्थान (एमआईटीआरए) जो बीआईएफ इंस्टिट्यूट डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, पुणे की एक सहयोगी संस्था है उनके साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर "सामुदायिक विकास कार्यक्रम" करने जा रहा है। बायो गैस, सौर लैंप और व्यक्तिगत शौचालय, अपनी खानों के आसपास के क्षेत्र में 21 गांवों में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजनाएं प्रदान करने, लाइव स्टॉक डेव्हलपमेंट , जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनीने 13.57 करोड रुपए खर्च किए है।

मैंगनीज अयस्क उद्योग का प्रदर्शन मुख्य रूप से इस्पात उद्योग के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कच्चे इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत लगभग 215 किलोग्राम के वैश्विक औसत की तुलना में भारत की प्रतिव्यक्ति खपत लगभग 60 किलोग्राम है। इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग में निवेश के अगले दौर में अर्थव्यवस्था के जाने पर भारत में इस्पात की मांग में काफी वृद्धि होगी। दुनिया में वर्ष 2014 दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन में 1.2% की वृद्धि हुई है और उत्पादन 2013 के 1642 मिलियन टन से बढकर 2014 में 1662 मिलियन टन हो गया है , जब की भारत में वर्ष 2014 के दौरान इस्पात का उत्पादन 2.35% की वृद्धि के साथ 81.30 मिलियन टन से बढकर 83.21 मिलियन टन हुआ है। विश्व इस्पात उत्पादन के साथ साथ दुनिया में मैंगनीज अयस्क उत्पादन में 2013 के 57.70 मिलियन टन के मुकाबले 2014 में 59 मिलियन टन की वृद्धी हुई है जो 2.25% की वृद्धी दर है , जब की भारत में मैंगनीज अयस्क उत्पादन पिछले वर्ष के 2.57 मिलियन टन के मुकाबले 2014-15 में 2.27 मिलियन टन तक गिरा है। मॉयल में, मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में पिछले वर्ष के 11.35 लाख टन की तुलना में 11.39 लाख टन इतनी मामूली रूप से वृद्धि हुई है। जैसा कि पहले कहा गया है मैंगनीज अयस्क के कोर उत्पादन में वर्ष के दौरान लगभग 9.90% की वृद्धि हुई है।

वर्तमान में, आपकी कंपनी लगभग 50% की की हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क की सबसे बडी उत्पादक है। हालांकि ऐसा देखा जाता है की भारत में उच्च ग्रेड मेंग्निज अयस्क बडी मात्रा में आयात किया जाता है। 2014-15 के दौरान तकरीबन 3.17 मिलियन टन मैंगनीज अयस्क आयात किया गया,जबकी पिछले वर्ष में तकरीबन 2.195 मिलियन टन किया गया था । मांग और आपूर्ति के बीच पर्याप्त अंतराल से ये सूचित होता है की मॉयल की उच्च ग्रेड मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अवसर है ।

2030 तक भारत ने भी 300 मिलियन टन इस्पात की क्षमता का लक्ष्य रखा है। इससे निश्चित रूप से मैंगनीज अयस्क की मांग बढेगी और मॉयल को अपना उत्पादन एवं बाजार की हिस्सेदारी बढाने का अवसर मिलेगा।

आपकी कंपनी ने अपने संसाधनों में 5.98 मिलियन टन का इजाफा किया है और 77.38 मिलियन टन के भंडार और मैंगनीज अयस्क के संसाधनों के साथ मॉयल भारत की इस्पात की बढती मांग को पूरा करने के लिए सक्षम है। इसके लिए मॉयल की प्रभावी स्थिति, मध्यम- उच्च ग्रेड अयस्क भंडार खानों की मध्यवर्ती स्थिति, उत्पादन की कम लागत और मजबूत ग्राहक संबंध यह बाते सकारात्मक है।

भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने और अपने शिर्ष स्तर को बनाए रखने के क्रम में मॉयल ने एक रणनीतिक प्रबंधन योजना तैयार की है जिससे अभी के 1.14 मिलियन टन से 2020 तक 2.0 मिलियन टन और 2030 तक 3.0 मिलियन टन उत्पादन क्षमता विकसित होगी।

आपकी कंपनी देश के बाहर अच्छी खनन ससंपदा की खोज भी कर रही है तथा भारत और विश्व दोनों स्तर पर मुख्य रूप से मैंगनीज अयस्क और अन्य खनिजों के लिए संभावित निवेश अवसरों से संबधित 'रूचि - प्रकटन' आमंत्रित किए गए है। आपकी कंपनी सशक्त संचित निधि के साथ एक ऋण मुक्त कंपनी है जिसकी वजह से आने वाले समय में विभिन्न ब्राउन फिल्ड के साथ-साथ ग्रीन फिल्ड परियोजनाओं में भी उसे अवसर प्राप्त है।

देश अर्थव्यवस्था में वृद्धि के संकेत दिख रहे है और 2014-15 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 4.7% से 7.3% तक वृद्धी हुई है और यह 2015-16 के दौरान 8.00% को छू सकती है। मुझे यकीन है की भारत सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास की निति से भारत ने इस्पात की मांग को बढावा मिलेगा और उससे मैंगनीज अयस्क की मांग में भी वृद्धि होगी।

मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी होती है की भारत सरकार के खान मंत्रालय ने देश भर में विभिन्न खनिजों के अन्वेषण के संचालन के लिए धारा 4(1) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत मॉयल को अधिसूचित किया है। इससे मॉयल के लिए इस क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

आपकी कंपनी देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमो में से एक है जो सतत उत्कृष्ट निष्पादन के लिए जाने जाते है और जिसे वर्ष 2013-14 के लिए एमओयु की एक्सीलेंट रेटिंग प्राप्त हुई है। कंपनी को अपनी लगभग सभी गतिविधीयों में राष्ट्रीय / क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। वर्ष के दौरान इसने राष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड, नेशनल क्वालिटी सर्कल अवार्ड, आंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स ट्रोफी, कार्पोरेट गवर्नेंस एक्सेलेंट रेटिंग इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार और मान्यताएं प्राप्त की है।

मैं भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार, सन्मानित ग्राहक एवं कंपनी के बैंकर्स, आपूर्तिकर्ता और सभी मॉयलियन्स द्वारा कंपनी के कार्य-निष्पादन में दिए गए अपरिमित योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूं जिसके बिना कंपनी को विकास के दिशा में ले जाना संभव नहीं हुआ होता। कंपनी को और अधिक ऊँचा उठाने एवं अंशधारकों के मूल्य वृद्धि करने के लिए मैं आगे भी उनके लगातार सहयोग एवं प्रतिबद्धता की आशा करता हूं।

जी.पी. कुंदरगी

अध्यक्ष –सह –प्रबंध निदेशक

अंशधारकों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारकों,

निदेशक मंडल की और से आपकी कंपनी की 53 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखा–जोखा प्रस्तुत करने में मुझे बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है।

वित्तीय परिणाम:

वर्ष 2014.15 और पिछले वर्ष के वित्तीय निचे रेखांकित किये गये है

₹ करोड़ में

विवरण	2014-15	2013-14
शुध्द विक्री	823.25	1021.28
अन्य आय	316.61	303.32
कुल आय	1139.86	1324.60
ब्याज, मूल्य - हास और कर से पूर्व आय (ईबीआइडीटीए)	695.65	804.51
मूल्यह्रास	45.08	35.18
कर से पूर्व लाभ (पीबीटी)	650.57	769.33
घटाए: कराधान के लिए प्रावधान	222.56	259.76
कर के पश्चात लाभ (पीएटी)	428.01	509.56
सामान्य संचय और सीएसआर निधि में अंतरण	250.18	370.34

मुख्य वित्तीय अनुपात

अनुपात	2014-15	2013-14
बिक्री कारोबार और ईबीआइडीटीए	84.50	78.77
शुध्द मूल्य और पीएटी का अनुपात (:)	12.66	16.29
औसत नियोजित पुंजी और ईबीआइडीटीए का अनुपात (:)	21.81	27.80
प्रति शेयर आय (प्रत्यक्ष मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	25.48	30.33
प्रति शेयर बही खाता मूल्य	201.29	186.15

लाभांश:

मॉयल पिछले कई वर्षों से लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है और इसी परंपरा को जारी रखते हुए वर्ष 2014–15 के दौरान अंतरिम लाभांश 50 प्रतिशत अर्थात प्रति इक्विटी शेयर पर पांच रूपये की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान मार्च 2015 माह में किया गया है। वर्ष के लाभ को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 35 प्रतिशत अर्थात प्रति इक्विटी शेयर पर 3.50 रूपये की दर से अंतिम लाभांश भुगतान करने की सिफारिश की है। वर्ष 2014–15 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर 8.50 रुपये निकाला गया है जो पिछले वर्ष 7.50 रुपये था। इस प्रकार वर्ष के लिए कुल लाभांश का भुगतान 8.5 प्रतिशत अर्थात 142.80 करोड रूपये (पिछले वर्ष 126 करोड रूपये) होता है।

श्री जी.पी. कुंदरगी, अध्यक्ष, 52 वी साधारण सभा को संबोधित करते हुए।

वित्तीय कार्य निष्पादन :

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 1021.28 करोड रूपये की तुलना में वित्त वर्ष 2014–15 में 823.35 करोड रुपये की शुद्ध बिक्री (उत्पादन शुल्क को छोड कर) दर्ज की है, कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 15.44 प्रतिशत से कम हो कर 650.57 करोड रूपये रहा जो पिछले वर्ष 769.33 करोड था। कंपनी ने कर के बाद 428.01 करोड रुपये का लाभ (पीटीए) अर्जित किया है जबकि पिछले साल यह लाभ 509 .56 करोड रुपये था।

सरकारी दिशा निर्देशो के अनुसार आपकी कंपनी ने अधिशेष निधीयो को सावधि जमा योजना में नियोजित किया है तथा कुल 279.77 करोड रुपये (जो की पिछले वर्ष 249.86 करोड रुपये था) का ब्याज प्राप्त किया है, जिसे अन्य आय के अंतर्गत रखा गया है। अन्य आय कर्मचारी अनुलाभों के लिए पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए प्रावधानों के लिए 24.41 करोड रुपये (पिछले वर्ष 45.75 करोड रुपये) भी शमिल है, जिसे अब आवश्यक नहीं माना गया है।

बिक्री

वित्तीय वर्ष 2014–15 खनन एवं धातु उद्योग के लिए विशेषकर मैंगनीज अयस्क उद्योग के लिए चुनौती भरा वर्ष रहा। अयस्क की कीमतों में बेहद आयत और मांग में कमी वजह से दबाव बना रहा जिसके परिणाम स्वरुप खानों से फेरो एलॉय उत्पादन निकलते रहे। 2014–15 के दौरान वर्ष 2013–14 के 946.16 करोड रुपये की तुलना में 749.55 करोड रुपये के मैंगनीज अयस्क की शुद्ध बिक्री की। कंपनी ने पिछले–साल के 11.33 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री के मुकाबले 2014–15 वर्ष में 9.10 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की। बाजार की निराशाजनक अवस्था के वजह से बिक्रीसंख्या और आवर्त में क्रमशः 19.68 प्रतिशत और 20.78 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

कंपनी के विनिर्मित उत्पादों अर्थात इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायआक्साइड (ईएमडी), फेरो मैंगनीज और फेरो मैंगनीज स्लैग इनकी विशुद्ध बिक्री पिछले वर्ष के 73.78 करोड रुपये की तुलना में वर्ष 2014–15 में 73.55 करोड रुपये रही। ईएमडी कि बिक्री पिछले वर्ष के 893 टन के मुकाबले 655 टन रही, जबकी फेरो मैंगनीज की बिक्री पिछले वर्ष के 8707 टन के मुकाबले 8587 टन रही।

उत्पादन और उत्पादकता

आपकी कंपनी ने इस साल पिछले साल के 11.35 लाख टन के मुकाबले 11.39 लाख टन अलग अलग ग्रेड के मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया। आउटपुट पर मैनशिफ्ट (MS) जो कि उत्पादकता का मापक है वह 0.818 टन (गतवर्ष 0.805 टन) इतना उत्कृष्ट रहा।

इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायआक्साइड (ईएमडी) का उत्पादन 2.93 प्रतिशत से बढकर पिछले वर्ष के 923 टन के मुकाबले 2014–15 में 950 टन रहा। फेरो मैंगनीज का इस साल का उत्पादन पिछले साल के 10042 टन के मुकाबले 10045 टन रहा।

मॉयल खान में एस.डी.एल. की संस्थापना

बंद भंडार

कंपनी के पास 31.03.2015 को 109.38 करोड मूल्य का 2.48 लाख टन का बंद भंडार था । जबकि 31.03.2014 को कंपनी के पास 20.63 करोड मूल्य का 0.48 लाख टन का मैंगनीज अयस्क था। फेरो मैंगनीज का 31.03.2014 को 8.47 करोड रुपये के 2543 टन की तुलना में 31.03.2015 को 16.36 करोड रुपये का 4001 टन का अंतिम स्टॉक था। ईएमडी का बंद भंडार 31.03.2015 को 3.47 करोड (गतवर्ष रु.0.91 करोड) मूल्य का 396 टन (गतवर्ष 101 टन) था।

पूंजी/ मूल्यवर्धन/ विविधीकरण परियोजनाए

इस्पात उद्योग में मैंगनीज की मांग पूरी करने और मैंगनीज उदयोग के बाजार का अग्रणी बने रखने के लिए मैंगनीज अयस्क का उत्पादन बढाना आवश्यक है। भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने और अपने शिर्ष स्तर को बनाए रखने के क्रम में मॉयल ने एक रणनीतिक प्रबंधन योजना तैयार की है जिससे अभी के 1.14 मिलियन टन से 2020 तक 2.0 मिलियन टन और 2030 तक 3.0 मिलियन टन उत्पादन क्षमता विकसित होगी। इस योजना को लागू करने के लिए आपकी कंपनी ने वर्तमान खानों में भारी निवेश करने, देश और विदेशों में नयी खानों का अधिग्रहण करने, मैंगनीज आधारित मूल्य वर्धन परियोजना स्थापित करने, इत्यादी की योजना बनाई है।

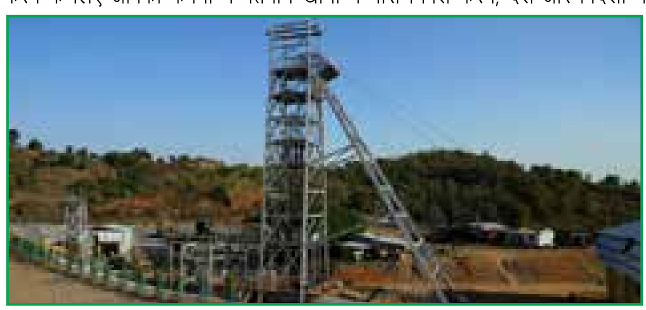

मनसार खान पर वर्टिकल शाफ्ट

पुंजीगत खर्च एवं खान विस्तारीकरण परियोजना

कंपनी की योजना में पूंजीगत खर्च की योजना वर्टीकल शाफ्ट में निवेश परियोजनाओं के तहत नए पट्टों के विकास को मजबूत बनाने/ गहरा करने की परिकल्पना की गई है। नयी खान, नियमित परिवर्धन, वृद्धी, सुधार, प्रतिस्थापना जो की परिसंपत्तियां, टाउनशिप्स, संशोधन विकास इत्यादि में है उसमें निवेश किया जायेगा। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष में 85.46 करोड़ रुपए की तुलना में 114.78 करोड़ रुपए है। मॉयल ने अपनी आशा जनक खानों से उत्पादन बढाने के लिए महत्वकांक्षी खान प्रसार परियोजनाएं भी हाथ में ली हैं। कुछ परियोजनाएं हाल ही में पूरी की गयी हैं और कुछ खनन विकास के विभिन्न निम्न लिखित चरणों पर है

१ प्रसंपन्न प्रकल्प/ कार्यान्वित प्रकल्प

- मनसर खान वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग जिसका लागत मूल्य 25.20 करोड रुपये था जो नवंबर 2014 में पूरा हुआ।
- उकवा खान वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग जिसका लागत मूल्य 18.11 करोड रुपये था जो नवंबर 2014 में पूरा हुआ।
- बालाघाट की खान में होल्स वर्टिकल शाफ्ट की गहराई जो 300 मीटर थी उसे 435 मीटर करना जिसका लागत मूल्य 28.30 करोड रुपये है। यह प्रकल्प प्रगति पर है और अपने निर्धारित समयानुसार चल रहा है।

- चिकला की खान में वर्टिकल शाफ्ट की गहराई जो 109 मीटर थी उसे 169 मीटर करना जिसका लागत मूल्य 9.12 करोड रुपये है।
- चिकला खान में दुसरे वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग जो 160 मीटर गहरी है और जिसका लागत मूल्य 48.70 करोड रुपये है ये अभी शुरू किया गया और इसका क्रियान्वयन फरवरी 2015 से होगा। यह प्रकल्प प्रगति पथ पर है और अपने निर्धारित समयानुसार चल रहा है।

  उपरोक्त प्रकल्प वर्तमान उत्पादन क्षमता को बनाए रखेंगे और साथ ही उत्पादन में बढोतरी के लिए सहायक है।

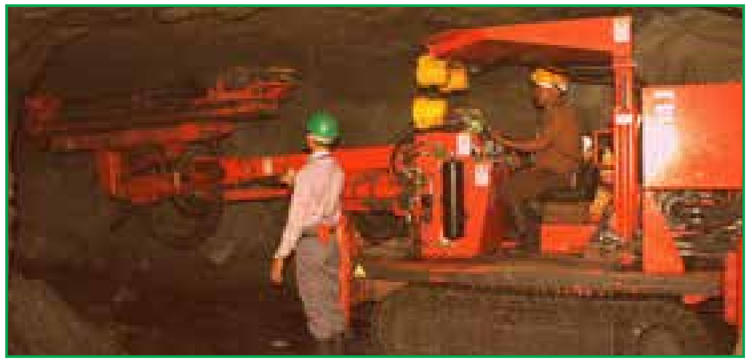

बालाघाट खान में संस्थापित भूमिगत एकल बूमर क्रॉलर ड्रिलिंग मशीन

२ आगामी/ नये प्रकल्प:

(i) मनसर खान में दुसरे वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग जिसकी गहराई 160 मीटर है और लागत मूल्य 51.32 करोड रुपये है, उसके लिये कंपनी को संभावित बोलीदाताओं से ऑफर की मांग खुली कर निविदा जारी की गई है एवं प्राप्त प्रस्तावों की जांच का कार्य प्रगति पर है।

(ii) उकवा खान में दुसरे वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग जिसकी गहराई 324 मीटर है और लागत मूल्य 77.15 करोड रुपये है, उसके लिये कंपनी को संभावित बोलीदाताओं से ऑफर की मांग खुली कर निविदा जारी की गई है।

(iii) कांद्री खान में दुसरे वर्टिकल शाफ्ट जिसकी गहराई 185 मीटर से बढाकर 245 मीटर करना है और लागत मूल्य 14.82 करोड रुपये है, उसके लिये कंपनी को संभावित बोलीदाताओं से ऑफर की मांग खुली कर निविदा जारी की गई है।

(iv) गुमगाव खान में उच्चतम व्यास एवं तीव्र गति के 310 मीटर गहरे दुसरे वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग करना जिसका लागत मूल्य 150करोड रूपये है – डिजायनिंग और इस्टीमेट की तयारी का काम प्रगति पर है।

(v) बालाघाट खान में दीर्घ व्यास की स्थापना कर उसका विस्तार करना। जिसमे शाफ्ट, खान विकास और अयस्क लाभ संयंत्र शामिल इत्यादी है। जिसका अनुमानतः लागत मूल्य 545 करोड रुपये है। सलाहगार डिजाइन, ड्राइंग और इस्टीमेट देने के लिए कार्यरत है।

(vi) बालाघाट खान में वर्टिकल शाफ्ट जिसकी गहराई 390 मीटर से बढाकर 615 मीटर करना है और लागत मूल्य 60 करोड रुपये है। प्रकल्प की डिजायनिंग और इस्टीमेट की तयारी का काम प्रगति पर है।

उपरोक्त प्रकल्प वर्तमान उत्पादन क्षमता को बनाए रखेंगे और साथ ही उत्पादन में बढोतरी के लिए सहायक है।

देश का भीतर और बाहर खानों का अधिग्रहण

मॉयल ने देश के भीतर और बाहर मैंगनिज और अन्य धातु खनिजों को अर्जित करने की महत्वकांक्षी योजना बनाई है। इसके लिए मॉयल ने ऐसे प्रत्याशित मालिकों से जो अपनी खनन परिसंपत्तियों को बेचने के लिए तैयार है उनसे प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए एक रूचि–प्रकटन (ईओआई) प्रकाशित किया है। मैंगनीज अयस्क . लौह अयस्क और क्रोम अयस्क परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के प्रस्तावों की जरुरत पडने पर संवीक्षा की जा रही है। कंपनी ने इसके लिए पहले ही प्रतिष्ठित सलाहकारों को पैनल में शामिल कर लिया है। अभी तक कोई भी उचित प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

मनसर खान में माननीय मंत्रीयों की यात्रा

सेल ंदक मॉयल फेरो एलॉयस प्रा.लि. और रिनमॉयल फेरो एलॉयस प्रा.लि.:

मॉयल फेरो एलॉय धातु संयंत्र को स्थापित करने के लिए मॉयल के अॅथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि .के साथ दो अलग संयुक्त उपक्रम (50 : 50) है।

मेकॉन द्वारा तैयार टीईएफआर के अनुसार परियोजनाएं राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों के वर्तमान बिजली दर में व्यवहार्य नहीं हैं। इसलिए, सस्ती दरों पर स्रोत बिजली के लिए अन्य विकल्प का पता लगाया जा रहा है। इसे देखते हुए इस वर्ष के दौरान दोनों संयुक्त उद्यम ऊर्ध्वाधर शाफ्टकंपनियों में कोई गतिविधि नहीं है।

कंपनियों ंबवनदज नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के लिए पहली चतवअपव को चनतेंदज सहयोगी कंपनियों के वित्तीय बयान की मुख्य युक्त एक बयान (एओसी से –1) अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है कंपनी (खाता) नियम 2014 के पांचवे नियम के धारा 129 के उपधारा (3) के नियम पांच के तहत एक बयान जिसमें कंपनी की सहयोगी कंपनियों के आर्थिक बयान की मुख्य विशेषताएं; फॉर्म (AOC- 1) अनुलग्न 1. में संलग्न की गई है।

बालाघाट खान में आई एम बी प्लांट के पिकींग बेल्ट पर काम करते हुए

पवन उर्जा उत्पादन :

मॉयल के 4.8 मेगावाट और 15.2 मेगावाट क्षमता के दो पवन ऊर्जा हार्म है जो इंदौर के निकट देवास जिले में क्रमशः नागदा पहाडी और रेटाडी पहाडी पर स्थित है। 4.8 मेगावाट पवन फार्म से बालाघाट खान को ऊर्जा दिजा रही है और खान के साथ ही कंपनी के फेरो मैंगनीज संयंत्र में भी उपयोग की जा रही है। 15.2 मेगावाट पवन फार्म से उत्पादित ऊर्जा को मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को बिक्री किया जा रहा है। कंपनी ने पिछले वर्ष में 3.32 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा की तुलना में 3.28 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा बिजली उत्पन्न की है।

एक्सप्लोरेशन व्यवसाय:

भारत सरकार के खान मंत्रालय ने देश भर में विभिन्न खनिजों के अन्वेषण के संचालन के लिए धारा 4(1) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत मॉयल को अधिसूचित किया है। इससे मॉयल के लिए इस क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे ।

अनुसंधान एवं विकास

मॉयल मैंगनीज अयस्क और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के अन्वेषण, दोहन, लाभकारी और मार्केटिंग में कार्यरत है। वह भूमिगत और ओपनकास्ट खानों को संचालित करता है। मैंगनीज भंडार विभिन्न कठिन भू–खनन अवस्थाओं के साथ आम तौर पर खराब से लेकर अच्छी चट्टान स्थितियों में होते है। कंपनी पिट मायनिंग नियोजित करके मैंगनीज अयस्क की सेकेंडरी रिकवरी के लिए पुराने मैंगनीज के डम्प पर भी काम कर रहे है। वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के इस युग में कुशल अन्वेषण और खनिज भंडार/ संसाधनों के प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियांखनन उद्योग में आवश्यक हैं। सुरक्षित और लागत प्रभावी खनन की प्रक्रिया के लिए जो चुनौतियां है उसके लिए अनुसंधान एवं विकास के प्रयास उस दिशा में होना जरुरी है की जिससे खनन कार्य कि गहराई बढ सके। इस मुद्दे को समझकर मॉयल ने अनुसंधान एवं विकास के कार्य के लिए निम्नलिखित विभागों में जोर लगाया है।

- रॉक मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेशन और डेटा मॉनिटरिंग को सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्योल रिसर्च (सीआईएमएफआर, नागपुर) के सहयोग से एवं स्ट्रेन बार की मदद से भूमिगत कामकाज की सुरक्षा की जा रही है।
- खारिज किए गए खनिज का उपयोग लाभकारी रूप से करने के लिए खारिज खनिज जो ढेर से निकले है उसके आधुनिक खनिज प्र
- संस्करण प्रयोगशाला और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), नागपुर की ओए अभ्यास सत्र आयोजित किया गया ।
- कर्मचारियो को भूमिगत स्थिति में उचित हवा मिलने के लिए बालाघाट खान में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम), धनबाद द्वारा गहरे स्तर पर खनन के लिए व्हेंटीलेशन के पुनर्गठन का अध्ययन किया गया इससे व्हेंटीलेशन और उत्पादकता में सुधार हुआ है।

डोंगरी बुजुर्ग खान में आधुनिक पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रो स्टेटिक ड्रिल मशीन

- मैंगनीज अयस्क की गहरी खोज के लिए, कंपनी की सभी खानों में व्यापक कोर ड्रिलिंग की जा रही है। यह भविष्य में दोहन के लिए मैंगनीज अयस्क के संसाधनों की अतिरिक्त मात्रा उत्पन्न कर रहा है।
- इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम), धनबाद द्वारा उकवा खान में यंत्रीकृत स्टोपिंग संचालन और सपोर्ट सिस्टम के विकास के लिए किये गए अध्ययन के अनुसार नयी यंत्रणा उकवा खान में लागू की गई।
- बेहतर सुरक्षा के लिए डोंगरी बुजुर्ग खान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला द्वारा रॉक मैकेनिक्स उपकरणों से निगरानी और स्लोप में स्थिरता के लिए अनुसंधान एवंविकास अध्ययन जारी है।

- भरण सामग्री के रूप में रेती के वैकल्पिक स्त्रोत के लिए प्रायोगिक आधार पर उकवा खान में समेकित हाइड्रोलिक स्टोइंग के लिए भरन सामग्री के रूप में नीचे की राख का इस्तेमाल तकनीकी विभाग द्वारा शुरू किया गया ।
- डीजल के वैकल्पिक इंधन के लिए अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल (ANFO) सीआईएमएफ आर धनबाद के साथ डोंगरी बुजुर्ग खान में ब्लास्टिंग का अध्ययन किया गया ।
- सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्योल रिसर्च (सीआईएमएफआर, नागपुर) द्वारा बेहतर सुरक्षा एवं उत्पादन के लिए भूमिगत खनन प्रक्रिया के अन्दर स्टोप डिजाईन के हायड्रो–जिओलॉजीकल अध्ययन का आयोजन कान्द्री खान में किया गया ।
- सीआईएमएफआर और वीएनआयटी, नागपुर द्वारा बेल डोंगरी, तिरोडी और मनसर खानों में जमीन कम्पन को नियंत्रित करने के लिए और सुरक्षित ब्लास्ट डिजाइन के लिए ब्लास्टिंग अध्ययन किया गया ।
- सीआईएमएफआर, नागपुर द्वारा स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए इनसीटू स्ट्रेस आकलन के साथ बालाघाट खान में सतह से 650 मीटर तक चट्टानों की भू–भौतिकीय और यांत्रिक संपदाओं की जांच की गई ।
- उत्पादकता में वृद्धि के लिए आरओएम की यंत्रणा हैंडलिंग और विकास के लिए भूमिगत खानों में साइड डिस्चार्ज लोर्ड्स (एसडीएल) और लोड हाउस एण्ड डम्प (एसडीएल) मशीनों को प्रस्तुत किया गया है।

अनुसंधान एवं विकास के उपक्रमों की उपरोक्त जानकारी अनुलग्नक II में दी गई है।

मॉयल के बालाघाट खान में जेनरेटर स्थापित

ऊर्जा संवर्धन:

मॉयल का हमेशा ऊर्जा संवर्धन पर विशेष जोर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के विविध खानों के उर्जा के उपयोग में वर्ष 2014–15में 7.90 प्रतिशत की बचत की गई। फेरो मैंगनीज प्लांट के संदर्भ में यह बचत दर्भ में यह बचत 3.8 प्रतिशत रही। यह सब यंत्रो कि क्षमता में बढोत्तरी, उर्जा घटक और उपकरणो के कार्य कि नियमित निगरानी के चलते संभव पाया।

उर्जा खपत में कमी के लिये किये गये उपाय और इस संबंध में भविष्य की योजना निम्नलिखित प्रकार से है।

i. बालाघाट और उकवा खानोपर क्रमशः 3000 KVA और 1500 KVA D.G सेट लगाये गए. नविन प्रौद्योगिकी के इंजन एवं अल्टरनेटर की वजह से जनरेशन के मूल्य में कमी आयी

ii. बालाघाट खान पर सॉफ्ट स्टार्टर 422 HP के भूमिगत पंप पे लगाया गया जिससे घिसाई कम होकर 2 प्रतिशत की उर्जा बचत हो सके ।

iii. कंपनी के खान एवं संयंत्र के प्रत्येक टन उत्पादन के लिए विद्युत खपत निम्नवत रही।

क्र	विवरण	प्रति टन उत्पादन पर किलो वाट आवर उपभोग	
		2014-15	2013-14
1	मैंगनीज अयस्क	19.51	21.11
2	फेरो मैंगनीज	2815.14	2986.86

उत्खनन लीजें और अन्वेषण:

मॉयल का कुल लीज क्षेत्र 31 मार्च 2015 को 1730.096 हेक्टर था जिसमे से 700.066 हेक्टेयर भूमि महाराष्ट्र में और 1030.030 हेक्टर जमीन मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर और भंडारा जिलों में 841.71 हेक्टर भूमी कंपनी के लिए आरक्षित कर रखी है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने इन 814.71 हेक्टर आरक्षित क्षेत्रो में से 597.44 हेक्टर जमीन के प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस की मंजूरी की पूर्व सूचना दी है, शेष क्षेत्र मंजूरी के अलग–अलग चरणों में हैं। राष्ट्रीय भू–भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद ने मंजूर 597.44 हेक्टर प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस क्षेत्र के 6946 स्टेशन का गुरुत्व दृ चुंबकीय सर्वेक्षण पूर्ण किया। कोर ड्रिलिंग के अन्वेषण से ये पता चला की दो प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस क्षेत्र में मैंगनीज मोजूद है। शेष प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस क्षेत्र की कोर ड्रिलिंग जारी है।

मॉयल में अतिरिक्त संसाधनों / नये भंडारों को जांचना अन्वेषण का काम है। कोर ड्रिलिंग के अन्वेषण से 5.98 मिलियन टन के बगल के स्त्रोत का पता चला है। इससे मॉयल की कुल इन सीटू के भंडार स्त्रोत में बढोतरी हो के वो अब 77.38 मिलियन टन हो गई है।

उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी):

मॉयल में ईआरपी कार्यान्वयन सुचना के आधार पर निर्णय लेने के लिए सक्षम करने की सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सहज एकीकरण की परिकल्पना करता है, जो सभी स्तरों पर दर्शनीय और पारदर्शी है। एकल संव्यवहार आधार के साथ जिसे अघतन साझा किया जाता है और सम्पूर्ण संगठन द्वारा तैयार किया जाता है, व्यावसायिक कार्यों के सभी मास्टर डेटा का मानकीकरण प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद है। प्रक्रियाओं को विस्तार से सूचीबद्ध और अभिलेखित किया गया है। ईआरपी के लिए आरएफपी पहले ही प्रकाशित किया जा चूका है। कार्यान्वयन के संचालन समिति के साथ ही कोर का गठन क्र दिया गया है। सबसे बेहतर टीआरपी उत्पाद और सिस्टम इंट्रीगेटर का चयन खुली निविदा के आधारे किया गया और कार्यादेश दिया गया यह परियोजना अगले वर्ष में पूर्ण होने की उम्मीद है

भारत के माननीय राष्ट्रपति से, उकवा खान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्राप्त करते हुए

सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य:

आपकी कंपनी खानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देती है तथा अत्याधुनिक खनन तकनीक एवं खनन प्रचालन में यांत्रिकीकरण का समावेश करके सुरक्षा उपकरणों के मानकों में सुधार लाकर दुर्घटनाओं में कमी लाने का सतत प्रयास भी करती है। खानों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए है। सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण और पुर्नप्रशिक्षण देना।

- दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुरक्षा समितियों की सभा खानों पर नियमित तौर पर आयोजित की जाती है जिसमें सतर्कतापूर्वक दुर्घटना का विश्लेषण किया जाता है।
- अधिकतम संभावित सीमा तक दुर्घटनाएँ रोकने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के साथ
- घनिष्ट अंतरक्रिया ।
- विशेष प्रशिक्षण के अलावा प्रत्येक कर्मचारी को नियमित रुप से व्यावसायिक और **पुनश्चर्या** प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- सुरक्षा और पर्यावरण विभाग ने इन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये है:
    - ए) खानों में सुरक्षा,स्वास्थ्य,स्थायी विकास का महत्त्व
    - बी) खानों में आपदा प्रबंधन
    - स) खानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
- मॉयल को वर्ष के दौरान मनसर और उकवा खान में न्यूनतम चोट आवृत्ति के लिए प्रतिष्ठा के राष्ट्रीय पुरस्कार से 2012 के स्पर्धा के लिए महामहिम राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत किया गया था ।
- कंपनी को बेलडोंगरी और सीतापतोरे जैसी छोटी खानों को छोडकर सभी खानों के लिए ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है।

मॉयल की खान में वनीकरण

पर्यावरण संरक्षण:

आज के युग में इकोलॉजी संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदाय के विकास की प्रक्रिया में उसके पर्यावरण के अनुकूल रहने के साथ साथ उस समुदाय की विशिष्ट संस्कृति के अनुकूल रहना भी जरुरी होता है। आपकी कंपनी ने स्थायी विकास को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सक्रीय कदम उठाए है। कंपनी अपने पट्टाधारित क्ष्त्रेों एवं उसके आसपास के क्ष्त्रेों में पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में अपनी जिम्मेदारिओं प्रति पूरी तरह सजग है।

वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी की विभिन्न खानों में करीब 33,000 पौंधों का रोपण किया गया। अब तक कुल पौधों का रोपण 18.46 हो चूका है।

कंपनी ने सुखी/ बंजर जमीन और अपशिष्ट की जगह पर जेटरोपा के पौधों का रोपण करने का काम हाथों में लिया है, जिसके बिजों का उपयोग परिक्षण आधार पर जैव इंधन के उत्पादन में किया जायेगा। पर्यावरण – मित्र उघोग के तौर पर कंपनी ने बीस मेगावाट क्षमता का पवन उर्जा .फार्म मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया है, जिसमे से उत्पन्न 4.8 मेगावाट बिजली की खपत कंपनी में की जाती है तथा उत्पन्न बिजली में से 15.2 मेगावाट बिजली स्टेट ग्रिड को बेच दी जाती है।

रेतीघाटों सहित सभी सभी यूनिट को पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण मंजूरी मिल गई है।

सतर्कता सप्ताह 2014 के दौरान सतर्कता पत्रिका "SHUCHITA" के 3रा वार्षिक अंक का विमोचन

सतर्कता

सतर्कता विभाग के कामकाज के रूप में निवारक और दंडात्मक सतर्कता भी शामिल है और मुख्य जोर संगठन के सिस्टम में सुधार करने पर है। वर्ष 2014–15 के तहत सतर्कता विभाग की विभिन्न गतिविधियां निम्नलिखित रूप में हैं ।

1) आईएसओ 9001–2008: आईएसओ 9001:2008 सतर्कता विभाग का प्रमाणपत्र 22 मई, 2014 को फिर से मान्य किया गया है और यह प्रमाणपत्र 22 मई 2017 तक वैध है।

2) निरीक्षण : सामान्य और आकस्मिक निरीक्षण के लिए बीमा और विचलन के नियमों का पालन नियमित रूप से किया जाता रहा है।

3) ई–प्रशासनः स्क्रैपः अधिशेष वस्तुओं और मैंगनीज अयस्क की बिक्री ई–नीलामी के माध्यम से कि जा रही है। ई–खरीद मूल्य दहलीज मूल्य से ऊपर की खरीद और काम के ठेके के लिए किया जाता है।

4) सतर्कता की संरचित बैठकः मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) और स्टील मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, प्रबंधन के साथ सतर्कता विभाग की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कि जा रही हैं। 2014–15 के दौरान, दो बैठकें आयोजित की गई। इसमें ई–गवर्नेंस, लाभ प्रौद्योगिकी, निविदा प्रबंधन, कार्यों का पुरस्कार, भर्ती नीति आदि संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई ।

5) प्रौद्योगिकी का लाभ : आयोग परिपत्र के अनुसार, नियामक के निर्वहन में वेबसाइट का प्रभावी उपयोग, प्रौद्योगिकी का प्रवर्तन गतिविधियों और शिकायतों से निपटने पर जोर दिया जाता है। इसके मुख्य क्षेत्र अनुबंध और खरीद ये रहे हैं। ठेकेदारों ध् आपूर्तिकर्ताओं / सलाहकार / विक्रेताओं, आदि के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र, और ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं के बिल भुगतान की स्थिति को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता हैं। सभी निविदा दस्तावेज, भर्ती और स्थिति, नोटिस और अन्य प्रपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइटों पर पोस्ट किया जाता है।

6) नियमावली में सुधार : विभिन्न नियमावली जैसे खरीद नियमावली, काम और अनुबंध का मार्गदर्शन, कर्मियों का मार्गदर्शन, विपणन नियमावली आदि तैयार करना और उसे व्यवहार में लाना। सीवीसी और मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, नियमावली कंपनी की वेबसाइट / इंटरनेट और जरूरत के आधार पर अपडेट कर पोस्ट की जाती है।

7) निविदा और ठेकेः सीवीसी परिपत्रों के अनुसार, एक मूल्य सीमा के ऊपर सुनिश्चित करने के लिए जारी निविदा/ठेके हर महीने वेबसाइट पर पोस्ट किये जाते है और उस की निगरानी की जाती है।

8) प्रशिक्षण कार्यक्रम : 2014–15 में सतर्कता विभाग में तीन अलग–अलग स्थानों पर 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 215 कर्मचारी शामिल हुए थे। सुशासन संबंधित विषय जैसे सतर्कता और अन्य विकास,लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता आदि पर चर्चा कि गई ।

9) प्रणाली में सुधार : अध्ययन, निरीक्षण, शिकायत आदि के संबंध में अलग–अलग जांच के परिणाम परिणाम स्वरुप निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रणाली के सुधार के लिए परामर्श और सुझाव दिए गए हैः

   (i) भर्ती और पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया

   (ii) काम के ठेके में इस्टीमेट और रेट शेड्यूल्स की तयारी

   (iii) पूंजी परिसंपत्ति रजिस्टर का पुनर्गठन

   (iv) अभिलेखों का प्रतिधारण/ विनाश की नीति

   (v) सीसीटीवी और बॉयोमीट्रिक्स

श्री जी.पी. कुंदरगी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, मॉयल द्वारा सतर्कता सप्ताह के उद्घाटन

(vi) ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण

(vii) WVR (भार मात्रा अनुपात) में संशोधन

(viii) PAR का अभिग्रहण

(10) वार्षिक संपत्ति विवरण रू संगठन में 344 एक्झिक्युटिव्ह हैं और सभी ने अपने वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत किए है। सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार रिटर्न के 20 प्रतिशत की हर साल छानबीन की जाती है। तदनुसार, एक्झिक्युटिव्ह के वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच वर्ष के दौरान बाहर कि गई है।

(11) सतर्कता जागरूकता सप्ताह रूमॉयल ने 27 अक्तूबर से 1 नवंबर 2014 तक मॉयल के सभी कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने कंपनी की आंतरिक सतर्कता पत्रिका "सुचिता" के तिसरे वार्षिकांक का प्रकाशन किया, जिसका लोकार्पण मॉयल के सीएमडी ने किया। पत्रिका में मॉयल के इस सप्ताह के दौरान अलग अलग स्पर्धा, वर्क शॉप ओर व्याख्यान का आयोजन कर्मचारियों एवं स्कुल और कॉलेज के छात्रों के लिए किया गया ।

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वियन

भारत में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के साथ मॉयल ने इसके प्रभावकारी कार्यान्वयन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं ।

मॉयल ने अपने कार्पोरेट कार्यालय में प्रमुख जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया है तथा अपनी सभी खानों में जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी भी नियुक्त किए है। कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक) को इस अधिनियम केअंतर्गत 'अपीलीय प्राधिकारी' के तौर पर नियुक्त ६ पदनामित किया गया है। सभी जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in में दर्शाए गए है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के निर्देशों के अनुसार कंपनी और उसके कर्मचारियों के संबंध में जानकारी 17

शिर्षकों में तैयार की गयी हैं तथा इसे कंपनी के पोर्टल पर डाला गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक जानकारी एवं विवरण प्रस्तुत करती है तथा नियमित तौर पर इसे अपडेट करती रहती है।

इस अधिनियम का उद्देश्य एवं वास्तविक भावना के बारे में कंपनी के कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए भारी जागरूकता पैदा की गई है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर परिपत्रों को जारी करके ध्यान में लाया गया है तथा उनसे अपने नियमित काम में पारदर्शिता लाने और सभी अभिलेखों को उचित व्यवस्थित ढंग से रखने को कहा गया है। जनता के लिए भी कंपनी अपनी वेबसाईट में नियमित अंतराल के पश्चात स्वयं अधिक से अधिक जानकारी डालती है ? अपडेट भी करती है ताकि जनता को सूचना के अधिकारों को हासिल करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का कम से कम उपयोग करना पडे।

बडे पैमाने पर कर्मचारीयों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्तमान परिपेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालने के लिए संगोष्ठीयों का आयोजन किया जाता है।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कंपनी को सुचना के अधिनियम के अंतर्गत कुल 53 आवेदन प्राप्त हुए जिसमे 47 आवेदन स्वीकृत की गये, 6 अस्वीकृत किये गये। आरटीआई के अंतर्गत स्वीकृत कीये गये 9 अपील का वर्ष के दौरान निपटारा कर दिया गया।

मॉयल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया

प्रशिक्षण कार्यक्रम:

वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 126 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। इसमें 58 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है जिसे संचालित खानों पर के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में श्रमिकों के लिए आयोजित किया गया। कुल 4616 सहभागी लोगोंने विविध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें 1143 एक्झिक्युटिव्ह अधिकारी, 605 नॉन एक्झिक्युटिव्ह अधिकारी और 2868 श्रमिक शामिल थे। कुल मिलाकर वर्ष के दौरान 59824 श्रम दिन पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा कंपनी ने प्रशिक्षु अधिनियम 1961, के अंतर्गत विविध प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया।

मॉयल ने अपने कर्मचारीओं को प्रोत्साहन देने के लिए और उनके कौशल्य को दर्शाने के लिए उन्हें विविध मंच उपलब्ध कराया। इस दिशा में कौशल्य विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे तकनिकी व्यक्ति ने अलग अलग विभाग के उपक्रमों के तहत प्रतिरूप बनाने का कार्य दिया। मनसर प्रशिक्षण केंद्र पर मार्च 2015 में 'युवा प्रतिभा दिवस' मानाया गया। कुल 88 व्यापारी प्रशिक्षु कार्यक्रम में सहभागी हुए और 32 प्रतिरूप जो सृजनशील थे वो प्रस्तुत किये गये। तकनीकी टीम ने इनका मुल्माप्न कर सबसे बेहतर प्रतिरूप और टीम को पुरस्कार दिया।

श्रमिक कल्याण योजनाः

चिकलां खान में सामुदायिक भवन का उद्घाटन

मॉयल दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खानों के कर्मचारियों के साथ–साथ इसके समीप क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवास, पीने का पानी, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य शिबिर, स्कूल, रियायती ब्याज दर पर गृह कर्ज इत्यादि जैसी अनेक कल्याण योजनाएं चला रहा है। ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः

- ये मॉयल के लिए बेहद गर्व की बात है की इस्पात मंत्रालय के प्रशासन के तहत मॉयल पहली ऐसी पीएसयु है जिसने इसके सभी कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की है।
- जीवनशैली का स्तर सुधारने के लिए और कर्मचारियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मॉयल ने आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य किया हैं और इसे अधिकांश कर्मचारियों को निःशुल्क आंबटित किया है।
- कंपनी खान कालोनी में रहने वाले कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान कर रही है।
- कैम्पों की कॉलोनियां और सडकें अच्छी तरह से प्रकाशमान है। कर्मचारियों को रियायती दरों पर उनके निवास पर बिजली प्रदान की गई है।
- कंपनी ने खान पर अस्पताल की स्थापना की है जिसे योग्य डॉक्टरों और विधिवत पैरोमेडिकल स्टाफ द्वारा चलाया जा रहा है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग ओपीडी के साथ इनडोर वार्ड की व्यवस्था उपलब्ध है। आपातस्थितियों के लिए सभी अस्पतालों को एंबुलेंस वैन भी प्रदान की गई है। आवश्यकता के अनुसार मरीजों को चिकित्सा इलाज के लिए विशेष अस्पतालों में भेजा जाता है।
- मॉयल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी चिकित्सा बीमा शुरू किया है।
- कंपनी कुछ खानों में प्राइमरी स्कूल चलाने में मदद कर रही है जहां कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी खानों पर बच्चों की समीपवर्ती स्कूल/ कॉलेजों तक ले जाने के लिए स्कूल बसों की व्यवस्था की जाती है।
- कंपनी में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति तथा मेधावी छात्रों की लिए छात्रवृत्ति की योजना हैं। व्यावसायिक कोर्सेस में शिक्षा लेने के लिए श्रमिकों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- सीएसआर योजना के अंतर्गत स्थानीय बच्चों को बेहतर वातावरण देने के लिए उकवा और भारवेली में स्कूल इमारतों को पुननिर्मित किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए उठाये गये कल्याणकारी कदम:

मॉयल में दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार अपने रोल पर 6417 कर्मचारियों के साथ एक श्रमिक बहुत संगठन है। कुल मानवबल का लगभग 75.21 प्रतिशत अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग से है। जिसमें से 44.25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता हैं। आपकी कंपनी दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खानों के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले पददलित लोगों के विकास में भी गहरी रूचि ले रही है। खानों के निकट गावों को गोद लिया गया है तथा पीने के पानी की सुविधा, सडकों की मरम्मत. समय–समय पर चिकित्सा जांच और उपचार प्रदान किया जाता है। खानों के निकट स्कूलों में वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, पुस्तकें इत्यादि दी जाती है। मॉयल बहोत से ' समुदाय विकास कार्यक्रम ' का आयोजन खान के आसपास के चुने गये 21 गावों में करता है। ये सभी गांव नागपुर, भंडारा और बालाघाट जिले के पिछडे गांव है।

मॉयल के श्रम कल्याण योजना के तहत घरों का निर्माण

महिला सशक्तीकरणः

मॉयल में दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कुल मानवबल 6417 था जिसमें 829 महिला कर्मचारी थे जो कुल मानवबल का 12.92 प्रतिशत है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन से संबंधित मार्ग–दर्शन

जारी किये है। तदनुसार तीन अधिकारीयों की एक शिकायतसमिति 1999 में गठित की गई थी जिसमें एक महिला चिकित्सक का समावेश था तथा मार्च 2006 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया। तब से अब तक कंपनी की किसी भी खान या उसके निगमित कार्यालय से कोई उत्पीडन की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। महिला कर्मचारियों में जागृति पैदा करने के लिए दिशा–निर्देशों को व्यापक रुप से परिचालित किया गया है।

कंपनी की सभी खानों पर सक्रिय रुप से महिला मंडलों का कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से चल रहा है। खानों के दूर–दराज वाले इलाकों की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए वयस्क शिक्षा, रक्तदान शिबिर, नेत्र शिबिर, परिवार नियोजन, इत्यादि जैसेविभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सामुदायिक क्रिया–कलाप नियमित रुप से आयोजित किये जाते हैं। कंपनी मातृत्व छुट्टी प्रदान करती है कंपनी ने अपनी खानों में पर पालना घर स्थापित किए है तथा माताओं को बच्चों की परिचर्या हेतु समय दिया जाता है।

मॉयल के 53 वें स्थापना दिवस मनाते हुए

अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनी ने खानों पर स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की है जिनमें दूर–दराज के गांवों की महिलाएं शामिल हैं। उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए मोमबत्ती बनाने, कपडे धोने का पाउडर, कपडे धोने का साबुन, बांस की टोकरियां बनाने, सिलाई करने और तरह–तरह की अन्य व्यावसायिक गतिविधों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मॉयल को इस कार्यक्रम को बडी सफलता मिली ।

महिलाओं के कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत जरुरी प्रकटीकरण :

महिलाओं के कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में के प्रावधानों के अनुसार, एक यौन उत्पीड़न समिति को कंपनी में स्थापित किया गया है जो यौन उत्पीड़न के तहत प्राप्त मामलों को जांचेगी। समिति के सदस्य निम्न लिखित हैं :.

1.	श्रीमती. प्रीती जोशी, अध्यक्ष (कानूनी)	समिति की अध्यक्षा
2.	श्रीमती डॉ. भारती रंगारी, अध्यक्ष(एम.एस.)	सचिव
3.	श्री. नितिन पागनिस, अध्यक्ष (पीइआर)	सदस्य
4.	श्री. नीरज पांडये, कंपनी सचिव	सदस्य
5.	श्रीमती. उज्वला अभ्यंकर, प्रबंधक (पीइआर)	सदस्य
6.	श्रीमती.आशा सिंह, पूर्व –प्राचार्य	स्वतंत्र सदस्य

कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर समिति समिति के नाम अपलोड किये गये है।

वर्ष 2015–16 में यौन उत्पीडन शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है।

कुल प्राप्त शिकायतें	कुल निपटारा की शिकायतें	प्रलंबित शिकायतें
शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

कार्मिक

31-03-2015 को आपकी कंपनी के मानवबल की स्थिति नीचे दिये अनुसार है:

श्रेणी	कार्यकारी	गैरकार्यकारी	पी.आर.कर्मी	कुल
पुरूष	320	2536	2732	5588
स्त्री	19	119	691	829
कुल	339	2655	3423	6417

31.03.2015 को वर्गानुसार कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:

समूह	अनुसूचितजाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य	कुल
अ	30	8	36	130	204
ब	47	12	83	117	259
स	334	224	418	497	1473
ड	800	1321	1450	846	4417
सफाईकामगार	64	0	0	0	64
कुल	1275	1565	1987	1590	6417
कुलप्रतिशत	19.87%	24.39%	30.96%	24.78%	100%

नागरिक चार्टर एवं शिकायत निवारण यंत्रणा

- कर्मचारियों की शिकायत – मॉयल की अपनी शिकायत समाधान यांत्रिकी है, कार्यकारी और गैर कार्यकारी दोनों वर्गों के कर्मचारियों के लिए। तदनुसार, नियमानुसार कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा किया जाता है।
- मॉयल की शिकायत– निवारण यंत्रणा में प्रत्येक यूनिट के लिए एक मनोनित शिकायत अधिकारी होता है। प्रधान कार्यालय में नामजद शिकायत अधिकारी यूनिटों के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उनके साथ समन्वय करता है।
- जन शिकायत– सभी शिकायत अधिकारियों को उन उपायों के बारे में सूचित किया जाता हैं जिससे उनके यहां आने वाली शिकायतों का निपटारा किया जाना है। जन शिकायतों के समाधान के लिए अपनायी गयी प्रणाली का गठन अतीत में विभिन्न अधिकारियों से मिले प्राप्त निदेशों के आधार पर किया गया है।
- पीजी के लिए नामित निदेशकों द्वारा जन शिकायतों की आवर्ती निगरानी और विभाग के अन्य प्रभागों के पास भी मंत्रालय/ विभाग के स्वतंत्र विभागों के प्रभाग के लिए जन शिकायत निवारण यंत्रणा भी होती है।
- प्रधान कार्यालय पर यूनिटों से प्राप्त जानकारी के मूल्यांकन के आधार पर निगरानी की जाती है, शिकायत अधिकारी रिपोर्ट के आधार पर निगरानी करता है इसके अलावा प्रधान कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के माध्यम से परिवीक्षण करते हैं ।

01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के लिए लोक कर्मचारी शिकायतों की स्थिति

क्र.	शिकायतों के प्रकार	01-04-2014 को बकाया शिकायतें	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	31-03-2015 को लंबित मामलों की संख्या
1	सार्वजनिक शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	586	586	शून्य
		शून्य	586	586	शून्य

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास

मॉयल में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एक नियमित प्रक्रिया है। मॉयल कई वर्षों से सीएसआर गतिविधियां एक कृत संकल्प तरीके से कर रहा है। कंपनी ने एक सीएसआर नीति तयार की है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएसआर के अंतर्गत कई योजनाएं हाथों में ली गई है और कार्यान्वित की जा रही है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत चिकलां, जिला. भंडारा में मॉयल डी.ए.वी पब्लिक स्कूल

अपनी सीएसआर योजना के अंतर्गत शिक्षा और कौशल विकास की पहल में कंपनी ने भंडारा जिले के चिखला गांव में डी.ए.वी. पब्लिक स्कुल का निर्माण कार्य किया है जिसकी क्षमता 1400 छात्रों की है। जरुरतमंद ग्रामीण गरीबोंके लिए लाइट टू लाइव्स कार्यक्रम के अंतर्गत निशुक्ल मोतियाबिंद सर्जरी की जाती है। अब तक ऐसी 3000 मोतियाबिंद सर्जरी की जा चुकी है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत– स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत मॉयल ने 80 स्कूलों में 100 शौचालयों का अपेक्षित समय के अन्दर निर्माण किया है। जिसे भारत सरकार द्वारा सराहा गया। कंपनी ने सडकों एवं समुदाय भवन का निर्माण, जल निकायों की मरम्मत, पेय जल आपूर्ति सुविधा इत्यादि का आसपास के समुदाय में जहां कंपनी कार्यरत है वहां और अन्य विभागों में कई सारी पहल की है।

मॉयल के सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

इसी में कंपनी ने मॉयल फाउंडेशन नाम से एक संस्था/ न्यास कंपनीस एक्ट, 2013 के प्रावधान तहत सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए पंजीकृत किया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए **महाराष्ट्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण संस्थान (एमआईटीआरए)** डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, पुणे की एक सहयोगी संस्था है उनके साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर "सामुदायिक विकास कार्यक्रम" कर रहा है। बायो गैस, सौर लैंप और व्यक्तिगत शौचालय, अपनी खानों के आसपास के क्षेत्र में 21 गांवों में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजनाएं प्रदान करने, लाइव स्टॉक डेव्हलपमेंट, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट की जरूरत कंपनीस एक्ट, 2013 के तहत होती है जो अनुलग्नक – III जोडा गया है।

हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग :

खानों पर लगभग 97 प्रतिशत काम हिंदी में किया जाता है। कंपनी के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली सक्रीय कीगयी है। कंपनी ने कंप्यूटरों में हिंदी भाषा के सॉफ्टवेयर मुहैया कराये हैं और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है ताकि मॉयल के कर्मचारी अपने रोजमर्रा के कामों में उसका उपयोग कर सके ।

जीवन के लिए प्रकाश कार्यक्रम के तहत निरू शुल्क नेत्र जाँच

वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिकारिक भाषा अधिनियम,1963 के प्रावधानों के प्रसार और क्रियान्वयन के सतत प्रयास किये कंपनी हिंदी के प्रचार के लिए कर्मचारियों को निबंध प्रतियोगिता, टिप्पणी, आलेखन,कविता और लेख प्रतियोगिताएं में भागलेने के लिए प्रोत्साहित करती है और जिन्हें विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के "हिंदी शिक्षा कार्यक्रम" के अंतर्गत पुनरूप्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 312 कर्मचारियों को प्राज्ञ (उच्चतर स्तर) के लिए को प्रशिक्षण देने का काम प्रगति पर है।

इस्पात मंत्रालय के सहयोग से मॉयल ने दिल्ली में हिंदी सेमीनार का आयोजन किया था जिसमें 26 सीपीएसइएस के प्रतिनिधि और संयुक्य सचिव स्तर के अधिकारी एवं मंत्रालय के अन्य कर्मचायोंने भाग लिया था ।

"नगर राज्यभाषा कार्यान्वयन समिति" नागपुर ने मॉयल को हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए "प्रथम पुरस्कार नगर राज्यभाषा कार्यान्वयन समिति" दिया है। इसके अलावा गृह पत्रिका "संकल्प" को राज्यभाषा संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है।

मॉयल के अधिकारीयों और कर्मचारियों को अलग अलग स्पर्धा में जो समिती ने आयोजित की है उसमे सहभागी किया जाता है। कंपनी की कर्मचारियोंको अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित हिंदी स्पर्धाओं में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पुरस्कार और प्रशंसा :

मॉयल देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एक है जिसे निरंतर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए जाना जाता है। आपकी कंपनी को लगभग सभी क्षेत्रों में अपने अच्छे कामों के लिए राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय सम्मान प्राप्त होते आ रहे हैं। कंपनीको राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सम्मान में से कुछ का विवरण नीचे दर्शाये अनुसार है :

भारत के माननीय राष्ट्रपति से, मनसर खान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्राप्त करते हुए।

- मॉयल को वर्ष के दौरान मनसर और उकवा खान में न्यूनतम चोट आवृत्ति के लिए प्रतिष्ठा के दो राष्ट्रीय पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत किया गया था ।
- उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार (व्यक्तिगत) श्री. जी. पी. कुंदरगी, अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक, मॉयल भारतीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्था (IIIE) द्वारा पुरस्कृत ।
- गोल्ड अवार्ड्स–सिसिक्युसी–2014 क्वालिटी सर्कल फोरम, नागपुर द्वारा आयोजित ।

- श्रीलंका के कोलंबो में हुए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल सम्मेलन 2014 (ICQCC) में सिल्वर अवार्ड।
- कोयला और गैर–कोयला के लिए 45 वें अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता में मॉयल बचाव दल को 1 पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में खान सुरक्षा महानिदेशक के तत्वावधान में खान बचाव स्टेशन, रामगढ़, झारखंड में आयोजित किया गया।
- पीएसयू वर्ग में भोपाल विज्ञान मेला –2015 के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी।
- वर्ष 2013–14 के लिए 1.096 के एक समग्र स्कोर के साथ उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग, उत्तराधिकार में 19 साल, इस्पात मंत्रालय में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे ज्यादा है,

  डीपीई द्वारा निगमित प्रशासन में उत्कृष्ट ग्रेडिंग।

मॉयल स्थापना दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण

निदेशक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अध्यक्ष श्री.लोकेश चंद्रा, श्री.ए.के.मेहरा और अपूर्व चंद्रा कंपनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए है। मंडल सीएमडी और वर्ष के दौरान निदेशक मंडल से मुक्त हुए निदेशकों की सच्चे मन से सराहना करता है।

वर्ष के दौरान इस्पात मंत्रालय की संयुक्त सचिव कु. उर्विला खाती को भारत सरकार के मनोनीत निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया। । श्री. तन्मयकुमार पटनायक निदेशक (वाणिज्य), और श्री. एस.एस.शुक्ला मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मॉयल के निदेशक पर नामित निदेशक के रुप में नियुक्त किए गए है।

सभी स्वतंत्र निदेशक ने इस बात का घोषणापत्र दिया है की वे कंपनीस एक्ट, 2013 के धारा 149(6) के तहत स्वतंत्रता की पात्रता और लिस्टिंग अग्रीमेंट अनुच्छेद 49 के तहत पात्र है। स्वतंत्र निदेशक सामान्यतः 3 वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते है और उनका कार्यकाल 18.11.2016 को समाप्त हुआ ।

कंपनीज (लेखा) नियम, 2014 धारा 143(3) (q) और नियम (8)(5) के तहत निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) को ही कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव को मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति नियुक्त किया है।

श्रीमती उर्मिला खाती (बाएं से) संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

लेखांकन नीति में बदलाव:

वर्ष के दौरान कंपनी के खातों में ह्रास का चार्ज होने के कारण कंपनी अधिनियम, संबंधित 2013 के लागू होने से इसकी लेखांकन नीति बदल गई है।। द्वितीय अनुसूची के अनुसार इस अधिनियम में लेखा के नोट के नोट क्रमांक 1.2 के संकेत क्रमांक 2 इसी से संबंधित है। नीति में परिवर्तन से लेखाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडा है। कंपनी ने अपनी वर्तमान नीति में भी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने हेतु बदलाव किया है और लेखानिती में अतिरिक्त जानकारी को सरकारी लेखा निरीक्षक के सलाह पर शामिल किया है। इन बदलावओं से नीति के बयान में या कर्मचारीयों के लाभ में कोई बदलाव नहीं होगा बल्कि ज्यादा स्पष्टता आयेगी ।

नियुक्ति और पारिश्रमिक नीति:

भारत सरकार द्वारा तय की गई और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमनुसार नियुक्ति, कार्यकाल, निष्पादन मूल्यांकन, पारिश्रमिक नीति निदेशक बना रहे है। अधिकारीयों के पारिश्रमिक का निर्णय सरकारी दिशानिर्देशों जो वेतन समझौता और कंपनी के अन्य कर्मचारियोंके पारिश्रमिकनुसार एवं उनके संघ के साथ किये गये दस साल के समझौतेनुसार होता है। नियुक्ति/ पदोन्नति का निर्णय निदेशक ने मंजूर की गई भरती एवं पदोन्नति नीति के तहत होता है।

जोखिम प्रबंधन नीति:

मॉयल ये पहचानता है की ये व्यावसायिक गतिविधि में जोखिम होता ही है और प्रभावी जोखिम प्रबंधन कंपनी के तत्काल और भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति तहत एक प्रणाली स्थापित हुई है जो जोखिम के देखरेख में, सामग्री व्यापार के जोखिम प्रबंधन में और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में मदद करता है। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in में अपलोड की गई है।

निदेशक के उत्तरदायित्व संबंधी वक्तव्य:

1. आपके निदेशक ने कहां है की सामग्री विचलन से संबंधित वार्षिक खातों को तैयार करते समय उचित स्पष्टीकरण के साथ लागु लेखांकन मानकों को अपनाया गया है।
2. निदेशकों द्वारा लेखांकन नीतिया सुसंगत ढंग से चुनी और अपनायी गयी हैं और जो निर्णय लिए गये हैं और पूर्वानुमान लगाये गये हैं वे तर्कसंगत और दूरदर्शिता पूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के कामकाज की स्थिति का सत्य और निष्पक्ष परिदृश्य और उस वर्ष के दौरान कंपनी को हुए लाभ–हानि का सही विवरण दे सकें ।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधडी या अन्य अनियमितताओ को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लेखांकन अभिलेखों के रख–रखाव के लिए समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
4. वार्षिक खाते विकासशील संस्था के आधार पर तैयार किये गये है।

श्रीमती उर्मिला खाती, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय को श्री जी.पी. कुंदरगी खान की कार्यप्रणाली समझाते हुए

5. कंपनी द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन कियाजाएगा और कहा कि इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए निर्धारित कि गयी है।
6. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कानूनों के प्रावधानों के साथ इस तरह की उचित व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार की गयी है।

लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम की धारा 143 (5) की शर्तो के अनुसार एम/ एस जे.एस.उबेरोई ऐंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंटस, नागपुर को भारत के नियंत्रक एव महा लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए आपकी कंपनी का लेखा परिक्षक नियुक्त किया है। सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सलंग्न है जो स्वत: स्पष्ट है।

सचिवीय लेखा परीक्षक:

2014–15 वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक ने M/S,-मेहता ॲण्ड कंपनी, इंदौर (एम.पी.) को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। कंपनी के निदेशक के रचना के अलावा इस रिपोर्ट में कोई पात्रता नहीं दी गई है क्योंकि छह के बजाय केवल चार स्वतंत्र निदेशक है। एक सरकारी कंपनी होने के वजह से सभी निदेशक भारत सरकार की ओर से नियुक्त किये जाते है। निदेशक को इस बात पर विशवास है की भारत सरकार उर्वरित निदेशकों के नियुक्ति के प्रक्रिया के लिए प्रयासरत है।

संबंधित पार्टी गतिविधि:

कंपनी ने बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है ऐसे किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन में कंपनी ने प्रवेश नहीं किया है। बहरहाल, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के बारेंमे लेखा के नोट के क्रमांक 1.2 के संकेत क्रमांक 13 में खुलासा किया गया है। इसलिए कंपनी नियम (लेखा) 2014, के सेक्शन 134 (3) कंपनियों के तहत फॉर्म एओसी–2 में कोई प्रकटीकरण नहींकिया गया है। कंपनी कि संबंधित पार्टी गतिविधि नीति है और वहीं अपनी वेबसाइट www.moil.nic.in में अपलोड की गई है

कोलकाता में मॉयल के ग्राहक इंटरफेस बैठक

निगरानी तंत्र:

कंपनी के एक सीटी ब्लोअर नीति है और उसे कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड किया है। कंपनी का एक सक्षम और स्वतंत्र सतर्कता विभाग है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है, जो किसी भी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या उल्लंघन की निगरानी कर कंपनी के आचरण या नैतिकता नीति के तहत कार्य करता है। सभी व्यक्तियोंको सतर्कता विभाग

में प्रवेश होता है और वे अपनी शिकायते या चिंता बता सकते है। निगरानी तंत्र निदेशक और कर्मचारिओं को वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने स्थापित किया गया है। निगरानी तंत्र व्यक्तियों को जुल्म के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता हैं ।

लागत अंकेक्षण:

दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गये लागत लेखांकन अभिलेखों का अंकेक्षण करने के लिए कंपनी के लागत अंकेक्षण के रूप में मेसर्स उज्ज्वल पी. लोया ॲण्ड कंपनी की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने अनुमोदन किया है। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तिथि 27 सितम्बर 2015 है। निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार वर्ष 2013–14 के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट समय–सीमा के भीतर दाखिल की गई।

अन्य प्रकटीकरण:

1. अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी आत्मसात आदि का विवरण : कंपनीस एक्ट, 2013 की धारा 134 (3) के तहत एवं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत जरुरी अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी आत्मसात आदि से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक – II के रुप में सलंग्न है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।
2. विदेशी मुद्रा का आय–व्यय : कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान मैंगनीज अयस्क का कोई निर्यात नहीं किया ,समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष के 50.99 लाख रुपये के मुकाबले 33.40 लाख रुपये विदेशी मुद्रा खर्च की ।
3. कर्मचारियों का विवरण : कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 134 (3) के तहत एवं कंपनी (प्रबंधक व्यक्ति की नियुक्ति एवं भुगतान) नियम 2014 जो बार बार संशोधित किया गया उसके दायरे में शामिल कर्मचरियों के संबंध में जानकारी शुन्य है।
4. जमाएं : कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।
5. ऋण, प्रत्याभूति और निवेश : अधिनियम की धारा 186 के तहत कंपनी पर कोई ऋण,प्रत्याभूति और निवेश नहीं हैं।
6. लेखा परीक्षा समिति की संरचना : लेखा परीक्षा समिति की संरचना के बारे में जानकारी निगमित प्रशासन की रिपोर्ट के क्लॉज संख्या 3.1 (ए) में उल्लेख कर रहे हैं इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है जो
7. बोर्ड की बैठकों की संख्या : इस संबंध में जानकारी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के क्लॉज संख्या 2.2 में दिया जाता है जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।
8. सहायक कंपनी: मॉयल की कोई सहायक कंपनी नहीं है
9. वार्षिक रिटर्न की निकालें : धारा 92 के अनुसरण में (3) कंपनी अधिनियम, 2013 और शासन 12 (1) के रूप में कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण (फॉर्म MGT–9) के अनुबंध–चतुर्थ – 31/03/2015 के रूप में संलग्न है जो कि वित्तीय वर्ष में समाप्त हो गया हैं।

श्री नितिन गडकरी, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मॉयल मुख्यालय का अवलोकन करते हुए

२ संदिग्ध लेखों में अंशों का विवरण:

संदिग्ध लेखो में अंश का विवरण निम्नवत है:

विवरण	अंशधारकों की संख्या	अंशों की संख्या
दिनांक 01.04–2014 को संदिग्ध लेखो में प्रारंभिक जमा अंश/ अंशधारक	20	340
संदिग्ध लेखो अंश का हस्तांतरण करने लिए संपर्क करने वाले अंशधारक	06	102
जिन अंशधारकों के संदिग्ध लेखो से हस्तांतरित किए गये है उनकी संख्या	06	102
हस्तांतरित अंश की संख्या	0	0
दिनांक 31.03.2015 तक संदिग्ध लेखो में जमा अंश / अंशधारक की लंबित संख्या	14	238

जब तक ऐसे अंशों के वैध मालिक इन अंशों पर अपना दावा नहीं करते तब तक 31.03. 2015 को संदिग्ध लेखो में के इन अंशों पर मतदान का अधिकार नहीं रहेगा।

समझौता ज्ञापन (एमओयु):

मॉयल 20 वर्षों से अधिक समय से इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता (एमओयु) हस्ताक्षर कर रहा है। समझौता ज्ञापन विभिन्न लक्ष्यों और प्रदर्शन के मानकों को निर्धारित करता है ,जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वास्तविक उपलब्धियों पर निर्धारित किए जाते है। वर्ष 1995–96 से कंपनी लगातार उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त कर रही है। आपकी कंपनी ने एक बार फिर 19 वें वर्ष में 2013–14 के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त किया है।

परंपरा को कायम रखते हुए मॉयल ने वर्ष 2015–16 के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है।

निगमित अधिशासन:

कंपनी निगमित अधिशासन पर एक के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। निगमित अधिशासन पर एक भाग अलग से जुडा गया है और अनुलग्नक – v के रूप में संलग्न है, जो निदेशक की रिपोर्ट का एक भाग है।

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण :

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक – vi में प्रस्तुत की गई है।

औद्योगिक संबंध

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर माननीय मंत्री, इस्पात और खान, दीप प्रज्वलित करते हुए

वर्ष 2014–15 के दौरान हमारी कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहा कंपनी ने इस दौरान कोई भी कम बंद अथवा श्रम आंदोलन की घटना नही हुई। बेहतर उत्पादन और उत्पादकता की गति को बनाये रखा गया। संगठन के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए तथा शिकायतों के निवारण हेतु शीघ्र निर्णय लेने के लिए खान स्तर और निगमित स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया। जो संतोषजनक रीति से कार्य कर रही है।

आभार ज्ञापन :

आपके निदेशक भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, कंपनी के अंशधारको, बैंकर्स, मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और सभी पणधारियों द्वारा दिए गये बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते है।

कंपनी के कर्मचारीओं द्वारा लगातार उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयासों में अपनी पुर्णतः प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। आपके निदेशक इस अवसर पर कर्मचरियों द्वारा बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करते है एवं आशा करते है की आनेवाले वर्षों में भी वे इसी उत्साह एवं समर्पण की भावना से काम करेंगे ताकि कंपनी को और अधिक उंचाई पर ले जा सके ।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 23 .07.2015

जी. पी . कुंदरगी.

अध्यक्ष – सह– प्रबंध निदेशक

मनसर खान, रामटेक, नागपुर में ऊर्ध्वाधर शाफ्ट का उद्घाटन कार्यक्रम

अनुलग्नक I

फॉर्म क्रमांकः AOC 1.

अनुषंगी / सहयोगी कंपनी / संयुक्त उपक्रम के वित्तीय विवरण के मुख्य विशेषताओं को समाहित करनेवाला विवरण (कंपनी (लेखा) अधिनियम , 2014 की धारा 129 उपधारा(3) और नियम 5 के तहत)

भाग "ए" : सहायक कंपनी

मॉयल की कोई सहायक कंपनी नहीं है

सभी अनुषंगियों की जानकारी की रकम रुपयों में प्रस्तुत की गई है।

1.	क्र. संख्या	लागू नही
2.	अनुषंगी का नाम	
3.	अनुषंगीयोंके बारेमे जानकारी देने का कालावधि अगर नियंत्रक कंपनी के जानकारी देने के कालावधीसे अलग हो तो	
4.	चलन एवं विनिमय दर की जानकारी जो प्रस्तुत आर्थिक वर्ष के विदेशी अनुषंगीयोंसे संबंधित है	
5	अंश पूंजी	
6.	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	
7.	कुल संपत्ति	
8.	कुल दायित्व	
9.	पूंजी	
10.	कुल बिक्री	
11.	कर के पहले का लाभ	
12.	कर का प्रावधान	
13.	कर के बाद का लाभ	
14.	प्रस्तावित लाभांश	
15.	प्रतिशत	
	टिपण्णी	
1.	अनुषंगीयोंके नाम जो अभी तक परिचालित नहीं है	
2.	ऐसी अनुषंगियां जो इस वर्ष के दौरान निर्धारित या बिक्री की गई है	

खंड "बी": सहयोगी और संयुक्त उपक्रम

कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 129 (3) के तहत कंपनियों का और संयुक्त उपक्रमों का विवरण

	सहभागी एवं संयुक्त उपक्रमों के नाम	रिन मॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि.	सेल मॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि.
1.	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलनपत्र की दिनांक	31.03.2014	31.03.2014
2.	सहभागी/ संयुक्त उपक्रमों के शेयर्स जो वर्ष के अंत में कंपनी के पास थे		
	कुल संख्या	1 लाख शेयर	1 लाख शेयर
	सहभागी एवं संयुक्त उपक्रमों में किया गया पूंजी निवेश	10 लाख रु.	10 लाख रु.
	स्वामित्व सीमा प्रतिशत	50%	50%
3.	जहां महत्व और प्रभाव है उसका विवरण	50 प्रतिशत शेयर स्वामित्व गुण के द्वारा	

सहभागी एवं संयुक्त उपक्रमों के नाम		रिन मॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि.	सेल मॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि.
4.	सहभागी एवं संयुक्त उपक्रमों को समेकित न किये जाने का कारण	G.S.R. 723(E) 14.10.2014 की/ अधिसूचना के अनुसार	
5.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शुद्ध मूल्य जो शेयर्स स्वामित्व के अनुसार है	-	-
6.	वर्ष की लाभ/ हानि		
i.	समेकित में समाहित	शून्य	शून्य
ii.	समेकित में समाहित न किया गया	.	शून्य (-)0.19 करोड

1. सहभागी एवं संयुक्त उपक्रमों के नाम जो अभी तक परिचालित नहीं है
   - i. रिनमॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि.
   - ii. सेल मॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि.
2. सहभागी एवं संयुक्त उपक्रमों के नाम जो इस वर्ष के दौरान निर्धारित या बिक्री की गई है ए लागू नही

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

मुकुंद पी.चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितिन पी. काजरेकर
महाव्यवस्थापक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय निदेशक

अंशधारकों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट - अनुलग्नक II

ऊर्जा संवर्धन और प्रौद्योगिकी के अवशोषण के संरक्षण के संबंध में ब्यौरे का खुलासा करने के लिएकंपनी अधिनियमए 2013 की धारा 134 (3) के तहत कंपनियों का और संयुक्त उपक्रमों के द्य विवरणों का प्रकटीकरण

(ए) ऊर्जा संरक्षण

1	ऊर्जा के संरक्षण पर प्रभाव डालने के लिए उठाए गए कदम	प्रभाव	बचत की गयी रकम (लाख में)
	(1) बालाघाट खानः 1. 11 केवी संधारित्र बैंक की स्थापना 2. 4000 सीएफएम कंप्रेसर की स्थापना 3. पुराने सेंट्रीफुगल पंप की प्रतिस्थापना ।	वर्ष 2013–14 की तुलना में बिजली की खपत वर्ष 2014–15 से 8.16 लाख केडब्ल्यूएच कम हुई है ।	67.97
	(2) फेरो मैंगनीज संयंत्र, बालाघाट में कच्चे माल की गुणवत्ता पर निगरानी प्रक्रिया और सुधार	वर्ष 2013–14 की तुलना में बिजली की खपत वर्ष 2014–15 से 10.61 लाख केडब्ल्यूएच कम हुई है ।	62.81
	(3) उकवा खानः पुराने सेंट्रीफुगल पंप की प्रतिस्थापना	वर्ष 2013–14 की तुलना में बिजली की खपत वर्ष 2014–15 से1.34 लाख केडब्ल्यूएच कम हुई है ।	12.16
2	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	खान में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया चालू है ।	
3	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश;	कार्य का वर्णन	निवेश (लाख में)
		(1) बालाघाट खानः 1. 11 केवी संधारित्र बैंक की स्थापना 2. 4000 सीएफएम कंप्रेसर की स्थापना 3. पुराने सेंट्रीफुगल पंप की प्रतिस्थापना ।	10.57 109.74 24.62
		(2) फेरो मैंगनीज संयंत्र, बालाघाट में कच्चे माल की गुणवत्ता पर निगरानी प्रक्रिया और सुधार	शून्य
		(3) उकवा खानः पुराने सेंट्रीफुगल पंप की प्रतिस्थापना	10.48
		कुल निवेश	**155.41**

(बी) तकनीकी समावेश

(i) कंपनी के प्रयासों से अनुसंधान एवं विकास उपक्रम और लाभ के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्ति हुई।

क्र.	क्षेत्र	प्राप्त लाभ
1	सतत विकास की रूपरेखा (पर्यावरण)	सतत विकास फ्रेमवर्क (एसडीएफ), के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देश अनुसार डोंगरी बुजुर्ग खान बंद करने और वैज्ञानिक मूल्यांकन की योजना भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईआईएसटी) संस्थान द्वारा तैयार की गई है।
2	खनिज संस्करण	उच्च कार्बन फेरो मैंगनीज केउत्पाद की गुणवत्ता के सुधार के लिए बालाघाट खान में मिश्र धातु के प्रक्रिया प्रवाह का अध्ययन सीएसआईआर–राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल, जमशेदपुर) में चल रहा है।
3	भूमिगत मशीनीकरण	जंबो ड्रिल मशीन–सिंघल बुमेर विद्युत हाइड्रोलिक ड्रिलिंग मशीन बालाघाट खान में भूमिगत शीर्षकों और स्टोप ड्रिलिंग के लिए स्थापित की गई । बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता के लिए ब्लास्टडिजाइन पैटर्न आईआईटी, खड़गपुर की वैज्ञानिक जांच के माध्यम से तैयार किया गया । इससे बालाघाट खान में भूमिगत शीर्षकों, स्टोपउत्पादकता और सुरक्षा के तेजी से विकास के लिए मदद हुई है ।

4	गुरुत्व चुंबकीय पद्धति से भू–भौतिकीय पूर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण	राष्ट्रीय भू–भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआइ) हैदराबाद,संसाधनों की उच्च गति के लिए भंडारा जिलों के पूर्वेक्षण लाइसेंस क्षेत्रों में मैंगनीज अयस्क भंडार/ संसाधनों की उच्च गति के अन्वेषण के लिए गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय पद्धति से भू–भौतिक पूर्वेक्षण के काम में लगा हुआ है।
5	अयस्क भंडार का अन्वेषण	यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमे अयस्क शरीर और आसपास के क्षेत्रों में कोर ड्रिलिंग मशीन कंपनी द्वारा अन्वेषण ड्रिलिंग कोर ड्रिलिंग छेद से पता लगाया जा रहा है जो गहरी खोज के आउटसोर्सिंग के द्वारा किया गया है। इस तरह से , कंपनी हर साल अयस्क भंडार ६ संसाधनों को जोड़ रहीं हैं ।
6	खनिज संरक्षण	बहुमूल्य खनिज और भूमिगत खान के कामकाज की बेहतर सुरक्षा के संरक्षण के लिए, भूमिगत स्टोपिंग के लिए नए स्टोप डिजाइन मानकों की निर्मिती चिखला खान के लिए राष्ट्रीय रॉक मैकेनिक्स संस्थान (एनआईआरएम), (केजीएफ) द्वारा तैयार की गई है। इससे इनसितु में अवरुद्ध खनिज को कम करने में मदद मिलेगी।
7	खान सुरक्षा (रॉक मैकेनिक्स उपकरण)	बालाघाट खान की लेवल इंटरवेल को मौजूदा 30 मीटर से 45 मीटर तक बढाने के लिये 12 वीं स्तर रॉक मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और डेटा की निगरानी भूमिगत कामकाज की सुरक्षा के लिए खनन एवं इंधनअनुसंधान के केंद्रीय संस्थान (सीआईएमएफआर) ,नागपुर के सहयोग से की जा रही है।
8	खान पर्यावरण	भूमिगत स्थिति में सुधार लाने के लिए, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) द्वारा संचालित वेंटिलेशन रिकग्नाइज अध्ययन, खारपुर (गुमगांव खान) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बालाघाट खान में गुमगांव खान में प्रौद्योगिकी (आईआईटी),खड़गपुर के भारतीय संस्थान और खान (आईएसएम) इंडियन स्कूल आयोजित किया गया। इससे भूमिगत वेंटिलेशन में सुधार के लिए मदद हुई है और सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार हुआ है।
9	ॲनालायझर विश्लेषक	कंपनी को सफलतापूर्वक खानों में और नागपुर में कंपनी के निगमित में एक्सआरएफ ॲनालायझर शुरू किया है। इससे ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार हुआ है।
10	कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक	खुली खानों में भूमी कंपन और फ्लाय रॉक्स समस्याओं को सुलझाने में सीआईएमएफआर और व्हीएनआयटी जुटे हुए है। इन अध्ययनों के साथ कंपनी की खुली खानों की सुरक्षा के मानक में सुधार हुआ है।
11	पर्यावरण के अनुकूल मशीन	आधुनिक उच्च तकनीक हीड्रास्टाटिक पर्यावरण के अनुकूल ड्रिलिंग मशीन बेहतर स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खुली खान में तैनात कि गई है।
12	सुरक्षा मानकों में सुधार	वर्तमान पूर्व खनन में और मदद को जोडते हुए अतिरिक्त रूफ बोल्ट्स और मेकनिकल स्टील प्रॉप्स और चोक्स का इस्तेमाल किया गया। इससे भूमिगत खानों की सुरक्षा के स्तर में सुधार हुआ है और लकड़ी की बचत हुई है ।
13	रेत के लिए विकल्प भरने सामग्री के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान	सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना व्हीएनआयटी, नागपुर के साथ चल रही है। पायलट हाइड्रोलिक नौभरण संयंत्र को व्हीएनआयटी परिसर में अध्ययन के लिए स्थापित किया गया है । यह खानों में नौभरण के लिए रेत के बजाय कुछ वैकल्पिक सामग्री दे देंगे ।
कुल मिलाकर, ऊपर के एक परिणाम के रूप में, इन प्रयासों से खनन कार्य में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार दिखाई दिया है । इस विकास के साथ, तीव्र खान तकनीक जैसे लंबे छेद ड्रिलिंग जिससे शीर्षकों का विकास, एसडीएल द्वारा भूमिगत स्टोप्स के रोम में यांत्रिकीय व्यवहार को शुरू किया गया । भू–भौतिकीय पूर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण कोर ड्रिलिंग के लिए नए क्षेत्रों लक्षण दिखाई दे रहें है ।		
14	वीएफडी संचालित कंप्रेसर और एचवी मोटर के द्वारा संचालित 4000 सीएफएम कंप्रेसर का परिचय।	संपीडित हवा द्वारा संचालित उपकरणों की वजह से ऊर्जा की खपत 1–2ः की कमी आयी है ।

(ii)	आयात प्रौद्योगिकी का विवरण	शून्य
(iii)	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च (करोड़ रुपये में)	6.00

अनुलग्न . III

निदेशकों की रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियां वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने का प्रारूप

1. **कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा , जिसमें परियोजनाओं का अवलोकन या आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम और सीएसआर नीति एवं प्रकल्प या कार्यक्रम का वेबलिंक से सदर्भ शामिल है ।**

◊ सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी के लिए दिशा निर्देश निश्चित कर समान रूप से अपनी आंतरिक संचालन के संबंध में समाज और पर्यावरण के पर्याप्त विकास के लिए सीएसआर और स्थिरता के सभी पहलुओं पर एक संतुलित जोर देने के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार प्रक्रिया बनाने के लिए उपलब्ध गतिविधियों और प्रक्रियाओं, साथ ही में बाहर के लिए उनकी प्रतिक्रिया जॅाचना है। सीएसआर और स्थिरता एजेंडा आंतरिक हितधारकों (एक कंपनी की विशेष रूप से, कर्मचारी) के लिए समान रूप से लागू माना जाता है।

◊ मॉयल के परियोजना क्षेत्रों में एक स्थायी आधार पर समुदायों और हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभा द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए एक प्रतिबद्धता के रूप में सीएसआर की परिकल्पना की गई है। कंपनी यह समाज के पर्याप्त विकास के साथ ही पर्यावरण के लिए कारवाई करने एवं इस प्रक्रिया के लिए सदस्यता लेने के लिए, एक अच्छे निगमित नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए भी चलाती है।

◊ सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों का मुख्य जोर क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरे और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास, शिक्षा और समाज के निचले तबकों के, और विशेष रूप से परियोजना क्षेत्र में रहने वाले सामान्य लोगों के उत्थान के लिए है। इन प्रकल्पों में निम्न लिखीत बातों का समावेश है:

✓ **मौलिक जरूरते**

पेय जल, मानव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पशु स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई । पीने का।

✓ **पर्यावरण**

पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण, वायु और जल प्रदूषण का नियंत्रण, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत । जल, अपशिष्ट या ऊर्जा प्रबंधन, उर्जा के स्त्रोतोंका पुनः उपयोग और जैव विविधता संरक्षण । अपशिष्ट पदार्थोंका कम उपयोग और पुर्नपयोग एवं पुर्ननिर्मिती, बारिश से जल संचयन की रिसायकल और जमीनी पानी की आपूर्ति, सुरक्षा, संरक्षण और बहाली के लिए पर्यावरण व्यवस्था , कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए ऊर्जा कुशल और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तकनीक का उपयोग ।

✓ **विकासात्मक**

ग्रामीण और पिछडे क्षेत्रों में सड़कें, रास्ते, पुल, और बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य,

✓ **सामाजिक**

लैंगिक समानता, वृद्धाश्रम, हॉस्टल, सामुदायिक केंद्र, रैन बसेरों को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, कमजोर वर्गों का कल्याण ।

✓ **क्रीडा एवं खेल कूद**

✓ **भारतीय परंपरा का जतन करने के लि, विरासत, कला, संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देना।**

वेबलिंक: http://moil.nic.in/writereaddata/PDF/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf

2. **सीएसआर समिति की संरचना (31.03.2015 तक)**

1	श्री. जी. इस. ग्रोवर	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2	कु. सुनंदा प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3	श्री. ए.के.झा	निदेशक (उत्पादन और योजना)- सदस्य

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों से कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: 670.91 करोड़ रुपए (लगभग)**

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय: 13.42 करोड़ रुपये (यानी, पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत)**

5. वित्तीय वर्ष (2014-15) के दौरान सीएसआर खर्च विवरण *

(ए) वित्तीय वर्ष के लिए कुल राशि खर्च किया जाना: ₹ 13.57 करोड मे (मॉयल फाउंडेशन मॉयल द्वारा स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी के कोष के लिए योगदान करने की दिशा में ₹4.64 करोड़ सहित नियम '2014 कंपनियों के नियम 4 (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) में उल्लेख किया है , विशेष रूप से सीएसआर गतिविधियों को ले जाने के लिए।

(बी) यदि, कोई खर्च नहीं की गई राशि; **शून्य**

(सी) वित्त वर्ष के दौरान जिस तरह से राशि खर्च की गई का विवरण नीचे दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या निर्धारित उपक्रम	जिस क्षेत्र में परियोजना को पूरा किया जाना है ।	परियोजना या कार्यक्रम १. स्थानिक इलाका या अन्य २. प्रदेश या जिला जहां परियोजना या कार्यक्रम लिया जाना है ।	राशि परिव्यय (बजट) या परियोजना या कार्यक्रम नुसार	परियोजनाओं/ जनसंपर्क कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि : १. परियोजना या कार्यक्रमों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय २. उपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि के लिए संचयी व्यय	राशि खर्च : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	नगर भवन की रचना (सार्वजनिक भवन)	ग्रामीण विकास	गांव : खापा जिला : नागपुर महाराष्ट्र	76.10	76.10	98.01	मेसर्स प्राइम इन्फ्रास्ट्रक्चर
2	सार्वजनिक भवन की रचना	ग्रामीण विकास	गांव : मोख्खेड जिला : चिंचवाडा (एम पी)	36.66	39.42	46.43	मेसर्स विनोद हजारे
3	उपसडक की रचना	ग्रामीण विकास	गांव : सीतासाओंगी जिला : भंडारा (महाराष्ट्र)	67.23	67.23	89.86	मेसर्स एस. एच. चाकोले
4	वर्षा जल संचयन हेतु अवरोध बांध की रचना	ग्रामीण विकास	गांव : चिंचोली रोड जिला : नागपुर(महाराष्ट्र)	10.00	6.35	6.35	मेसर्स प्रभाकर फिटिंग वर्क्स
5	उपसडक की रचना	ग्रामीण विकास	फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	6.95	6.95	11.95	मेसर्स एचएससी एल
6	सेंट जोसेफ स्कुल के लिए उपसडक की रचना	ग्रामीण विकास	गांव : चिंचोली रोड जिला : नागपुर महाराष्ट्र)	10.00	33.00	33.00	मेसर्स एच. के . गुरुबक्षनी
7	सीमेंट कोंक्रिट उपसडक की रचना	ग्रामीण विकास	गांव : डोंगरी बुजुर्ग जिला : भंडारा	41.00	41.00	41.00	मेसर्स हमीद सय्यद

8	विविध सामुदायिक विकास कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	नागपुर (महाराष्ट्र) के २१ गांव भंडारा एवं बलाघाट जिला मध्यप्रदेश	369.86	50.00	50.00	महाराष्ट्र इंस्टिट्यूट टेक्नोलॉजी स्थलांतर (मित्रा)
9	ग्रामीण विकास से सम्बंधित अन्य काम जैसे : i) चुने हुए २१गावों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट की तैयारी ii) सहायक सामग्री के साथ स्ट्रीट लाइटकी आपूति iii)सुरक्षा छात्र की निर्माण iv)स्ट्रीट लाइट्स पुर्नविन्यास	ग्रामीण विकास	नागपुर के २१ गांव गांव, महाराष्ट्र , भंडारा और बालाघाट जिला (एमपी) डीपीआर के अनुसार गांव : बालाघाट जिले के अवलाझेरी , भारवेली , हि हिरापुर , भटेरा (एमपी) गांव रू सिंदपुरी भंडारा जिला गांव : चिंचोली रोड, जिला : नागपुर महाराष्ट्र	30.00	10.21	10.21	मित्रा
10	(ए) मंद रोशनी और बंद हो चुकी लाइट्स	स्वास्थ्य सेवा	नागपुर और भंडारा जिला के विभिन्न गांव (महाराष्ट्र)	74.09	44.98	136.18	मेसर्स सूरज नेत्र संस्थान, नागपुर
	(बी) स्वास्थ्य सेवा संबंधी अन्य काम जैसे: i) १०० से अधिक गरीब जरूरतमंद मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता iii) अपाहिज व्यक्तियों के कल्याण हेतु सहायता iv)स्कुल ही विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों के खरीदी हेतु सहायता v) समाज के लिए प्रायोजकत्व	स्वास्थ्य सेवा	नागपुर महाराष्ट्र	25.00	2.98	2.98	 लता मंगेशकर अस्पताल नागपुर गैर सरकारी संस्था अल्पना नागपुर गैर सरकारी संस्था एनए डब्लूपीएच नागपुर आम्रपाली उत्कर्ष संध-सामजिक संस्था डीएमआय अभियान न्यास नागपुर

11	डीएव्ही मॉयल पब्लिक स्कुल	शिक्षा/ साक्षरता	गांव रूचिकला जिला रू भंडारा महाराष्ट्र	192.67	128.32	722.33	मॉयल
12	दो कक्षाओं का बरामदे सहित निर्माण	शिक्षा/ साक्षरता	जोनपुर उत्तर प्रदेश	12.03	12.03	20.42	मेसर्स भगवती चंद
13	चिकला में स्कुल का निर्माण और नुतनीकरण	शिक्षा/ साक्षरता	गांव : चिकला जिला : भंडारा महाराष्ट्र	7.57	7.57	7.57	मेसर्स एस.पी. शेख
14	बालाघाट, उकवा और चिकला के आरएनटी स्कुल को दत्तक लेना	शिक्षा/ साक्षरता/ खेल	बालाघाट में बालाघाट और उकवा जिलारू मध्यप्रदेश और चिकला, जिला भंडारा	26.00	26.00	26.00	मॉयल
15	शिक्षा और कौशल्य विकास के संबंधी अन्य कार्य	शिक्षा/ साक्षरता/ खेल		10.00	7.50	7.50	मॉयल
	(i) खेल के विकास हेतु अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता को सहायता		बालाघाट (मध्य प्रदेश)				नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट
	(ii)विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरण की खरीदी		नागपुर (महाराष्ट्र)				आम्रपाली उत्कर्ष संस्था, नागपुर
	iii) आरएनटीस्कुल को पुस्तकों की आपूति		बालाघाट (मध्य प्रदेश)				मॉयल
	iv) मोबाइल ग्रंथालय		नागपुर (महाराष्ट्र)				उपाय ,गैर सरकारी संस्था, नागपुर
	भारत सरकार के स्वच्छ भारत – स्वच्छ विद्यालय अभियान अंतर्गत शौचालयों का निर्माण	शिक्षा/ साक्षरता/ खेल	मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न गांवों में	300.00	256.00	256.00	मेसर्स योगेश भागडेए मेसर्स के.सी. दासए मेसर्स अभिषेक कंस्ट्रक्शन मेसर्स इरफान अहमद मेसर्स विनोद हजारे

16	ए) गांव में बोअरवेल्स के जरिये पेयजल आपूर्ति	पिने का पानी	भंडारा, नागपुर और जिले के बेहद से पिछडे गांव	40.00	40.00	40.00	मेसर्स पी. आर बोअरवेल्स
	बी) जल आपूर्ति संबंधित अन्य कार्य						
	i) जल आपूर्ति योजना का संचालन एवं रखरखाव		गांव रू अवलाझरी जिला रू बालाघाट मध्य प्रदेश)	10.00	1.72	1.72	मॉयल
	ii) वोटर कूलर लगाकर पेयजल आपूर्ति		रामटेक जिला नागपुर महाराष्ट्र				
	iii)वोटरबूथ की स्थापना		नागपुर महाराष्ट्र				
17	ए) सुरंगों की जगह वनरोपण : बाड लगाकर पौधे लगाना	पर्यावरण स्थिरता	बालाघाट ,उकवा मध्य प्रदेश में और डोंगरी , चिकला महाराष्ट्र में	30.00	30.00	30.00	मॉयल
	बी) वृक्षारोपण के संबधी अन्य कार्य शामिल:				6.21	6.21	मॉयल
	(i) वृक्षारोपण का रखरखाव		नागपुर महाराष्ट्र				
	(ii) पेडों की रखवाली		गांव : साकोली जिला : भंडारा महाराष्ट्र				
18	मॉयल फाउंडेशन समुह के सीएसआर कार्य हेतु योगदान			-	464.00	-	मित्रा
			कुल	**1398.16**	**1357.57**	**-**	

6. विहित रकम व्यय न कर पाने के कारण – लागू नही

7. जिम्मेदाराना बयान

संगठित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) नीति के क्रियान्वयन और निगरानी ये सीएसआर उद्देश और कंपनी की नीति के अनुकूल है ।

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय निदेशक

श्री जी.एस. ग्रोवर
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

अनुलग्नक. IV

वार्षिक विवरण का उद्धरण

कंपनीस एक्ट , 2013 की धारा 92 (3) के तहत और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम , 2014 के अंतर्गतप

Form No. MGT-9

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

सीआयएन	L99999MH1962GOI012398
पंजीकरण नोंदणी दिनांक	22.06.1962
कंपनी का नाम	मॉयल लिमिटेड
कंपनी की श्रेणी तथा उप श्रेणी	सार्वजानकि कंपनी / अंश से मर्यादति
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	1-A, काटोल रोड, नागपुर दृ 440013. **इमेल आयडी:** compliance@moil.nic.in **वेबसाइट :** www.moil.nic.in **टेलि फेक्स:-** 0712-2806182 / 100
कंपनी सुचिबद्ध है या नहीं	है
रजिस्टार और स्थानांतरित एजेंट का नाम, पता,संपर्क और अन्य के विवरण	बिगशेयर सर्विस प्रा. लि. E. 2–3 अन्सा इंडस्ट्रियल इस्टेट, साकी–विहार रोड , साकीनाका, अंधेरी पूर्व मुम्बइ. **टेलि:** 91-22-2847 0652 | 40430200| 28470653 **फेक्स:** 91-22-2847 5207 **इमेल:** investor@bigshareonline.com

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी की वो सभी व्यावसायिक गतिविधियां जिसका कंपनी के कुल बिक्री में 10 प्रतिशत या जादा का योगदान है वो इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	नाम एवं मुख्य उत्पादन/ सेवा की जानकारी	उत्पादन/ सेवा का एनआयसी कोड	कंपनी के कुल बिक्री में से प्रतिशत
1	मैंगनीज अयस्क	072	91.05%

III. स्वामित्व/ अनुषंगी/ सहयोगी कंपनी का विवरण

क्र. संख्या	कंपनी का नाम एवं पता	सीआयएन/ जीएलएन	स्वामित्व/ अनुषंगी/ सहयोगी	% शेयरधारक	उपयुक्त अनुभाग
1	रिनमॉयल	U27101AP2009PTC064546	सहयोगी	50%	2(6)
2	सेल मॉयल	U27101CT2008PTC020786	सहयोगी	50%	2(6)

IV. शेयरधारिता स्वरुप (इक्विटी शेयर पूंजी कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में ब्रेक-अप)

श्रेणी के लिहाज से शेयरधारिता

		01.04.2014 के शुरुवात में कुल अंश की संख्या				31.03.2015 के अंत में के कुल अंश की संख्या				% बदल
		डीमैट	भौतिक	कुल	% कुल शेयर	डीमैट	भौतिक	कुल	% कुल शेयर	
प्रमोटर एवं प्रमोटर समूह										
1. भारतीय										
(ए)	व्यक्तिगत/ एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(बी)	केंद्र/ प्रदेश सरकार	134400000	0	134400000	80.00	134400000	0	134400000	80.00	0.00
(सी)	निगमित समिति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(डी)	वित्तीय संस्था/ बँक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ई)	अन्य (उल्लखित)									
उपकुल (ए) (1) :		**134400000**	**0**	**134400000**	**80.00**	**134400000**	**0**	**134400000**	**80.00**	**0.00**
2. विदेश										
(ए)	अनिवासी भारतीय/ व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(बी)	निगमित समिति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(सी)	संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(डी)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ई)	अन्य (उल्लखित)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप कुल (ए) (2) :		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रमोटरों और प्रमोटर समूह की कुल शेयर धारना	**(ए)=(ए)(1) + (ए)(2)**	**134400000**	**0**	**134400000**	**80.00**	**134400000**	**0**	**134400000**	**80.00**	**0.00**
(बी) जनता शेयरधारणा										
1. संस्थान										
(ए)	म्युचुअल फंड्स/ युटीआय	1438422	0	1438422	0.85	234711	0	234711	0.14	(0.72)
(बी)	वित्तीय संस्था/ बँक	2224032	0	2224032	1.32	4170732	0	4170732	2.49	1.16
(सी)	केंद्र/ राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(डी)	वेंचरकॅपिटल फंड्स	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ई)	बिमा कंपनी	1011234	0	1011234	0.60	1186234	0	1186234	0.71	0.10

(एफ)	विदेशी संस्थागत निवेशक	12332518	0	12332518	7.34	12312538	0	12312538	7.33	(0.01)
(जी)	विदेशी वेंचरकॅपिटल इंवेस्टर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(एच)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(आई)	अन्य (उल्लखित)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप कुल (बी) (1) :		**17006206**	**0**	**17006206**	**10.12**	**17904215**	**0**	**17904215**	**10.6573**	**0.53**
बी 2. गैर संस्थान										
(ए)	निगमित समिति	2240411	0	2240411	1.33	2773139	0	2773139	1.65	0.32
(बी)	व्यक्तिगत									
(i)	एक लाख रूपये तक की पूंजी	13108368	166	13108534	7.80	11987083	231	11987314	7.14	(0.67)
(ii)	एक लाख रूपये से जादा की पूंजी	887141	0	887141	0.53	513533	0	513533	0.31	(0.22)
(सी)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(डी)	**अन्य (उल्लेखित)**									
(i)	न्यास	22455	0	22455	0.01	26944	0	26944	0.01	0.00
(ii)	क्लियरिंग सदस्य	66414	0	66414	0.03	36119	0	36119	0.02	(0.02)
(iii)	निदेशकों के रिश्तेदार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(iv)	कर्मचारी	13964	0	13964	0.00	10472	0	10472	0.00	(0.00)
(v)	विदेशी नागरिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(vi)	अनिवासी भारतीय	254535	0	254535	0.15	288707	0	288707	0.17	0.02
(vii)	विदेशी निगमित समिति	0	0	0	0.00	59319	0	59319	0.03	0.04
(viii)	बिना दावे के संदीग्ध खातें	340	0	340	0.00	238	0	238	0.00	0.00
उप कुल (बी) (2) :		**16593628**	**166**	**16593794**	**9.87**	**15695554**	**231**	**15695785**	**9.34**	**(0.53)**
जनता शेयरधारणा	(B)=(B)(1) + (B)(2)	**33599834**	**166**	**33600000**	**20.00**	**33599769**	**231**	**33600000**	**20.00**	**0.00**
कुल (ए) + (बी) :		167999834	166	168000000	100.00	167999769	231	168000000	100.00	0.00
(सी) शेयर संरक्षक द्वारा आयोजित की और जिसके खिलाफ डिपॉजिटरी रिसीट जारी किए गए हैं										
(ए)	**संरक्षकों द्वारा आयोजित शेयरों**	0	0	0	0.00	0.0000	0.00	0	0.0000	0.00

(i)	प्रमोटर एवं प्रमोटर समूह	0	0	0	0.00	0.0000	0.00	0	0.0000	0.00
(ii)	जनता	0	0	0	0.00	0.0000	0.00	0	0.0000	0.00
उप कुल (सी) (1) :		0	0	0	0.00	0.0000	0.00	0	0.0000	0.00
कुल योग (ए) + (बी) + (सी)		**167999834**	**166**	**168000000**	**100.00**	**167999769**	**231**	**168000000**	**100.00**	**100.00**

(ii) **प्रमोटर की अंश धारिता**

क्र.	**अंश धारक के नाम**	01.04.2014 **वर्ष की शुरुवात के समय शेयरहोल्डिंग**			31.03.2015 **को समाप्त वर्ष के समय शेयरहोल्डिंग**			
		शेयर की संख्या	**:कंपनी के कुल शेयर**	**कुल शेयर:**	**शेयर की संख्या**	**:कंपनी के कुल शेयर**	**कुल शेयर:**	**वर्ष के आखिर बदली हुई अंश की संख्या**
1	भारत के राष्ट्रपति	120235680	71.57	0.00	120235680	71.57	0.00	0.00
2	महाराष्ट्र के राज्यपाल	7757400	4.62	0.00	7757400	4.62	0.00	0.00
3	मध्य प्रदेश राज्यपाल	6406920	3.81	0.00	6406920	3.81	0.00	0.00
	कुल	**134400000**	**80.00**	**0.00**	**134400000**	**80.00**	**0.00**	**0.00**

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

ऊपर उल्लेख किए हुए मुद्दे में प्रमोटरों की अंशधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

क्र.		**शुरुवात के शेयर धारक**		**वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता**	
		शेयर की संख्या	**: कंपनी के कुल शेयर**	**शेयर की संख्या**	**: कंपनी के कुल शेयर**
	वर्ष के शुरुवात में	–	–	–	–
	तिथि वार हुई वृद्धि/ कमी , प्रमोटरों के शेअर होल्डिंग में वर्ष के दौरान आयी हुई कमी/ वृद्धि के कारण (आबंटन/ स्थानांतरण/ बोनस / परिश्रम इत्यादि)	–	–	–	–

(iv) शीर्ष शेयरधारकों के लिए (निदेशकों, प्रमोटरों के अलावा अन्य और जीडीआरएस और एडीआर धारक):

क्र.		01.04.2014- 31.03.2015		साल के दौरान शेयरधारिता में दिनांक वार वृद्धि/ कमी के कारण निर्दिष्ट			साल के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक १० शीर्ष अंश धारकों के लिए	शेयर की संख्या	% कंपनी के कुल शेयर	तारीख	बढाई/ घटाई	कारण	शेयर की संख्या	% कंपनी के कुल शेयर
1.	सोमरसेट इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कॅप फंड एलएलसी	2462197	1.47	01/04/14				
				16/05/14	132005	स्थानांतरित	2594202	1.47
				08/08/14	115599	स्थानांतरित	2709801	1.54
				05/12/14	(58035)	स्थानांतरित	2651766	1.61
				06/02/15	(8392)	स्थानांतरित	2643374	1.58
				13/02/15	(40995)	स्थानांतरित	2602379	1.57
				17/02/15	(5981)	स्थानांतरित	2596398	1.55
				20/02/15	(21194)	स्थानांतरित	2575204	1.55
				27/02/15	(7481)	स्थानांतरित	2567723	1.53
				20/03/15	(84435)	स्थानांतरित	2483288	1.53
2.	नेशनल वेस्टमिनस्टर बैंक पीएलसी अज डिपोजिटरी ऑफ पीएफएस सोमरसेट इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कॅप फंड	635091	0.38	01/04/14				
				04/04/15	(9473)	स्थानांतरित	625618	0.37
				11/04/14	(66816)	स्थानांतरित	558802	0.33
				18/04/14	(35745)	स्थानांतरित	523057	0.31
				25/04/14	(70262)	स्थानांतरित	452795	0.27
				09/05/14	(35297)	स्थानांतरित	417498	0.25
				04/07/14	24939	स्थानांतरित	442437	0.26
				06/02/15	(1429)	स्थानांतरित	441008	0.26
				13/02/15	(6982)	स्थानांतरित	434026	0.26
				17/02/15	(1019)	स्थानांतरित	433007	0.26
				20/02/15	(3610)	स्थानांतरित	429397	0.26
				27/02/15	(1273)	स्थानांतरित	428124	0.25
				20/03/15	(14388)	स्थानांतरित	413736	0.25
		413736	0.25	31/03/15	413736			0.25
3.	दान्सके बैंक ए/एस अकाउंट फोरेनिंनजेन एपी इन्वेस्ट एफ एम. बी. ए	27081	0.02	01/04/14				
				11/04/14	136	स्थानांतरित	27217	0.02
				25/04/14	10046	स्थानांतरित	37263	0.02
				09/05/14	29440	स्थानांतरित	66703	0.04
				16/05/14	528	स्थानांतरित	67231	0.04
				20/06/14	8986	स्थानांतरित	76217	0.05
				30/06/14	180565	स्थानांतरित	256782	0.15
				04/07/14	73191	स्थानांतरित	329973	0.20
				11/07/14	30977	स्थानांतरित	360950	0.21
				01/08/14	24721	स्थानांतरित	385671	0.23
				08/08/14	40380	स्थानांतरित	426051	0.25
				03/10/14	3202	स्थानांतरित	429253	0.26
				10/10/14	158	स्थानांतरित	429411	0.26

				17/10/14	11480	स्थानांतरित	440891	0.26
				21/11/14	63822	स्थानांतरित	504713	0.30
				06/02/15	40425	स्थानांतरित	545138	0.32
				13/02/15	58571	स्थानांतरित	603709	0.36
		603709	0.36	31/03/15			603709	0.36
4.	डीबी इंटरनेशनल (एशिया लि.)	1661503	0.99	01/04/14				
				06/06/14	(48955)	स्थानांतरित	1612548	0.87
				13/06/14	(172924)	स्थानांतरित	1439624	0.87
				20/06/14	(1027)	स्थानांतरित	1438597	0.87
				30/06/14	(5321)	स्थानांतरित	1433276	0.87
				04/07/14	(9652)	स्थानांतरित	1423624	0.87
				11/07/14	(527)	स्थानांतरित	1423097	0.87
				15/08/14	1816	स्थानांतरित	1424913	0.87
				12/09/14	6923	स्थानांतरित	1431836	0.87
				30/09/14	(10981)	स्थानांतरित	1420855	0.87
				31/10/14	2383	स्थानांतरित	1423238	0.87
				14/11/14	(106)	स्थानांतरित	1423132	0.87
				28/11/14	15509	स्थानांतरित	1438641	0.87
				05/12/14	4100	स्थानांतरित	1442741	0.87
				09/01/15	4861	स्थानांतरित	1447602	0.87
				30/01/15	(2617)	स्थानांतरित	1444985	0.87
				27/02/15	19114	स्थानांतरित	1612548	0.87
		1464099	0.87	31/03/15			1464099	0.87
5.	राष्ट्रीय पेंशन से एमएफएस संस्थागत सलाहकार इंक द्वारा प्रबंधित	682736	0.41	01/04/14				
				30/09/14	6150	स्थानांतरित	688886	0.41
				28/11/14	(9364)	स्थानांतरित	679522	0.40
				09/01/15	3950	स्थानांतरित	68347	0.41
				20/03/15	5775	स्थानांतरित	689247	0.41
		689247	0.41	31/03/15			689247	0.41
6.	भारतीय जीवन बीमा निगम	328131	0.20	01/04/14				
				07/11/14	115839	स्थानांतरित	443970	0.26
				14/11/14	6629	स्थानांतरित	450599	0.27
				21/11/14	34763	स्थानांतरित	485362	0.29
				28/11/14	21311	स्थानांतरित	506673	0.30
				19/12/14	42589	स्थानांतरित	549262	0.33
				31/12/14	164177	स्थानांतरित	713439	0.42
				02/01/15	5798	स्थानांतरित	719237	0.43
				09/01/15	76505	स्थानांतरित	795742	0.47
				16/01/15	1245	स्थानांतरित	796987	0.47
				13/03/15	16949	स्थानांतरित	813936	0.48
				20/03/15	134350	स्थानांतरित	948286	0.56
				27/03/15	47023	स्थानांतरित	995309	0.59
		1007796	0.60	31/03/15	12487	स्थानांतरित	1007796	0.60

7.	नॅशनल इन्शोरन्स कंपनी लि.	634981	0.38	01/04/14				
				20/06/14	75000	स्थानांतरित	709981	0.42
				30/06/14	60000	स्थानांतरित	769981	0.46
				11/07/14	40000	स्थानांतरित	809981	0.48
		809981	0.48	31/03/15			809981	0.48
8.	युनाईटेड इंडिया इन्शोरन्स कंपनी लि.	318754	0.18	01/04/14				
				01/08/14	30000	स्थानांतरित	348754	0.21
				08/08/14	29595	स्थानांतरित	378349	0.23
				15/08/14	40000	स्थानांतरित	418349	0.25
				22/08/14	45088	स्थानांतरित	463437	0.28
				29/08/14	68186	स्थानांतरित	531623	0.32
				05/09/14	76890	स्थानांतरित	608513	0.36
				12/09/14	73830	स्थानांतरित	682343	0.41
				19/09/14	58334	स्थानांतरित	740677	0.44
				30/09/14	110000	स्थानांतरित	850677	0.51
				10/10/14	22832	स्थानांतरित	873509	0.52
				17/10/14	40000	स्थानांतरित	913509	0.54
				24/10/14	30000	स्थानांतरित	943509	0.56
				31/10/14	40000	स्थानांतरित	983509	0.59
				07/11/14	40000	स्थानांतरित	1023509	0.61
				14/11/14	91000	स्थानांतरित	1114509	0.66
				21/11/14	70000	स्थानांतरित	1184509	0.71
				28/11/14	97595	स्थानांतरित	1282104	0.76
				05/12/14	113524	स्थानांतरित	1395628	0.83
				12/12/14	35339	स्थानांतरित	1430967	0.85
		1430967	0.85	31/03/15			1430967	0.85
9.	एमएफएस इंटरनॅशनल न्यू डिस्कवरी फंड	5264681	3.13	01/04/14				
				23/05/14	(33000)	स्थानांतरित	5264681	3.13
				30/05/14	(93683)	स्थानांतरित	5231681	3.11
				06/06/14	(187436)	स्थानांतरित	5137998	3.06
				13/06/14	(675974)	स्थानांतरित	4950562	2.95
				20/06/14	(3967)	स्थानांतरित	4274588	2.54
				30/06/14	(3926)	स्थानांतरित	4270621	2.54
				04/07/14	(60078)	स्थानांतरित	4266695	2.54
				11/07/14	(5920)	स्थानांतरित	4206617	2.50
		4206617	2.50	31/03/15			4206617	2.50
10.	चर्च कमिशनर्स फॉर इंग्लंड रे सोमरसेट	92431	0.06	01/04/14				
				17/10/14	70302	स्थानांतरित	162733	0.10
				24/10/14	81354	स्थानांतरित	244087	0.15
				31/10/14	26012	स्थानांतरित	270099	0.16
				07/11/14	41554	स्थानांतरित	311653	0.19
				14/11/14	18946	स्थानांतरित	330599	0.20
				21/11/14	303	स्थानांतरित	330902	0.20
				28/11/14	49697	स्थानांतरित	380599	0.23
		380599	0.23	31/03/15			380599	0.23

(v) निर्देशकों और कुंजी प्रबंधक कर्मियों की शेयरधारिता

कोई निदेशकों और KMP जिसका विवरण नीचे दिया गया है श्री नीरज दत्त पांडे, कंपनी सचिव, को छोड़कर कंपनी के शेयरों में धारण कर रहे हैं:

क्र.		साल की शुरुआत में शेयरधारिता 01-04-2014		साल के दौरान शेयरधारिता में दिनांक वार वृद्धि/ कमी के कारण निर्दिष्ट			साल के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	शेयर की संख्या	% कंपनी के कुल शेयर	तारीख	बढाई/ घटाई	कारण	शेयर की संख्या	% बढाई / घटाई
1	श्री.नीरज दत्त पांडे (कंपनी सचिव)	1	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	1	0.00

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता ब्याज बकाया/ अर्जित किया गया , लेकिन भुगतान नहीं किए गए . शून्य

	जमा छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वत्तीय वर्ष की शुरुआत की ऋणग्रस्तता i) कुल रकम ii) बकाया ब्याज पर नहीं दिया गया	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन * वृद्धि * कमी	–	–	–	–
शुद्ध परिवर्तन	–	–	–	–
वत्तीय वर्ष की शुरुआत की ऋणग्रस्तता i) कुल रकम ii) बकाया ब्याज पर नहीं दिया गया iii) अर्जित किया, पर नहीं दिया गया	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

ए. निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/ या प्रबंधक के प्रबंध करने के लिए पारिश्रमिक:

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक के नाम					कुल मात्रा
		श्री.जी.पी. कुंदरगी (सीएमडी)	श्री.एम.पी. चौधरी निदेशक (वित्त)	श्री.ए.के.झा निदेशक (उत्पाद और योजना)	श्री.ए.के.मेहरा निदेशक (वाणिज्यिक सेवानिवृत्त) 31.01.2015	श्री.टी.के. पटनायक निदेशक (वाणिज्य 02-02-2015 से कार्यरत)	
1.	**कुल वेतन** (ए) धारा 17 (1) के आयकर का अधिकार अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (बी) अनुलाभ का मूल्य यू/ एस 17 (2) आयकर अधिनियम, 1961 (सी) 1961 की धारा 17 (3) आयकर अधिनियम के तहत वेतन के एवज में मुनाफा	4622074 41900 –	3590274 3500 –	3566362 7300 –	3858589 8900 –	452956 5000 –	16090255 146700 –
2.	भांडार विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	लाभ - दूसरों के रूप में कमीशन, निर्दिष्ट (प्रदर्शन प्रोत्साहन जुड़े)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (।)	4663974	3593774	3573662	3947589	457956	16236955
	अधिकतम सीमाअधिनियम के अनुसार	N.A					

बी. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	स्वतंत्र निदेशकों के नाम				कुल
		डॉ.ए.के. लोमास	श्री.जे.पी. डांगे	श्री.जी. एस.ग्रोवर	कु. सुनंदा प्रसाद	
	3. स्वतंत्र निदेशक * बोर्ड/ समिति की बैठकों में भाग के लिए शुल्क * आयोग * अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	305000 – –	2,50,000 – –	225000 – –	320000	1100000
	कुल (1)	305000	250000	225000	320000	1100000
	4. अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक * बोर्ड/ समिति की बैठकों में भाग के लिए शुल्क * आयोग * अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A
	कुल (2)	–	–	–	–	–
	कुल (बी)=(1+2)	305000	250000	225000	320000	1100000
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	लागू नहीं				

सी. एमडी / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी अन्य की तुलना में प्रबंधकीय कर्मियों के लिए पारिश्रमिक कुंजी

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सी ई ओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	**कुल वेतन** (ए) धारा 17 (1) के आयकर का अधिकार अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (बी) अनुलाभ का मूल्य यू/ एस 17 (2) आयकर अधिनियम, 1961 (सी) 1961 की धारा 17 (3) आयकर अधिनियम के तहत वेतन के एवज में मुनाफा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के वेतन का विवरण छठी ए में ऊपर उल्लेख कर रहे हैं	1304845 1483 –	निदेशक (वित्त) कंपनी के सीएफओ (विवरण ऊपर छठी ए में उल्लेख कर रहे हैं) है	1304845 1483 –
2.	भांडार विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	उद्यम इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	लाभ – दूसरों के % के रूप में कमीशन, निर्दिष्ट (प्रदर्शन प्रोत्साहन जुड़े)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	–	1306328	–	1306328

VII. अपराध दंड/ सजा/ समझौता

ए. कंपनी	
दंड	शून्य
सजा	
समझौता	
बी. निदेशक	
दंड	शून्य
सजा	
समझौता	
सी. डिफॉल्ट में अन्य अधिकारी	
दंड	शून्य
सजा	
समझौता	

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/ सजा/ समझौता पर लागू की गयी फीस का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय,]	यदि, की गयी अपील की (जानकारी दे)
शून्य					

अनुलग्नक -V

निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन में कंपनी का प्रबंधन, उसका निदेशक मंडल,उसके अंशधारकों और अन्य जोखिम धारकों के बीच के संबंधो का एक समुच्चय शामिल होता है। निगमित शासन एक ऐसी संरचना भी प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के लक्ष्य को तय किया जाता है एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों तथा कार्य–निष्पादन का पर्यवेक्षण निर्धारित किया जाता है। -: **ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलेपमेंट (आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन)**

मॉयल "एक लघुरत्न श्रेणी–1" की कंपनी है जो कुशल, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, जवाबदेही और नैतिक तरीके सेव्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा यह मानती है कि निगमित शासन कानून के दायरे से भी ऊपर है द्ययह प्रबंधन की संस्कृति एवं उसकी मानसिकता से उभरता है और अकेले कानून द्वारा विनिमित नहीं किया जा सकता है ।

1. निगमित शासन दर्शन

एक अच्छा निगमित शासन कानून के अनुपालन से परे चला जाता है और इसमें कंपनी की व्यापक प्रतिबद्धता शामिल होती है। यह प्रतिबद्धता निदेशक मंडल से प्रारंभ होती है जो सभी को दीर्घकालिक लाभ मिलने के साथ संतुलित तरीके से अंशधारियों के लिए सर्वोत्तम हित में, कंपनी की रणनीतिक एवं प्रचलनात्मक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करके निगमित शासन की जिम्मेदारियों का निर्वाहन करता है ।

निगमित शासन स्थायी मूल्य निर्माण में लगातार सुधार करनेवाली एक यात्रा है तथा लक्ष्य की और लगातार ऊपर बढ़ते जाना है। नियामक और अनुपालन आवश्यकता के रुप में नियंत्रण की परंपरागत धरना ने कंपनी को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शासन अपनाने के लिए मार्ग मुहैया कराया है। खंड 49 में किसी पंजीकृत कंपनी के लिए अनुपालन की बैचमार्क नियमावली तथा शासक के मानकों के लिए निर्देशरेखा निर्धारित की है। मॉयल खंड 49 के अनुसार विहित निगमित व्यवहारों का न केवल पालन करती है बल्कि वह लगातार दुनिया भर में उभर रहे सर्वश्रेष्ठ आचरण अपनाने के प्रयास भी करती है ।हमारा प्रयास है की हम उच्चतर मानकों को प्राप्त करना तथा रणनीतिक क्रियान्वयन और जोखिम प्रबंधन में प्रबंधनवर्ग को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करना तथा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करना हमारा प्रयास है।

2. निदेशक मंडल

मॉयल यह एक सरकारी कंपनी है और कंपनी अधिनियम ,2013 के धारा 2(45) के अंतर्गत मॉयल के संस्था के नियमों के अनुसार निदेशक नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। इसलिए मॉयल के निदेशक मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। 31 मार्च 2015 को मॉयल के निदेशक मंडल में 10 निदेशक शामिल थे (जिसमे श्री एस.एस.शुक्ला जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मनोनीत निदेशक है और जिन्हें 07.03.2015 को भारत सरकार के जरिए इस्पात मंत्रालय की ओर से 22 मार्च,2015 को दिए गये आदेशानुसार निदेशक नियुक्त किया गया) इन निदेशकों में से 4 पूर्ण कालिक निदेशक जिनमे अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक शामिल है , 2 सरकारी निदेशक जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते है और 4 स्वतंत्र निदेशक है। मॉयल का निदेशक मंडल की संरचना लिस्टिंग एग्रीमेंट की खंड 49 एवं पीपीई के निगमित शासन संबंधी मार्गदर्शनों के अनुरूप नहीं है क्योंकि 6 निदेशकों की जरुरत रहने की बावजूद केवल 4 स्वतंत्र निदेशक है ।

2.1 मॉयल के निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च, 2015 को निदेशक मंडल की श्रेणी के अनुसार संरचना निम्नवत है :

पूर्णकालिक निदेशक

1. श्री.जी.पी.कुंदरगी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. श्री.एम.पी.चौधरी, निदेशक (वित्त)
3. श्री.ए.के.झा,निदेशक (उत्पादन और योजना)
4. श्री. टी.के.पटनायक, निदेशक (वाणिज्य)

प्रमोटर के नामित निदेशक

1. श्री.उर्विला खाती, भारत सरकार के नामित निदेशक
2. श्री.एस.एस.शुक्ला, मध्यप्रदेश सरकार के नामित निदेशक

स्वतंत्र निदेशक

1. कु. सुनंदा प्रसाद
2. डॉ.ए.के.लोमास
3. श्री. जे.पी.डांगे
4. श्री.जी.एस.ग्रोवर

2.2 वर्ष 2014-15 के दौरान, सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, पिछली वार्षिक सर्वसाधारण सभा, अन्य निदेशक पदों की संख्या तथा समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता का विवरण

वर्ष 2014–15 के दौरान, छह (6) निदेशक सभा क्रमशः 6 मई, 2014, 23 मई, 2014, 12 अगस्त 2014, 30 सितंबर, 2014, 11 नवंबर, 2014 और 14 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई थी ।

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान हुई बैठके	निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	वार्षिक बैठक में उपस्थित हुए	अन्य निदेशकत्व की संख्या	कमेटी की संख्या सदस्यता/ अध्यक्षता	
					कमेटी की संख्या सदस्यता/ अध्यक्षता	कमेटी के अध्यक्ष कमिटी के सदस्य
पूर्णकालिक निदेशक				31/03/2015 तक		
श्री.जी.पी.कुंदरगी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	6	6	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री.एम.पी.चौधरी, निदेशक (वाणिज्य)	6	6	हां	2	शून्य	शून्य
श्री.ए.के.झा निदेशक	6	6	हां	2	शून्य	शून्य
श्री. ए.के.मेहरा निदेशक (वाणिज्य) सेवा निवृत्त31.01.2015 से	5	5	हां	2	शून्य	शून्य
श्री टी.के. पटनायक, निदेशक (वाणिज्य) (02.02.15 से)	1	1	नहीं	2	शून्य	शून्य
सरकार के नामिती निदेशक					शून्य	शून्य
श्रीमती. उर्विला खाती, सेवा निवृत्त (भारत सरकार के नामिती)	2	2	---	2	शून्य	शून्य
श्री.अपूर्वचंद्रा, पूर्व महाराष्ट्र सरकार के नामिती	6	2	---	3	शून्य	शून्य
श्री एस.एस. शुक्ला , मध्य प्रदेश सरकार के नामिती	शून्य	शून्य	---	16	3	शून्य
स्वतंत्र निदेशक						शून्य
सुनंदा प्रसाद	6	6	हां	शून्य	1	शून्य
श्री. जी.एस. ग्रोवर	6	5	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जे पी डांगे	6	5	हां	3	शून्य	2
डा ए.के लोमास	6	6	हां	1	शून्य	1

*पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा–परीक्षा समिति तथा अंशधारकधनिवेशक शिकायत समिति सदस्यता/अध्यक्षता को विचार में लिया गया है ।

3. समितियां

मंडल की समितियाँ कुछ विशिष्ट क्षेत्रो पर ध्यान केन्द्रित करती है तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी के साथ सूचित निर्णय लेती है। मंडल की प्रत्येक समिति अपने चार्टर के अनुसार जो उसकी संरचना,कार्यक्षेत्र,अधिकार,भूमिका को परिभाषित करता है तथा कंपनी अधिनियम,2013 के अनुसार और लिस्टिंग एग्रीमेंट और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है। वर्तमान में, कंपनी की निम्नलिखित मंडल समितियाँ है:

3.1 लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति लेखा की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा का पर्यवेक्षण, लेखा , –पर एवं कंपनी की लेखापरीक्षा प्रणापिोर्टिंग उसके कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में मंडल को अपनी जिम्मेदारी का वहन करने में सहायता करती है। कंपनी की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण, कंपनी के वित्तीय विवरण का अंकेक्षण नियुक्ति, स्वतंत्रता, सांविधिक लेखा परीक्षकों का कार्य–निष्पादन एवं पारिश्रमिक, आंतरिक लेखा–परीक्षकों का कार्य–निष्पादन तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों का पर्यवेक्षण करना समिति का उद्देश्य है ।

ए. अध्यक्ष और सदस्यों के नाम, संरचना

वर्ष 2014-2015 दौरान मॉयल की लेखसमिति को पुनर्गठित किया गया लेखापरीक्षा समिति में 3 सदस्य होते है जिनमे से 2 सदस्य स्वतंत्र निदेशक और 1 सदस्य कार्यकारी निदेशक होता है. लेखापरीक्षा समिती की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और लिस्टिंग अनुबंध के खंड 49 की आवश्यकताओँ को पुरा करती है। 31.3.2015 को समिती के सदस्य निम्नलिखित है।

1. डॉ. ए.के.लोमास, चेयरमैन (स्वतंत्र निदेशक)
2. सुनंदा प्रसाद, सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
3. श्री. ए.के.झा, सदस्य, (निदेशक)

कंपनी सचिव ही समिति के सचिव के रुप में कार्य करते है।

बी. वर्ष के दौरान सभा एवं उपस्थिति

वर्ष 2014–15 के दौरान समिति की 7 सभा क्रमशः 6 मई,2014, 23 मई, 2014, 28 जुलाई 2014, 12 अगस्त 2014, 20 सितंबर, 2014, 11 नवंबर, 2014 और 14 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई थी। जिनका विवरण निचे दिया गया है।

सदस्यों के नाम	संबंधित सभा में समिति के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
श्री. ज.पी.डांगे (सदस्य एवं चेअरमैन 12-8-2014 तक)	4	4
डॉ. ए.के.लोमास(12-08-2014 से सदस्य एवं चेअरमैन)	7	7
सुनंदा प्रसाद (12-08-2014 से सदस्य)	3	3
श्री. ए.के.झा (सदस्य)	7	7

सी. संदर्भ और शर्तोंका संक्षिप्त विवरण

लेखा–परीक्षा समिति के अधिकार निम्नवत हैं :

1. वित्तीय विवरण सही,पर्याप्त एवं विश्वसनीय है इसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली एवं वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण करनाय
2. सांविधिक लेखा–परीक्षक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो प्रतिस्थापन करने अथवा हटाने तथा लेखा–परीक्षा शुल्क तय करने के लिए मंडल को सिफारिश करनाय
3. सांविधिक लेखा– परीक्षको द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षक को भुगतान स्वीकृति करना ।

डी. विचारर्थ विषय का संक्षिप्त विवरण

लेखा–परीक्षा समिति की भूमिका में शामिल है :

1. मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के पहले संदर्भ में वार्षिक वित्तीय विवरणी पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, इन विशेष संदर्भ में:
   - **ए.** कंपनी अधिनियम की धारा 217 की उपधारा (2एए) के अनुसार मंडल की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में समाविष्ट की जाने वाले आवश्यक मामले:
   - **बी.** कारणों को दर्शाते हुए लेखांकन नीतियों और व्यवहारों में यदि कोई परिवर्तन करना हो;
   - **सी.** प्रबंधन द्वारा आंकलन पर आधारित निर्णय के प्रयोग शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां
   - **डी.** वित्तीय विवरणों में किये गये महत्त्वपूर्ण समयोजन जो लेखापरीक्षा निष्कर्ष से उत्पन्न हुए
   - **ई.** वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग एवं अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन
   - **एफ.** पार्टी से संबंधित किसी भी व्यवहारों का प्रकटीकरणय
   - **जी.** मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में योग्यता.

5. मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणी पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना.
6. निधि जो इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू,प्रिफेन्सियल इश्यू इत्यादि) के जरिये उगाही गयी निधि के उपयोगधविनियोग का विवरण, पब्लिक या राइट इश्यू से आय के उपयोग की प्रक्रिया पर निगरानी रखने वाली मोनिटरिंग एजेन्सी के द्वारा प्रस्तुत ऑफर डाक्यूमेंट/प्रोस्पेक्ट्स/ नोटिस तथा रिपोर्ट में दर्शाए गए के अतिरिक्त, अन्य कारणों के प्रयोजन से इस्तेमाल की गई निधि के विवरण पर प्रबंधन के साथ समीक्षा एवं मोनिटरिंग करना तथा इन मामलों पर उचित कदम उठाने के लिए मंडल को योग्य सिफारिश करना
7. सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का, प्रबंधन के साथ समीक्षा करना.
8. आंतरिक लेखा–परीक्षक विभाग की संरचना, कर्मचारी तथा विभाग प्रमुख की वरीयता, रिपोर्टिंग संरचना की व्याप्ति तथा आंतरिक लेखा–परीक्षा की आवृत्ति का समावेश यदि करते हैं तो आंतरिक लेखा–परिक्षा की गतिविधि की पर्याप्तता की समीक्षा करना.
9. आंतरिक लेखा–परीक्षकों के साथ किसी उल्लेखनीय जांच परिणाम पर विचार विमर्श करना उस पर कारवाई करना.
10. संदिग्ध धोखाधडी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की किसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के मात्रात्मक प्रकार के मामले जो आंतरिक लेखा–परीक्षक द्वारा

आंतरिक अन्वेषण के दौरान पे गए उसकी समीक्षा करना तथा मामले की जानकारी निदेशक को देना.

11. लेखा परीक्षा का प्रकार और उसकी व्यापकता के बारे में लेखा–परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखा–परीक्षकों के साथ चर्चा करना साथ ही लेखा–परीक्षा के बाद सरोकार के किसी क्षेत्र निर्धारण करने के लिए वार्तालाप करना.

12. जमाकर्ताओं , डिबेंचर–धारकों, अंश धारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न दिये जाने के मामले में) और कर्जदाताओं को भुगतान में संभावित भूल–चूक के कारणों को देखना.

13. यदि व्हिसिल ब्लोअर यंत्रणा मौजूद हो तो उसके काम–काज की समीक्षा करना; तथा

14. प्रमुख वित्त अधिकारी (अर्थात पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो वित्तीय कार्यों का प्रमुख हो या वित्तीय कार्यों का निर्वहन करता हो) पद के उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव एवं पार्श्वभूमि इत्यादि का आकलन करके नियक्ति की स्वीकृत देना;

15. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिपण्णीयों पर अनुवर्ती करवाई की समीक्षा करना.

16. संसदीय सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (सीओपीयु) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कारवाई की समीक्षा करना; यदि कोई हो।

17. स्वतंत्र अंकेक्षक, आतंरिक अंकेक्षक और मंडल के बीच संवाद का एक खुला अवसर प्रदान करना ;

18. कार्यक्षेत्र की पूर्णता सुनिश्चित करने , निरर्थक प्रयासों में कमी लेन और सभी लेखापरीक्षा संसाधनो के प्रभावी उपयोग के समन्वय की स्वतन्त्र अंकेक्षक के साथ समीक्षा करना.

19. स्वतंत्र अंकेक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना

    ए कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित आतंरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और

    बी स्वतंत्र अंकेक्षक और आतंरिक अंकेक्षक की सिफारिशों और संबंधित निष्कर्षों के साथ प्रबंधन की प्रक्रिया।.

20. प्रबंध, आतंरिक अंकेक्षक और स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करनाः

    ए पिछले लेखापरीक्षा सिफारिश की वर्त्तमान स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष.

    बी गतिविधियों के दायरे अथवा आवश्यक सूचना प्राप्त करने पर प्रतिबंधों सहित ऑडिट कार्य के दौरान किसी कठिनाईयों का सामना करना पडा।.

21. लेखा–परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लेखित या समय–समय पर संशोधित लिस्टिंग एग्रीमेंट में समाविष्ट अन्य कार्यों का निर्वहन करना.

3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

वर्ष के दौरान आलोच्य समिति का गठन पुन गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के तहत किया गया इस संबंध में समझौतों और डीपीई दिशा निर्देशों में सूचीबद्ध हैं।

ए. विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण

समिति की जिम्मेदारियां नीचे दिये अनुसार है ;

1. निर्धारित सीमा के भीतर, अधिकारियों और गैर यूनियन पर्यवेक्षकों भर में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय भुगतान पूल और नीति निर्णय लेते हैं।
2. जिम्मेदारियों का निर्वहन लागू और निर्धारित किया जा सकता है, कंपनी अधिनियम, 2013 में, इस तरह के अन्य डीपीई दिशानिर्देश और सूचीबद्ध समझौते और अन्य सरकारी दिशानिर्देश है।

बी. 31-03-2015 तक समिति के रूप में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. सुनंदा प्रसाद (स्वतंत्र निदेशक) चेयरमैन
2. श्री. जे.पी. डांगे (स्वतंत्र निदेशक)– सदस्य
3. श्री. जी.एस.ग्रोवर (स्वतंत्र निदेशक) – सदस्य
4. डॉ. ए.के.लोमास (स्वतंत्र निदेशक)– सदस्य

कंपनी के कंपनी सचिव को समिति सचिव की भूमिका निभानी होगी।

सभी कार्यकारी निदेशक भी समिति के भूतपूर्व अधिकृत सदस्य रहेंगे।

सी. समिति की सभाएं

इस रिपोर्ट के कार्यकाल के दौरान समिति की एक सभा 10.01.2015 को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा सभा की उपस्थिति का विवरण निम्ननुसार है।

क्रमांक	सदस्य का नाम	सभाओं की संख्या	सभा में उपस्थिति
1.	सुनंदा प्रसाद	1	1
2.	डॉ. ए.के.लोमास	1	1
3.	श्री. जे.पी. डांगे	1	1
4.	श्री. जी.एस.ग्रोवर	1	1

डी. पारिश्रमिक निति

मॉयल एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है और इसलिए निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किये जाते है।

कंपनी के अधिकारीयों का पारिश्रमिक भारत सरकार की वेतन संशोधन दिशानिर्देशों के अनुसार और अन्य कर्मचारियोंका पारिश्रमिक उनकी यूनियन के साथ हर दस वर्ष को किये जाने वाले वेतन समझौता ज्ञापन के अनुसार निश्चित होता है।

ई. वर्तमान क्रियात्मक निदेशकों एवं कार्यकारी निदेशकों द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वर्तमान क्रियात्मक निदेशकों एवं कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किये गए पारिश्रमिक का विवरण

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	वेतन	लाभ	भविष्य निधि	बोनस/ कमीशन	कार्यनिष्पादन से जुडे इन्सेन्टिव	स्टॉक विकल्प *	कुल
1	श्री.जी.पी.कुन्दर्गी (अध्यक्ष – सह प्रबंध निदेशक)	1889910	616211	335353	-	1822500	लागू नही	4663974
2	श्री.ए.के. मेहरा, निदेशक (व्यावसायिक) (31-01-2015 को सेवानिवृत्त)	1676297	592185	287637	-	1356660	लागू नही	3947589
3	श्री. एम.पी. चौधरी- निदेशक (वित्त)	1595934	536164	268276	-	1193400	लागू नही	3593774
4	श्री. ए.के.झा , निदेशक (उत्पादन एवं योजना)	1752300	619300	294562	-	907500	लागू नही	3573662
5	श्री. टी.के.पटनाईक , निदेशक (व्यावसायिक) (02-02-2015 को नियुक्त किये गये)	300450	107000	50506	-	0	लागू नही	457956

*सभी निदेशाकों का शेयर होल्डिंग शून्य है.

गैर कारकरी निदेशंको निदेशकों के साथ कंपनी का धन संबंधी कोई नाता या व्यवहार नहीं था, सिर्फ उनकी फीस/ प्रतिपूर्ति जो बोर्ड/ समिति की सभा में उपस्थित रहने के संबंध में था वो व्यवहार किया गया। .

निदेशाकों की नियुती भारत सरकार की ओर से पांच साल के लिए जबसे उन्होंने पदभार संभाला है या फिर उनकी पेंशन की तारीख तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो उसके अनुसार तय होती है

वित्तीय वर्ष 2014–15 मंडल की प्रत्येक सभा में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क रुपये 20,000/– (रुपये बीस हजार) और समिति की सभा के लिए रुपये 15,000/– (रुपये पन्द्रह हजार) ऐडा किया गया। इस बारे मे विस्तृत जानकारी फॉर्म एमजीटी–9 के पॉइंट VI (B) अनुलग्न –V में अनुलग्नित की गई है।.

3.3 भागदारोंकी शिकायत समिति:

शेयरों का हस्तांतरण , वार्षिक रिपोर्ट नहीं मिलना, घोषित लाभांश नहीं मिलना इत्यादि के संबंध में अंशधारक तथा निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी समिति को दी गई है। समिति कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) के कार्य निष्पादन एवं सेवास्तर का मूल्यांकन भी करती है तथा निवेश कों प्रदान किये जा रहे सेवास्तर की सुधरने के लिए लगातार मार्दार्षण भी प्रदान करती हैं। सेबी (प्रोहिभिशन ऑफ इन्सायडर ट्रेडिंग) विनिमय के अनुसरण में इन्सायडर ट्रेडिंग पर पप्रतिबंध लगाने के लिए कंपनी की आचारसंहिता के क्रियान्वयन एवं अनुपालन के पर्यवेक्षण का कार्य भी समिति करती है। मंडल ने आरटीए तथा/ या कंपनी सचिव को प्रतिभूतियो के हस्तांतरण का अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

ए. विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण

समिति की जिम्मेदारियां निचे दिए अनुसार है:

(i) निशाकों की शिकायतों का निवारण करना

(ii) शेयरों का आबंटन, शेयर, डिबेंचर य अन्य किसी भी प्रतिभुतियों के हस्तांतरण या पारेषण को अनुमोदन देना ।

(iii) विभाजन/ संमेकन/ नवीनीकरण इत्यादि के मामले में डुप्लीकेट प्रमाणपत्र तथा नये प्रमाणपत्र जारी करना ।.

(iv) कंपनी का घोषित लाभांश , तुलनपत्र नहीं मिलने बाबत।

(v) समय समय पर संशोधित लिस्टिंग , अग्रीमेंट में समाविष्ट अन्य कार्यों का निर्वहन करना ।.

(vi) समय समय पर मंडल द्वारा निर्धारित कोई अन्य विषय.

बी. समिति की संरचना :

वर्ष 2014–15 के दौरान समिति का पुनर्गठन किया गया। दिनांक 31.03.2015 को समिति ने निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है ।:

1. श्री. जे.पी. डांगे (स्वतंत्र निदेशक)– चेयरमैन
2. डॉ. ए.के.लोमास (स्वतंत्र निदेशक)– सदस्य
3. श्री. एम.पी. चौधरी ,निदेशक (वित्त)– सदस्य
4. श्री. टी.के.पटनाईक, निदेशक (वाणिज्य)– सदस्य

सी. सभा एवं उपस्थिति :

वर्ष 2014–15 के दौरान अंश धारकों/ निवेशाकों की शिकायत समिति की सभाएं 23.05.2014, 12.08.2014 , 11.11.2014 और 27.01.2015 को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा सभा की उपस्थिति का विवरण निम्ननुसार हैं:

सदस्य के नाम	कुल आयोजित सभा	सभा में उपस्थिति
श्री. जे.पी. डांगे (सदस्य और 12-08-2014 के बाद अध्यक्ष)	2	2
डॉ. ए.के.लोमास – सदस्य	4	4
सुश्री सुनंदा प्रसाद – (सदस्य और अध्यक्ष 12-08-2014 तक)	2	2
श्री. एम.पी. चौधरी – सदस्य	4	4
श्री. ए.के.मेहरा – (31-01-2015 तक सदस्य)	4	4
श्री. टी.के.पटनाईक (14-02-2015 तक सदस्य)	शून्य	शून्य

डी. अनुपाल अधिकारी का नाम और पदनाम:

कंपनी के अनुपालन अधिकारी श्री नीरज दत्त पांडये , कंपनी सचिव है।

ई. निवेशक शिकायत का सारांश

31 मार्च, 2015, कॉम को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी और रजिस्ट्रार ने निवेशकों की शिकायतों कानूनी बाधा या विवाद में शीघ्रता से भाग लिया है।

क्र. संख्या	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	01, अप्रैल 2014 को शेष	1
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	74
3	वर्ष के दौरान देखा गयाध्या सुलझाया गया	75
4	अंशधारकों की संतुष्टि हल नहीं कि गयी	0
5	31 ,मार्च 2013 को लंबित	0

3.4 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर)

कंपनी द्वारा स्वीकृत किए गए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, ताकि स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप यह कार्य किए जा रहे, यह सुनिश्चित किया जा सके। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के ऐसे प्रस्ताव जो कंपनी के कार्यक्षेत्र के बहार के है, उन्हें मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले समिति के समक्ष रखा जाएगा। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति अथवा इसमें यदि कोई परिवर्तन करना हो तो इसकी समिति द्वारा मंडल को सिफारिश की जाएगी।

ए. विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण

समिति की जिम्मेदारियां नीचे दिये अनुसार है:

(i) निवेशकों की शिकायतों का निवारण करना,

(ii) अंशों का आंबटन , अंश, डिबेंचर या अन्य किसी प्रतिभुतियों के हस्तांतरण या पारेशण को अनुमोदन देना,

(iii) विभाजन / समेकन / नवीनीकरण इत्यादि के मामले में डुप्लीकेट प्रमाणपत्र तथा नये प्रमाण पत्र जारी करना,

(iv) कंपनी का घोषित लाभांश, तुलन पत्र नहीं मिलने बाबत

(v) समय–समय पर संशोधित लिस्टिंग एग्रिमेंट में समाविष्ट अन्य कार्यों का निर्वहन करना

बी. वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश हैं

वर्ष के दौरान समीक्षा के तहत कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, लिस्टिंग समझौतों और डीपीई दिशा–निर्देशों में पुनर्गठन ६ गठन समिति का गठन किया गया है 31/03/2015 से लागू हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(i) श्री जी.एस.ग्रोवर (स्वतंत्र निदेशक) – अध्यक्ष

(ii) सुश्री सुनंदा प्रसाद (स्वतंत्र निदेशक) – अध्यक्ष

(iii) श्री.ए.के.झा, सदस्य

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

सी. समिति की बैठके

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर समिति की सात सभाएं की गई है जो 6 मई, 11 जुलाई, 12 अगस्त, 20 सितंबर, 20 दिसंबर, 2014 और 27 जनवरी, 21 मार्च, 2015 को हुई थीं। समिति के सदस्यों द्वारा सभा में उपस्थिति सदस्यों का विवरण इस प्रकार है;

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या	बैठक जिसमें शामिल हुए
श्री जी.एस.ग्रोवर (12.08.2014तक सदस्य और तत्पश्चात अध्यक्ष)	7	7
कु. सुनंदा प्रसाद	7	7
श्री.जे.पी.डांगे (अध्यक्ष और12.08.2014 तक सदस्य)	4	4
श्री ए.के.झा	7	7

3.5. विपत्ति व्यवस्थापन समिति

सूचीबद्ध समझौतों और कंपनी अधिनियम, 2013 की अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी के निदेशक मंडल में एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। बोर्ड भूमिकाओं और जोखिम प्रबंधन समिति की जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है और समिति के लिए जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा सौंप दिया है।

ए. संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण:

कंपनी की जिम्मेदारियां इस प्रकार के रूप में कि जाती है:

(ए) जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने के लिए.

(बी) कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन की योजनातैयार करनेके लिए,लागू करने के लिएऔरजोखिम प्रबंधन की योजना पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।.

बी. समिति की संरचना

समिति में 31-03-2015 से निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं

(i) श्री. एम.पी.चौधरी– चेयरमैन

(ii) श्री.ए.के.झा– सदस्य

(iii) श्री.टी.के.पटनायक – सदस्य

(iv) श्री. सी.बी.अतुलकर – सदस्य

सी. समिति की बैठकें

जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें 18दिसंबर,2014 पर वित्त वर्ष के दौरान और 11 मार्च2015 को आयोजित कि गयी। भाग लिए समिति के सदस्यों और बैठक का ब्यौरा इस प्रकार हैं

सदस्य के नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
श्री एम.पी.चौधरी	2	2
श्री. ए.के.झा	2	2
श्री. टी.के.पटनायक	2	2
श्री.सी.बी.अतुलकर	2	1

4 सर्वसाधारण सभा

4.1 कंपनी की पिछली तीन सर्वसाधारण सभा का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है:

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्तावों की संख्या
2013-14	30th अगस्त,2013	11.30 A.M	मॉयल लि. गोल्डन जुबली हाल, वेस्ट कोर्ट प्रिमैसेस जिला परिषद् (पूर्व सरकारी) हाईस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर – 440013	शून्य
2012-13	22nd अगस्त,2013	2.30 P.M.	मॉयल लि. गोल्डन जुबली हाल, वेस्ट कोर्ट प्रिमैसेस जिला परिषद् (पूर्व सरकारी) हाईस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर – 440013	शून्य
2011-12	27th जुलाई,2012	2.30 P.M.	मॉयल लि. गोल्डन जुबली हाल, वेस्ट कोर्ट प्रिमैसेस जिला परिषद् (पूर्व सरकारी) हाईस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर – 440013	शून्य

4.2 रेपोर्ताधीन वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है ।.

4.3 आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभा में पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष प्रस्ताव संचालित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है ।

5. अनुषंगी कंपनी की सूचना : मॉयल की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं है ।

6. प्रकटीकरण

(i) कंपनी ने कोई ऐसा व्यवहार आरंभ नहीं किया है जो वास्तव में महत्त्वपूर्ण है, और जो बडे पैमाने पर कंपनी के हितों में संभावित संघर्ष निर्माण कर सकता है। फिर भी पक्षों से सम्बंधित व्यवहार के लेखों को टिप्पणी के मद संख्या 12 के नोट नंबर 1.2 में प्रकट किया गया है। कंपनी संबंधित पार्टी गतिविधि नीति है और वही अपनी वेबसाइट www.moil.nic.in में अपलोड की गई है

कंपनियों के प्रावधानों 1956 - 2013 का नियम और स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी सांविधिक प्राधिकरण के नियमों पालन न करने का कोई मामला नहीं था। इन अधिकारियों को भी किसी भी निंदा पारित या पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी विषय पर, कंपनी पर जुर्माना नहीं लगाया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर धारा 49 और डीपीई दिशानिर्देश की आवश्यकताओं के साथ पालन किया है। मॉयल एक सरकारी कंपनी है और इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशकों नियुक्त कर रहे हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति मंत्रालय के पास लंबित है।

(ii) गैर कार्यकारी निदेशकों के पास कंपनी के शेयर या परिवर्तनीय उपकरण नहीं है ।

(iii) कंपनी के किसी ने कार्मिक को लेखा–परीक्षा समिति से मिलने से इनकार नहीं किया है ।

(iv) सीटी ब्लोअर नीति: कंपनी एक सीटी ब्लोअर नीति है और उसी ने अपनी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड की गई है कंपनी आचरण या नैतिकता नीति की कंपनी के कोड के किसी भी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या उल्लंघन की निगरानी के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) ने अपने अधिकारी की अध्यक्षता में एक सक्षम और स्वतंत्र सतर्कता विभाग की है। और सभी कर्मियों आदि उनकी शिकायतों, शिकायतों के लिए सतर्कता विभाग के लिए उपयोग कर रहे हैं

खण्ड 49 की अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अंगीकरण :

मॉयल ने लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 के अनुबंध आइडी में निर्देशित गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में कम्पनी स्वर अपने अनुपालित क्षेत्र नीचे दर्शाए अनुसार हैं

1. चूंकि अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक कंपनी की पूर्णकालिक कर्मचारी हैं इसलिए अध्यक्ष का अलग से कार्यालय रखना आवश्यक नहीं है। आगे भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाती है। इसलिए किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कुल मिलकर 9 वर्षों से अधिक की सेवा प्रदान नहीं की है ।

2. कंपनी हर साल में एक बार स्वतंत्र निदेशकों की बैठक की आयोजन करती है, स्वतंत्र निदेशक की बैठक 20 दिसम्बर 2014 को आयोजित कि गयी।

3. कंपनी अग्रणी राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबारों में 'मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन' शीर्षक से त्रैमासिक अन–अंकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणामों प्रकाशित करती है। वित्तीय परिणाम कंपनी की वेब साईट www.moil.nic.in पर भी डाला गया है लेकिन अलग से प्रचलित नहीं किया है। कंपनी अपनी प्रमुख गतिविधियों, उपलब्धियों इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, समाचार पत्रो तथा अपनी वेबसाईट पर भी संप्रेषित करती है ।

4. कंपनी का हमेशा प्रयास रहता है कि अन्क्वालिफाईड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें ।

5. एक सरकारी कंपनी होने के नाते सभी निदेशकों की नियुक्तिध्नामांकन इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अतरू गैर–कार्यपालक निदेशकों के मूल्यांकन के लिए कोई पियर ग्रुप का गठन नहीं किया गया है ।

6. जब भी आवश्यक, लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

7. संचार के साधन

7.1 कंपनी अपने अन–अंकेक्षित/अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों को प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार, समाचार पत्रों जैसे इकोनॉमिक टाइम्स तथा हिंदी दैनिक समाचार पात्र, जैसे नवभारत प्रकाशित करती है।

7.2 यह अन–अंकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेब साइट www.moil.nic.in पर भी रखे जाते हैं ।

7.3 कंपनी प्रमुख गतिविधियों, उपलब्धियों, इत्यादि को संचार इलेक्ट्रोनिक माध्यम, समाचार पत्र तथा अपनी वेबसाईट पर संप्रेशित करती है ।

8. सामान्य अंशधारक की जानकारी

8.1 वार्षिक सर्वसाधारण सभा

दिनांक	दिवस	समय	स्थान
31.08.2015	सोमवार	11.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिला परिषद् (पूर्व–सरकारी) हायस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर– 440 013

8.2 वित्तीय वर्ष

कंपनी ने वित्तीय वर्ष प्रणाली को अपनाया है जो प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के पहले दिन से प्रारंभ होकर मार्च माह के 31वें दिन को समाप्त होता है।

8.3 रजिस्टर बंद होने की तारीख

दिनांक 24 अगस्त, 2015 से 30 अगस्त,2015 (दोनों दिवस शामिल)

8.4 लाभांश भुगतान तिथि

लाभांश के घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंशधारकों को उसका भुगतान/ प्रेषण किया जाता है.

8.5 स्टॉक एक्सचेंज में सूची बद्धीकरण

आपकी कंपनी के अंशों को दिनांक 15 दिसंबर 2010 को सूचीबद्ध हुए। एक्सचेंजों और स्टॉक कोड का विवरण इस प्रकार है

स्टॉक एक्सचेंज	अंश के प्रकार	स्टॉक कोड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	इक्विटी अंश	533286
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	इक्विटी अंश	मॉयल – ईक्यू

वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क उपरोक्त दोनों एक्सचेंजों के लिए भुगतान किया गया है।

पिछले वित्त वर्ष 2014–15 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न बाजार मूल्य डेटा :

माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2014	272.40	243.20	272.00	246.00
मई, 2014	341.70	248.00	341.00	248.50
जून, 2014	340.90	301.20	339.95	302.60
जुलाई, 2014	336.90	284.50	336.45	284.00
अगस्त, 2014	301.60	272.00	301.35	273.30
सितंबर, 2014	324.05	272.05	324.00	272.20
अक्तूबर, 2014	312.50	279.55	312.00	280.00
नवंबर, 2014	325.80	304.65	325.00	305.00
दिसंबर, 2014	324.70	259.50	324.05	285.60
जनवरी, 2015	320.55	291.00	320.00	290.55
फरवरी, 2015	295.60	278.00	296.15	278.50
मार्च, 2015	299.50	265.10	298.80	266.00

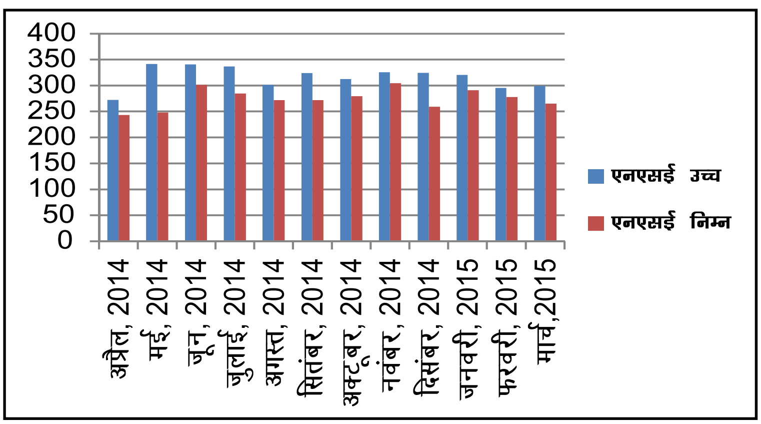

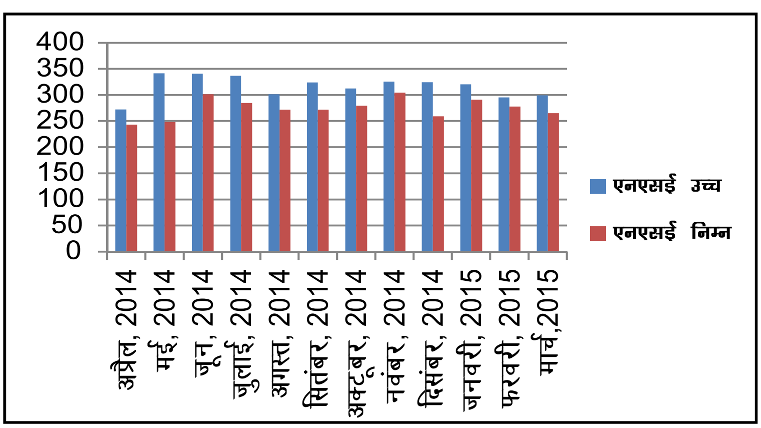

8.6 पिछले वित्त वर्ष 2014-15 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न बाजार मूल्य डेटा :

माह	एनएसई		बीएसई	
	एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी	मॉयल	सेन्सेक्स	मॉयल
अप्रैल, 2014	6696.4	255.00	22417.80	253.40
मई, 2014	7229.95	310.05	24217.34	310.05
जून, 2014	7611.35	324.45	25413.78	323.75
जुलाई, 2014	7721.30	298.15	25894.97	297.70
अगस्त, 2014	7954.35	295.30	26638.11	294.60
सितंबर, 2014	7964.80	286.20	26630.51	285.85
अक्तूबर, 2014	8322.20	311.10	27865.83	310.45
नवंबर, 2014	8588.25	316.85	28693.99	316.85
दिसंबर, 2014	8282.70	316.45	27499.42	313.20
जनवरी, 2015	8808.90	292.80	29182.95	291.70
फरवरी, 2015	8901.85	279.60	29361.50	279.45
मार्च, 2015	8491.00	276.60	27957.49	276.20

8.7 पंजीयक एवं स्थानांतरण अभिकर्ता का नाम व पता

पंजीयक एवं हस्तांतरण अभिकर्ता

ई–2 ए और 3ए अंसा इंडस्ट्रियल इस्टेट,
साकी विहार रोड, साकी नाका,
अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400 072
टेलीफोन: 91–22–40430200
फैक्स: 91–22–28475207
ईमेल: investor@bigshareonline-com
वेबसाइट : www.bigshareonline.com

8.8 शेयर हस्तांतरण प्रणाली

भौतिकीय खण्ड के अंतर्गत सभी शेयर हस्तांतरण के कार्य बिग शेयर सर्विसेस प्रा.लि.के द्वारा किए जा रहे है। शेयर हस्तांतरण प्रणाली में हस्तांतरिती से हस्तांतरण विलेख के साथ शेयरों के हस्तांतरण की रसीद, इसका सत्यापन, हस्तांतरण का ज्ञापन तैयार करना इत्यादि शामिल है। कंपनी की प्रतिभूतियों के आंबटन के लिए मंडल की उप–समिति द्वारा शेयर हस्तांतरण अनुमोदित किया जाता है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 47–सी के अनुसरण में छमाही आधार पर निर्धारित समय के भीतर शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के विधिवत अनुपालन की पुष्टि करते हुए कार्यकारी कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया है।

8.9 मंडल और लेखा–परीक्षा समिति के लिए बैठकों का संभावित कैलेंडर:

समाप्त तिमाही	सभा की संभावित तारीख
जून 30, 2015	अगस्त 2015 के पहले सप्ताह
सितंबर 30, 2015	नवंबर 2015 के पहले सप्ताह
दिसंबर 31, 2015	फरवरी 2016 के पहले सप्ताह
मार्च 31, 2016	मई 2016 के तीसरे सप्ताह

इसके अलावा जरूरतों के समय सभाओं का आयोजन किया गया।

8.10 शेयर धारणधिकार का वितरण

ए. 31 मार्च 2015 को धारणधिकार के आकार, प्रतिशत के अनुसार

शेयर की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	शेयर का प्रतिशत
1-5000	324719	99.9274	12724010	7.5738
5001- 10000	100	0.0308	719792	0.4284
10001-20000	57	0.0175	770527	0.4586
20001-30000	19	0.0058	474056	0.2822
30001-40000	12	0.0037	402835	0.2398
40001-50000	6	0.0018	282071	0.1679
50001-100000	9	0.0028	620529	0.3694
100001 एवं अधिक	33	0.0102	152006180	90.4799
कुल	**324955**	**100.00**	**168000000**	**100.0000**

बी. 31 मार्च 2015 को शेयर धारणधिकार की श्रेवार सारांश

श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
केंद्र धारित राज्य सरकार (प्रोमोटर्स / प्रमोटर समूह)	134400000	80.00
जनता	12500847	7.45
विदेशी संस्थागत निवेशक	12312538	7.33
निगमित संस्था	2773377	1.65
म्युचुअल फंड / यूटीआई	234711	0.14
वित्तीय संसथान / बैंक	4170732	2.48
बिमा कम्पनियां	1186234	0.71
अनिवासी भारतीय	288707	0.17
क्लियरिंग सदस्य	36119	0.02
न्यास	26944	0.02
कर्मचारी	10472	0.01

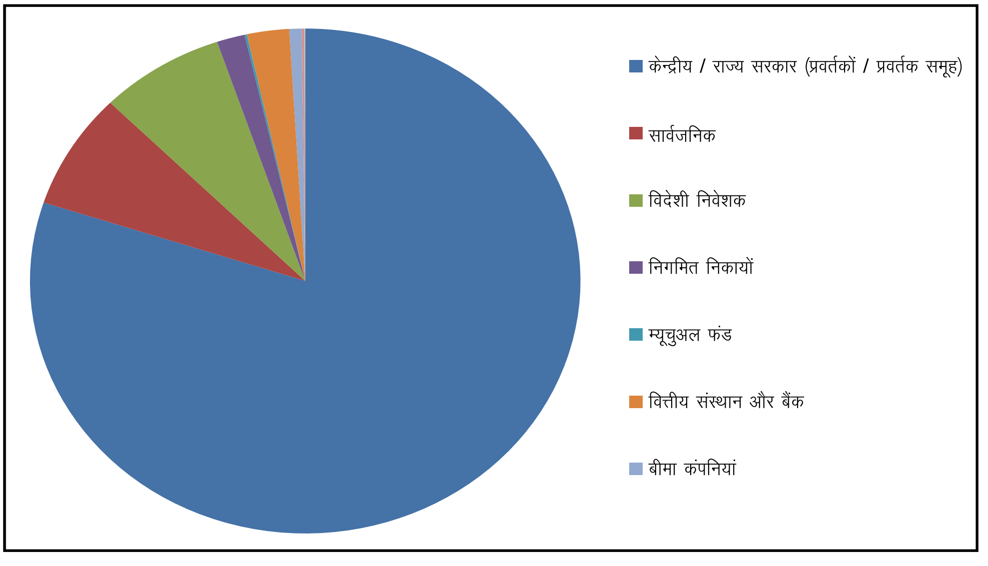

8.11 शेयरों का विभौतिकरण और तरलता

नैशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीलिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कंपनी के अंशों का विभौतिकरण किया जाता है।

31-03-2015 को विभौतिकीय और भौतिकीय रूप में अंशों की संख्या

श्रेणी	अंशों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजीका :
सीडीएसएल के साथ डीमैट प्रणाली में अंश	4768440	2.84
एनएसडीएलके साथ डीमैट प्रणाली में अंश	163231329	97.16
भौतिकीय प्रणाली में अंश	231	0.00
कुल	**16,80,00,000**	**100.00**

कंपनी की इक्विटीअंश भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में एनएसई और बीएसई पर तरल और सक्रिय रूप से कारोबार में एक जैसे ही शामिल है ।

8.12 बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या परिवर्तनीय उपकरणों, परिवर्तित तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या परिवर्तनीय उपकरणों, जारी नहीं किए गए हैं।

8.13 संदिग्ध खाते में अंशों का ब्यौरा:

संदिग्ध खाते में अंशों का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	अंशधारकों की संख्या	अंशों की संख्या
01.04.2014 की स्थितिसे संदिग्ध खाते में अंशधारक और बकाया के अंशों की कुल संख्या	20	340
वर्ष के दौरानसंदिग्ध खाते मेंशेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले अंशधारकों की संख्या	06	102
वर्ष के दौरान संदिग्ध खाते में से जिनके अंश हस्तांतरित किए गए है उनकी संख्या	06	102
बिना दावे के संदिग्ध खाते से अंशों का हस्तांतरण	0	0
31.03.2015 की स्थितिसे संदिग्ध खाते में अंशधारकऔरबकाया के अंशों की कुल संख्या	14	238

जब तक ऐसे शेयरों के वैध मालिक इन शेयरों पर अपना दावा नहीं करते तब तक इन शेयरों पर मतदान का अधिकार नहीं रहेगा ।.

8.14 खानों और पवन ऊर्जा फार्म के स्थान

खानों की सूची

क्र. संख्या	खान का नाम और पता
	महाराष्ट्र
1.	चिखला खान, पीओ .चिखला , तहसील–तुमसर , जिला – भंडारा, महाराष्ट्र पिन 4441920
2.	डोंगरी बुजुर्ग खान, डाकघर–डोंगरी बुजुर्ग , तहसील तुमसर , जिला भंडारा , महाराष्ट्र पिन –441907
3.	बेलडोंगरी खान , डाकघर–सातुक, तहसील – रामटेक , जिला –नागपुर, महाराष्ट्र पिन – 441105
4.	कान्द्री खान , डाक घर कान्द्री , तहसील – रामटेक , जिला –नागपुर , महाराष्ट्र पिन – 441401
5.	मनसर खान डाकघर मनसर, तहसील – रामटेक , जिला दृनागपुर, महाराष्ट्र पिन – 441106
6.	गुमगांव खान , डाकघर–खापा , तहसील –सावनेर, जिला –नागपुर, महाराष्ट्र पिन –441101

मध्य प्रदेश	
7.	बालाघाट खान, डाकघर , भारवेली, जिला –बालाघाट , म.प्र. पिन 481102
8.	उकवा खान, डाकघर, उकवा , जिला – बालाघाट , म.प्र. पिन– 481105
9.	तिरोडी खान , डाकघर–तिरोडी , जिला –बालाघाट , म.प्र. पिन– 481449
10.	सितापातोरे खान डाकघर – सुकली , जिला –बालाघाट , म.प्र. पिन–481449
प्लांट	
1.	फेरो मैंगनिज प्लांट 10000; (TPY) क्षमता , बलाघाट
2.	इलेक्ट्रिक मैंगनिज डायोक्साइडय (EMD) प्लांट; (1000TPY) क्षमता ,डोंगरी बुजुर्ग

पवन ऊर्जा फार्म की सूची

1	नागदा पहाडीयां , जिला .देवास , म.प्र.	क्षमता 4.8 MW
2	रतेदी की पहाडीयां , जिला . देवास , म . प्र.	क्षमता 15.2 MW

8.15 पत्रव्यवहार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय
कंपनी सचिव
मॉयल लिमिटेड,
"मॉयल भवन**"**
1-काटोल रोडए नागपुर . 440013
टेलीफैक्स – 0712 2806182/100
ई–मेल: compliance@moil.nic.in
वेबसाइट: www.moil.nic.in

9. आचार संहिता

मॉयल के अपने कर्मचारियों के आचरज के उंचे मानक स्थापित करने के सतत प्रयास के रूप में सभी मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए 'कोड ऑफ बिजनेस कंडक्टस एंड एथिक्स' बनाया है। उक्त संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in में प्रस्तुत की गई है द्य कंपनी के सभी मंडल सदस्यं एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2014.15 के दौरान मॉयल की 'कोड ऑफ बिजनेस कंडक्टस एंड एथिक्स' का पालन करने का अभिवचन दिया है ।

घोषणा

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में किए गए प्रावधान के अनुसार कंपनी के सभी मंडल सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 'कोड ऑफ बिजनेस कंडक्टस एंड एथिक्स का अनुपालन की पुष्टि करते है।

मॉयल लिमिटेड के लिए
जी.पी. कुंदरगी
अध्यक्ष –सह –प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23/07/2015

---

10. सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण

नामांकन अनुबंध की खंड 49 के अनुसार जैसा कि आवश्यक है, निगमित शासन रिपोर्ट के साथ यथेष्ट रुप से कंपनी के सीईओ और सीएफओ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है ।

11. मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

मंडल के सदस्यों के लिए कोई विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। बहरहाल मंडलध्समितियों की बैठकों में वरिष्ठ कार्यकारियों/ व्यावसायिकों/ सलाहकारों द्वारा व्यापार से संबंधित मुद्दों,जोखिम मूल्यांकन इत्यादि के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जाता है। कंपनी अपने निदेशकों को विभिन्न बाहरी संस्थाओंध्एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नामित करती है

12. स्वतंत्र निदेशक के लिए परिचय

बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की प्रक्रियाओं और प्रथाओं के साथ परिचित करने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज /विवरण पुस्तिका , रिपोर्टों और आंतरिक नीतियों के साथ प्रदान की जाती हैं।समय–समय पर कंपनी के कारोबार और निष्पादन अपडेट, कारोबारी माहौल, व्यापार रणनीति और शामिल जोखिम पर, मंडल और मंडल समिति की बैठकों में प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शन बनाये जाते रहे है। कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्रों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी वर्ष के दौरान आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकों में बनाये जाते है। प्रासंगिक वैधानिक परिवर्तन पर के सभी अपडेट निर्देशकों के लिए सूचित किये जाते है। कंपनी के संचालन को समझने के लिए सभी निदेशकों के लिए विभिन्न खानों के दौरे आयोजित किये जाते है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए इस तरह के परिचय के कार्यक्रमों की जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती हैं और उन्हें http://moil.nic.in/ writereaddata /pdf /familirazation_programme _ for_ independent_ directors.pdf के जरिये उन पर पहुँचा जा सकता है ।

13. लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा

कंपनी में लागू सभी कानूनों के अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा समय–समय पर मंडल द्वारा की जाती है तथा सभी लागू कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है ।

14. लेखा परीक्षक का अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी के लेखा परीक्षक, सीएस अमित राजकोटिया ,से यह प्रमाण पत्र मिला है कि ,कंपनी के सचिव निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासनकी धारा 49 के तहतकंपनी की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि,लिस्टिंग समझौता इस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है।

सीइओ एवं सीएफओ का प्रमाणन

प्रति,

निदेषक मंडल,

मॉयल लिमिटेड,

नागपूर

ए) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमने 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों एवं नगदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:

i. इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य वक्तव्य नहीं है या किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को निकाला नहीं गया है या ऐसे विवरण नहीं हैं जो गुमराह कर सकते है :

ii. इन विवरणों के साथ कंपनी के कार्यकलापों की सही एवं निश्कर्ष छवि प्रस्तुत होती है तथा यह मौजूदा लेखांकन मानकों लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन में है।

बी) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान कोई भी व्यवहार नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी: अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो ।

सी) हम वित्तीय प्रतिवेदन के लिए आंतरिक नियंत्रण के स्थापित करने एवं बनाए रखने की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा हमने अंकेक्षक समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की संरचना या प्रचालन में कमियों यदि कोई हो, जिसकी हमें जानकारी हो तथा इन कमियों को सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में हमने उनके समक्ष प्रकटीकरण किया है|

डी) हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षक समिति को सूचित किया है कि:

i. वर्ष 2014-15 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में परिवर्तन;

ii. वर्ष 2014-15 के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसे वित्तीय विवरणी की टिपण्णी में प्रकट किया है; तथा

iii. जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय भूमिका है ।

एम.पी. चौधरी
निदेशक वित्त

जी.पी.कुंदरगी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 29/05/2015

अनुलग्नक VI

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट 2014-15

प्रस्तावना

प्रबंधकीय विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) का लक्ष्य व्यापारिक पर्यावरण में विकास, पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी के निष्पादन और भावी पर्यवेक्षण को स्पष्ट करना है। एमडीएआर निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा है। कंपनी का निष्पादन मांग, आपूर्ति, जलवायुगत स्थितियों, आर्थिक अवस्थाओं , राजनीतिक स्थितियों , सरकारी विनिमयों, और नीतियों कराधान और प्राकृतिक आपदाओं जैसे अनेक कारकों पर निर्भर होता है जो कंपनी के नियंत्रण से परे होते है, और कंपनी के प्रचालन में उल्लेखनीय अंतर ला सकते हैं। इसके मद्देनजर पूर्वानुमानों, पर्यवेक्षणों, अपेक्षाओं, आकलनों इत्यादि के संबंध में दिये गये कुछ विवरण वास्तविकता से अलग हो सकते हैं।

ए. उदयोग की संरचना और बाजार परिदृश्य

भारत में विकसनशील अर्थव्यवस्था है बडी लोकसंख्या है। आर्थिक वृद्धी का जोर कायम रहने के लिए इस बात की जरुरत है की लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर , नये और बडे शहर, यांत्रिकी और उत्पादन में निवेश होता रहे की जिससे जादा लोगोंको नौकरी मिले और अर्थव्यवस्था आगे बढे ।

भारत अभी दुनिया का चौथा सबसे बडा इस्पात का उत्पादक है, जिसमे 2015 में 80 मिलियन टन इस्पात और 2016 में 86 मिलियन टन के अनुमानित उपयोग की संभावना है। ऐसी भी संभावना है की विश्व के तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाआ/ देशों में इस्पात का उपयोग अगले साल बढेगा। वर्ल्ड स्टील असोसिएशन (डब्लूएसए) के , पूर्वानुमान के अनुसार विश्व में इस्पात का उपयोग वर्ष 2015 में 0.5 प्रतिशत से बढकर 1544 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है जो 2014 में 0.6 प्रतिशत था। 2016 में विश्व में इस्पात की मांग 1.4 प्रतिशत से बढेगी और 1565 मिलियन टन तक पहुंचेगी।

विश्वभर में कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2014 में 1.2 प्रतिशत बढत के साथ वर्ष 2013 के 1642 मिलियन टन बढकर वर्ष 2014 में 1662 मिलियन टन हो गया है। जबकि भारत में उत्पादन 2013 के 81.3 मिलियन टन से 2.35 प्रतिशत की वृद्धि दर से 2014 में 83.21 मिलियन टन हो गय।(स्त्रोत डब्लूएसए)। यह भारत में विश्व के मुकाबले इस्पात उद्योग की तेज बढत दर को दर्शाता है ।

वर्ल्ड स्टील असोसिएशन (डब्लूएसए) मुताबिक अपेक्षित लोकसंख्या वृद्धी दर , इस्पात के नये उपयोग और इस्पात के अच्छे उपयोग की वजह से विश्व इस्पात बाजार में आगे और तेजी से बढेगी और इसमे अगले पचास वर्षों में 700 से 1000 मिलियन टन की बढोतरी हो सकती है।

मैंगनीज अयस्क उद्योग का निष्पादन मुख्यतः इस्पात उद्योग के निष्पादन पर निर्भर करता है। विश्व इस्पात उत्पादन की तरह ही विश्व मैंगनीज अयस्क उत्पादन 2013 के 57.70 मिलियन टन से बढकर 2014 में 2.25 प्रतिशत के बढत के साथ 59 मिलियन टन हो जायेगा। वहीं भारत में वर्ष 2014-15 के2.57 मिलियन टन से घटकर 2.27 मिलियन टन हो गया है 2013-14 के तुलना में।

बी. अवसर और चुनौतियां

अवसर

- सरकार देशी और विदेशी, दोनों स्त्रोतों से भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और विचाराधीन निवेश अभिप्रायों का सुगमीकरण करने के लिए कृत संकल्प है ताकि घरेलू मांग को पूरी तरह पूरा करने के लिए में कच्चे इस्पात की क्षमता पहुंचायी जा सके और अभिकल्पित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए वांछित अवसंरचना का आसन उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके ।
- वर्तमान घरेलु कच्चे इस्पात का उत्पादन 2016–17 तक 140 मिलियन टन हो जाएगा ओर इसमें 149 मिलियन टन तक पहुचने की क्षमता है अगर सभी जरूरते पूरी हो सके। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात की क्षमता स्तर तक पहुँचने की प्रतिबद्धता रखी है जिससे मैंगनीज अयस्क की मांग निर्माण हो।
- भारत का सबसे बडा मैंगनीज अयस्क निर्माता होने के नाते मॉयल, देश के कुल उत्पादन के लगभग 44% उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। लगभग 77.38 मिलियन टन सुरक्षित भंडार और मैंगनीज अयस्क के संसाधनों के साथ स्थापित भंडार के लगभग 44% का धारक मॉयल अपनी प्रभावी स्थिति, मध्यम से उच्च कोटि के अयस्क, केंद्र में स्थित खानों और सशक्त ग्राहक जुडावों के साथ भारत की इस्पात मांग की वृद्धि का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है ।
- इस्पात के उत्पादन में सिलिको मैंगनीज के उपयोग की दिशा में क्रमिक रुझान के कारण निम्न और मध्यम कोर्ट के अयस्क की बाजार संभावनाएं अच्छी हैं ।.
- सशक्त वित्तीय स्थिति, अर्थात भारी नगदी भंडार मॉयल को बडी निवेश योजनाओं में निवेश का अवसर प्रदान करती है। कंपनी ने अपनी वर्तमान खानों के विकास के लिए भारी निवेश की योजना बनायी है जिससे मैंगनीज अयस्क की भावी आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादन और उत्पादकता बडेगी ।
- केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में 814.71 हेक्टर जमीन का आरक्षण कर रखा है। अन्य स्वीकृतियां मिलने और औपचारिकताए पूरी हो जाने के बाद यह मैंगनीज अयस्क की मांग पूरी करने और भारत की इस्पात की बढती मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छा अवसर प्रदान करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही 597.44 हेक्टर जमीन के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। इन क्षेत्रो में तीन नए खानों का खोला जाना अपेक्षित है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने मॉयल को इंटर आलिया नोटिफिकेशन के तहत समूचे देश में विविध खनिजों के लिए एक्सप्लोरेशन करने को कहा है द्य इससे मॉयल को अपना व्यापार बढने के अवसर प्राप्त होंगे।
- खान मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में अन्य बातों के साथ देश भर में विभिन्न खनिजों के अन्वेषण के संचालन के लिए मॉयल को अधिसूचित किया है। यह मॉयल के लिए अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अवसरों को खोलता है।
- मैंगनीज अयस्क के उत्खनन के व्यापक अनुभव के साथ कंपनी अन्य खनिजों के क्षेत्र में विस्तार की योजना भी बना सकती है।

मॉयल की स्पर्धक क्षमता

- उच्च कोटि के मैंगनीज अयस्क का वृहत्तर भंडार और देश में मात्रा के लिहाज से मैंगनीज अयस्क का सबसे बडा उत्पादक
- मॉयल देश में उच्च/ मध्यम ग्रेड मैंगनीज अयस्क के कुल प्रदर्शन भंडार की देश की सबसे बडी कंपनी है ।
- ऊंची सकल कीमत और शून्य कर्ज के साथ बडी वित्तीय शक्ति .
- अच्छी कार्य संस्कृति के साथ तकनीकी दृष्टी से कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता .
- कंपनी के सुरक्षित भंडार मध्य भारत की मैंगनीज पट्टी में है जिसमें भंडार आमतौर पर नियमित रुप से विद्यमान है ।
- कंपनी के पास संचार तंत्र का लाभ है, क्योंकि उसकी सारी खानें प्रादेशिकध्राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुडी हैं। इसकी खानें दक्षिण पूर्व मध्य रेल के संजाल पर स्थित हैं और उन तक रेल साइडिंग उपलब्ध है ।
- मॉयल हमेशा से परिपूर्ण और पर्यावरण मित्र ऐसी खान कंपनी रही है ।

चुनौतियां

- मैंगनीज अयस्क का आयात अब भी कंपनी के लाभ की गुंजाइश के लिए खतरा और चुनौती बना हुआ है ।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में मैंगनीज अयस्क की कीमत गिरने से इसकी घरेलू कीमत भी गिर सकती है ।
- मॉयल का मुख्य उत्पादन भूमिगत खानों से होता है जहां उत्पादन लागत ओपन कॉस्ट खानों की तुलना में अधिक होती है। पूंजी की लागत में किसी तरह की वृद्धि लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी ।
- नियामक स्वीकृतियों में किसी तरह की देरी दीर्घकालिक विकास को प्रभावित कर सकती है।
- इसके अलावा, खान विकास के लिए हाथ में ली गयी परियोजना को समय से पूरा करना हमेशा एक चुनौती होता है खास कर नियत समय और लागत में भूमिगत खनन का विकास और इसमें किसी तरह की कमी लक्षित कार्य निष्पादन को प्रभावित कर सकती है ।.
- इस्पात उदयोग चूंकि अपनी प्रकृति में चक्रीय होता है इसलिए मैंगनीज अयस्क की मांग इस्पात क्षेत्र की प्रगति के अधीन होती है और यह कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है ।
- कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल के भारी भंडार के मामले में जोखिम में फंस सकती है और वह अल्पकालिक तौर पर मैंगनीज अयस्क की कुल खरीद को प्रभावित कर सकता है ।

कमजोरी

- खनन कंपनी के रुप में मॉयल लोगों और पर्यावरण के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित गहन विनियमों के अधीन है। नियामक मानकों के सतत विकास और समुदाय की बढती अपेक्षाओं के मद्देनजर कंपनी अनुपालन लागत वृद्धि और अप्रत्याशित पर्यावरणी सुधार खर्च के प्रति आश्रित है ।
- नवीन खानों की लीज प्राप्त करने होने वाली देरी प्रकारांतर से नयी खानें शुरू करने में देरी होती है जिससे कंपनी की निवेश योजनाएं प्रभावित होती हैं ।
- कंपनी मुख्यतः एक उत्पादन वाली कंपनी है , ऐसे में मैंगनीज अयस्क उदयोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कंपनी की लाभकारिता पर आघात पहुंचता है ।
- मॉयल की खानें बहुत पुरानी हैं और उनका पूरी तरह यांत्रिकीकरण बहुत कठिन है ।
- भंडारों के अधिक गहराई पर पहुंचने के कारण उत्पादन लागत बढेगी ।

सी. संभावना

मैंगनीज और फेरो एलॉय उत्पादों की मांग सीधे इस्पात उदयोग की संभावना और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर करती है। दुनिया के कुल मैंगनीज उत्पादन के 95% से अधिक का उपयोग इस्पात के वि–गंधकीकरण और उसे मजबूत बनाने में होता है। इस्पात का उत्पादन बढ ने के कारण मैंगनीज अयस्क और फेरो एलॉय की मांग बढी है ।

वर्ल्ड स्टील असोसिएशन (डब्लूएसए) ने अनुमान लगाया है कि भारत का इस्पात उदयोग 6.2% की दर से बढेगा और 2015 तक में 80 मिलियन टन हो जायेगा। उसके बाद वित्तीय घाटे को कम करने के लिए किये जाने वाले विभिन्न आर्थिक सुधारों के साथ–साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सुधार लाने के लिए किये जाने वाले उपायों के कारण 2016 में विकास दर के 7.3% पर पहुंच जाने की भविष्यवाणी की गयी है। दुनिया भर का प्रत्यक्ष इस्पात उपयोग के 2015 में 0.5% की दर से बढ कर 1544 मिलियन टन पर पहुंच जाने की उम्मीद है। 2016 में विश्व इस्पात मांग 1.4% दर से बढ कर 1565 मिलियन टन पर पहुचने की उम्मीद है ।

भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए इस्पात की मांग में बढोतरी होगी और उससे देश में मैंगनीज अयस्क के उघोग को अपार संभावनाए मिलेगी। इस्पात की मिश्रधातुओं में मैंगनीज का उपयोग मजबूती,कठोरता,टिकाऊपन, और क्षारण प्रतिरोध जैसे कई लाभकर गुण बढाने के लिए किया जाता है। इसलिए मैंगनीज अयस्क उदयोग के इस्पात उदयोग के साथ विकास करने की काफी संभावनाएं हैं ।

भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने और अपने शिर्ष स्तर को बनाए रखने के क्रम में मॉयल ने एक रणनीतिक प्रबंधन योजना तैयार की है जिससे अभी के 1.1 मिलियन टन से 2020 तक 2.0 मिलियन टन और 2030 तक 3.0 मिलियन टन उत्पादन क्षमता विकसित होगी ।

देश का प्रति व्यक्ति 60 किलोग्राम का इस्पात उपयोग दुनिया के लगभग 215 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपयोग की तुलना में बहुत कम है। वस्तुतः अधिकतर विकसित देशों से यह उपयोग 250 किलोग्राम से अधिक है। यह देश में इस्पात उदयोग के विकास और प्रकारांतर से मैंगनीज अयस्क की मांग में वृद्धि के अच्छे अवसर प्रदान करता है

देश में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 2.27 मिलियन टन 2014–15 वर्ष के दौरान रहा। उच्च ग्रेड की मैंगनीज अयस्क की कम उपलब्धता के कारण उत्पादक मैंगनीज अयस्क का आयात करते है और 2014–15 वर्ष के दौरान आयत 3.17 मिलियन टन रहा जो 2013–14 में 2.195 था इससे मॉयल को अपना उत्पादन बढाने का अवसर मिलेगा ।

डी. जोखिम एवं चिंताएं

मैंगनीज अयस्क उदयोग सीधे–सीधे इस्पात उदयोग से जुडा है जो अपनी प्रकृति में चक्रीय होता है और मैंगनीज अयस्क की मांग को प्रभावित करता है। मॉयल श्रम सघन संस्थान है हालांकि कंपनी के औद्योगिक संबंध अच्छे रहे हैं लेकिन मजदूरों के साथ जुडे जोखिमकारक हमेशा उसके उत्पादन निष्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ।

जमीन और खनन अधिग्रहण के लिए नियामक स्वीकृतियों के अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था के अभी तक उद्‌भवन काल में होने के साथ अगले कुछ वर्षों के लिए मांग का परिदृश्य भयावह ही दिखाई पद रहा है।

भारत में मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है। आपूर्ति पक्ष के उपायों में सुधार और उत्पादकता सुधारने पर ध्यान देने की जरुरत है ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता से अधिक आपूर्ति चिंता का एक और विषय बनी रहेगी और लंबी समयावधि में मैंगनीज की घरेलू कीमत को कमजोर कर सकती है ।

ई. खंड या उत्पादानुसार निष्पादन

बिक्री का निष्पादन

वर्ष 2014 – 15 के दौरान मैंगनीज अयस्क की विशुद्ध बिक्री 749.55 करोड रुपये रही जो पिछले वर्ष 946.16 करोड रुपये थी, जिससे 20.78 : की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी ।

पिछले वर्ष के 11.33 लाख टन की बिक्री के मुकाबले वर्ष 2014–15 के दौरान 11.35 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री हुई। कंपनी के पिछले वर्ष में मैंगनीज अयस्क की 11.33 लाख टन की तुलना में वर्ष 2014–15 में मैंगनीज अयस्क की 9.10 लाख टन बेच दिया है कंपनी के बिक्री के संख्या में भी 19.68% की कमी पिछले वर्ष के मुकाबले में आयी। कंपनी ने बिक्री टर्नओवर में भी बाजार की निराशाजनक अवस्था के कारण 20.78% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की ।

कंपनी के निर्मिती उत्पादनइलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाईऑक्साईड (ईएमडी), फेरो मैंगनीज और फेरो मैंगनीज स्लैग की शुद्ध बिक्री 2014–15 वर्ष के दौरान 73.55 करोड रही जो पिछले वर्ष 73.78 करोड रुपये थी। इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाईऑक्साईड (ईएमडी) की बिक्री 655 टन रही जो पिछले साल 893 टन थी ।जब कि पिछले वर्ष के 8707 टन के मुकाबले फेरो मैंगनीज की बिक्री 8587 टन रही ।

उत्पादन

कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 11.35 लाख टन के मुकाबले विभिन्न कोटियों के 11.39 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन दर्ज किया। इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाईओक्साइड का उत्पादन 950 टन था (पिछले साल 923 टन) जबकि उसने पिछले साल के 10042 टन के मुकाबले इस साल 10045 टन फेरो मैंगनीज का उत्पादन किया। उसने वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 12750 टन के मुकाबले 13358 टन फेरो मैंगनीज स्लैग का उत्पादन दर्ज किया। डब्ल्यूटीजी ने वर्ष के दौरान 328.08 लाख (केडबल्यूएच) यूनिट उत्पादन किया जबकि पिछले साल का उत्पादन 332.06 लाख (केडबल्यूएच) यूनिट था ।

एफ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी यथेष्ठता

कंपनी के पास आतंरिक नियंत्रण की उपयुक्तता है और वो अपने आप में परिपूर्ण है ।

जी. प्रचालनिक कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर परिचचा

मैंगनीज अयस्क के बाजार ने पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया जिससे कंपनी को वित्त वर्ष 2014–15 में अपनी शीर्ष पंक्ति और आधार पंक्ति का निस्पादन बढाने में मदद मिली ।

वित्तीय निष्पादन

₹ करोड मे

विवरण	2014-15	2013-14
शुद्ध बिक्री	823.25	1021.28
अन्य आय	316.61	303.32
कुल आय	1139.86	1324.60
कुल व्यय	444.20	520.10
कुल बचत	695.65	804.51
अवमूल्यन	45.08	35.18
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ	650.57	769.33
आय कर का प्रावधान	222.56	259.76

वर्ष के लिए कर के बाद लाभ	428.01	509.56
पी ऍंड एल खाते में प्रारंभिक लाभ	5.20	12.22
लाभांश और लाभांश कर	171.35	147.87
सामान्य सुरक्षित निधि और सीएसआर सुरक्षित निधि में अंतरण	250.18	370.34
अस्थगित लाभ	9.73	5.20

वर्ष के दौरान कंपनी के कुल राजस्व में 13.95% की कमी आयी, जो कि पिछले वर्ष के 1324.60 करोड रुपये की तुलना में वर्ष के दौरान 1139.86 करोड रुपये रहा। निराशाजनक बाजार अवस्था के कारण कंपनी ने वित्त वर्ष 2014–15 में पिछले साल के 1021.28 करोड रुपये की तुलना में 19.39% कम याने 823.25 करोड रुपये का टर्न ओवर दर्ज किया। वर्ष के लिए पीबीटी 650.57 करोड रुपयेहै जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.44% की दर से कम हुआ है, जबकि कर के बाद लाभ (पीएटी) 16% की दर से कम होकर 428.01 करोड रुपये रहा जो पिछले साल 509.56 करोड रुपये था। कंपनी की ईबीआईटीडीए मार्जिन पिछले साल के 78.77% के मुकाबले थोडा–सा बढ कर 84.50% हो गया है। बहरहाल कंपनी की सतत विवेकपूर्ण योजना के साथ व्याज से होने वाली आय 11.97% की वृद्धि के साथ पिछले साल के 249.86 करोड रुपये से बढ कर 279.77 करोड रुपये हो गयी है ।

प्रचालनिक निष्पादन

वर्ष 2014–15 खान एवं धातू उदयोग के लिए चुनौती पूर्ण साल रहा,खास तौर पर मैंगनीज अयस्क उद्योग के लिए।इसके बावजूद कंपनी अपने मुल उत्पादन में 9.90% की रेकॉर्ड उछाल लगाने में सफल रही ।कुल मिला कर बाजार की स्थिति,मांग, और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान कंपनी का निष्पादन पूरी तरह संतोषजनक रहा ।

उत्पादन समीक्षा

कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 11.35 लाख टन के मुकाबले विभिन्न कोटियों के 11.39 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन दर्ज किया। इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाई ऑक्साईड (ईएमडी) के मामले में कंपनी ने पिछले साल की तुलना में 2.93% टन से बढ कर इस साल 950 टन पर पहुंच गया जो पिछले वर्ष 923 टन था। कंपनी ने पिछले साल के 10042 टन के मुकाबले इस साल 10045 टन फेरो मैंगनीज का उत्पादन किया। फाइन्स का उत्पादन चालू वर्ष में 162076 टन रहा जो पिछले वर्ष 245048 टन था। उत्पादकता और संसाधनों के प्रभावकारी उपयोग की बेहतर योजना के कारण कंपनी ने विभिन्न कोटियों के मैंगनीज अयस्क के ढेलों–चिप्पियों पिछले साल के 889460 टन के उत्पादन को पार करके इस वर्ष 9.90% वृद्धि दर्ज कराते हुए 977080 टन उत्पादन 2014–15 वर्ष में किया।

कंपनी की उत्पादकता उत्कृष्ट रही क्योंकि प्रति मानव पाली उत्पादन 0.818 टन (पिछले साल 0.805 टन) है ।

एच. नियोजित श्रम बल की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध की दिशा में भौतिकीय विकास

मॉयल के कर्मचारी कंपनी के प्रति समर्पित एवं इमानदार है। कंपनी के कर्मचारी कंपनी के साथ बने रहते है। प्रबंधन के कार्यानुसार वे अपने पुरे कर्मचारियों को सभी तरह का आरामदायी दर्जा देना और जहा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की जरुरत है वो प्रदान करते है।

कंपनी के औद्योगिक सम्बन्ध पुरे वर्ष के दौरान मैत्रीपूर्ण रहे। अगर कोई मुद्दा या समस्या आयी भी तो चर्चा द्वारा उपयुक्त मंच पर सुलझा दी गयी। कामगार यूनियन की ओर से कर्मचारियों को मिलने वाला समर्थन ओर सहकार्य काबिले तारीफ रहा ।

वृद्धि के पथ पर चलते हुए , केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में जो 814.71 हेक्टर जमीन का आरक्षण कर रखा है वह मॉयल के लिए है। अन्य स्वीकृतियां मिलने और औपचारिकताए पूरी हो जाने के बाद यह मैंगनीज अयस्क की मांग पूरी करने और भारत की इस्पात की बढ ती मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छा अवसर प्रदान करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही 597.44 हेक्टर जमीन के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। इन क्षेत्रो में तीन नए खानों का खोला जाना अपेक्षित है ।भारत सरकार के खान मंत्रालय ने मॉयल को इंटर आलिया नोटिफिकेशन के तहत समूचे देश में विविध खनिजों के लिए एक्सप्लोरेशन करने को कहा है। इससे मॉयल को अपना व्यापार बढ ने के अवसर प्राप्त होंगे। इसी तरह मॉयल ने मध्यप्रदेश सरकार के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए एमओयू किया है ।

इसके लिए ज्यादा कौशल्य ओर ज्ञान वाले लोगों की जरुरत पडती है। ऐसे ज्ञानपूर्ण और कौशल्यपूर्ण लोगों को प्राप्त करने के लिए मॉयल उसके अभी के लोगों को प्रशिक्षित करती है और साथ ही साथ भविष्य में नई भर्ती भी करती है।

31 मार्च ,2015 तक 6417 लोग कंपनी के कर्मचारी थे ।

आय. पर्यावरणी सुरक्षा और परिरक्षण, प्रा ोगिकीय परिक्षण, पुनर्नवीनीकरण योग्य ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा का परिरक्षणय

इससे संबंधित जानकारी मंडल की रिपोर्ट में दी गयी है ।

जे. निगमित सामाजिक दायित्व

मॉयल अलग–अलग सीएसआर गतिविधियों में सक्रीय है ।इससे संबंधित विस्तृत जानकारी मंडल की रिपोर्ट में दी गयी है ।

निगमित अधिशासन प्रमाण पत्र

प्रति,
मॉयल लिमिटेड के सदस्य
नागपूर

भारत सरकार के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कंपनी व्दारा किए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में निर्देशित तथा भारत सरकार के सरकारी उपक्रम विभाग (डीपीई) नयी दिल्ली व्दारा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के लिए निगमित अधिशासन हेतु जारी किए गए दिशा–निर्देशों के शर्तो के तहत 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड व्दारा किए गए अनुपालन की हमने जांच की है।

निगमित अधिशासन की शर्तों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारे जांच दायरा, कंपनी व्दारा उक्त खण्ड एवं डीपीई की दिशा निर्देशों में निर्देशित निगमित अधिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चता के लिए कंपनी व्दारा अपनाई जा रही प्रक्रिया तथा उसके परिपालन तक सीमित थी। यह अंकेक्षण नही है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर प्रकट की गई राय है ।

हमारी राय में हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टिकरण तथा निदेशकों एवं प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार परए प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 तथा डीपीई के दिशा–निर्देशों में निर्देशित निगमित अधिशासन के षर्तों का कंपनी व्दारा अनुपालन किया गया है ।

हम कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालनए कंपनी की भावी व्यवहार के रूप में कोई आश्वासन नहीं है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का कोई आश्वासन है जिससे प्रबंधन व्दारा कंपनी का व्यवहार संचलित किया जाता है।

स्थान : नागपूर
दिनांक : जुलाई 10, 2015

हस्ताक्षर
सी.एस. अमित. के. राजकोटिया
व्यावसायी कंपनी सचिव
एफसीएस 5561 सीपी नं. 5162

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के तहत मॉयल लिमिटेड, के 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिपण्णीयां

कंपनी अधिनियम , 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये मॉयल लिमिटेड , नागपुर की वित्तीय विवरणी बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 139 (5) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणी पर राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी है , जो उनकी व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखापाल संस्था द्वारा निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुकूल स्वतंत्र लेखा परिक्षण जो अधिनियम की धारा143(10) पर आधारित है। यह कहां जाता है की दिनांक 25 जून 2015 की उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह उनके द्वारा किया गया है ।

मैं , भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 143 (6)(ए) अनुसार मॉयल लि. नागपुर के 1 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष की वित्तीय विवरणीयों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है । यह अनुपूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्य संबधी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया तथा यह सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कार्मिको की प्रताहमिक जांच तथा कुछ चुनिंदा लेखा अभिलेखोंकी जांच तक सीमित था । मरे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नही आया जो सांविधिक अंकेक्षक पर कोई टिप्पणी करने या अनुपूरक जोडने का कारण बन सकें ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

(तनुजा एस.मित्तल)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षाएवं पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड-III नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई, 2015

फार्म सं MR-3

सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी की धारा 204 (1) के अनुसार अधिनियम, 2013 और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और वेतन) नियम के नियम संख्या 9 2014

प्रति,
मॉयल लिमिटेड सदस्य,मॉयल भवन
1 ए – काटोल रोड
नागपुर – 440 013

मॉयल लिमिटेड द्वारासचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया गया था जिससे की लागू सांविधिक प्रावधान और अच्छा कॉर्पोरेट अभ्यास का अनुपालन किया जाए । सचिवीय ऑडिटएक उचित आधार प्रदान करने के लिए और कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया गया था।

हमारी सत्यापन के आधार परकंपनी द्वारा बनायी गयी कंपनी की किताबें, कागज, कार्यविवरण पुस्तिका , फॉर्म्स और दायर रिटर्न और अन्य अभिलेखों की और कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान जो सांविधिक प्रावधान किए गए थे और कंपनी के निदेशक प्रक्रिया एवं शिकायत प्रक्रिया के तहत और रिपोर्टिंग के अनुसार निचे दिया गया है ।

हमने कंपनी द्वारा बनायी गयी कंपनी की किताबें, कागज, कार्यविवरण पुस्तिका , फॉर्म्स और दायर रिटर्न और अन्य अभिलेखों की और कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का परिक्षण किया और 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित प्रावधानों को पाया ।

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम)और उसके तहत बनाए गए नियमय

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (श्एससीआरएश्) और उसके तहत बनाए गए नियमय

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत विनियम और उपनियम ;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रवासी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक अधीन बनाए गए नियम और विनियमय जो कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(v) प्रति भूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 (सेबी अधिनियम)के तहत निर्धारितदिशा निर्देशों अंतर्गतनिम्नलिखित नियम आते है। :-

(ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम यशेयरों और अधिग्रहण के पर्याप्त अधिग्रहण, 2011

(बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यइनसाइडर ट्रेडिंग रोख विनियम 1992

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड; कैपिटल प्रकटीकरण आवश्यकताओं की निर्गम विनियमावली, 2009जो कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यकर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी शेयर खरीद योजना दिशानिर्देश 1999; जो कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

(ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियमए 2008; मुद्दे और ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टद्धयजो कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

(एफ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कंपनी अधिनियम के बारे में और ग्राहक के साथ लेनदेन यमुद्रा और शेयर ट्रांसफर एजेंट के लिए रजिस्ट्रारद्ध विनियमए 1993;

(जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड; इक्विटी शेयरों के शेयर बाजार से हटने) विनियमए 2009 जो कंपनी के लिए लागू नहीं है

(एच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ; प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद; विनियम, 1998; जो कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

(vi) खान अधिनियम, 1952

(vii) खान और खनिज यविकास और विनियमनद्ध अधिनियमए 1957

(viii) लोह अयस्क खानों अयस्क खानऔर क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियमए 1976

हमने भी निम्न लागू धाराओं के साथ अनुपालन की जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गएसचिवीयमानक जो कंपनी के लिए लागू नहीं है

(ii) कंपनी का बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन

लेखा परिक्षण अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश, मानकों के प्रावधानों का पालन किया है, इससे संबंधित टिप्पणिया निम्नलिखित है ।:

1. ज्ञापन समझौता के खण्ड 49 के अनुपालन के संदर्भ में जो दिशा निर्देशसार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित निदेशक मंडल की रचना के बारे में कंपनी ने दो स्वतंत्र निदेशक के बारे में सूचना दी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है ।.

हमारी आगे की रिपोर्ट यह है कि

कंपनी ने निदेशक मंडल का गठन विधिवत कार्यकारी निदेशक, गैर कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के उचित संतुलन के साथ किया है, निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन में अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया। बोर्ड की बैठकों, अजेंडा और विस्तृत नोट जो कम से कम सात दिन पहले भेजी जाती है सभी निदेशकों को और भेजी गयी सूचना पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए बैठक में मौजूद रहे इसकी जानकारी दी जाती है

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के एजेंडा और विस्तृत नोट अनुसूची करने के लिए पर्याप्त सूचना कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था और एजेंडा पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली की बैठक से पहले और सार्थक के लिए बैठक में भागीदारी मौजूद है

बहुमत के निर्णयविवरण पुस्तिका में दर्ज की जाती है।.

कंपनी के संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं का और लागू कानूनों,नियमों, विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।.

ए. मेहता एंड कंपनी
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

स्थान : **इंदौर**
दिनांक : 13-07-2015

अशोक मेहता
एफसीएस नंबर: 2566/ **सी पी नंबर:** 2028

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्य गण, मॉयल लि.
नागपुर

हमने मॉयल लि. (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरण की प्रथम लेखा परीक्षा की जिसमें 29 मई 2015 के दिन का तुलन पत्र, और उसे सुधारित कर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान 143 (5) के दिशा–निर्देशों नुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक , भारत सरकार के 19 जून 2015 के कंपनी (लेखा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 11 (बी) मसौदेनुसार की गई ।.

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने मॉयल लि. (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें मार्च 31 2015 के दिन का तुलन पत्र, और तभी समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के आय–व्यय और नगदी प्रवाह का व्योरा और महत्त्वपूर्ण लेखा पालन नीतीयो और अन्य व्याख्यात्मक सुचनाए शामिल हैं ।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का दायित्व

प्रबंधन ये वित्तीय विवरण देने का दायी है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लेखित लेखा पालन मानकों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगद प्रवाह का सच्चा और न्याय संगत परिदृश्य प्रस्तुत करें । साथ ही इसमे कंपनी (लेखा) नियम 2014 के अनुच्छेद 133 अंतर्गत नियम 7 के तहत लेखा परीक्षा मानक को निभाया जाये । इस दायित्व में ऐसा वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण डिझाइन करना, उसका क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल होता है जो सच्चा और न्याय संगत परिदृश्य प्रदान करे और धोखाधाडी या चूक वश किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हो ।

लेखा परीक्षक का दायित्व

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है । हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैटस ऑफ इंडिया द्वारा लेखा परीक्षा पर जरी मानकों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा करते हैं । हमने हमारा लेखा परिक्षण लेखापाल विशेष मानक जो अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत किया है । वे मानक मांग करते हैं की हम नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करें और इसके बारे में तर्क संगत आश्वासन पाने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनायें और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण में असत्य जानकारी नहीं है ।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में दी गयी रकमों और खुलासों के बारे में लेखा परीक्षा के प्रमाण जुटाने के लिए प्रक्रियाएं करना, शामिल होता है । चुनी गयी प्रक्रियाएं लेखा परिक्षण के निर्णय पर निर्भर होती हैं, वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित चाहे वह धोकधडी से या चूक से की गयी हो । उन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक स्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तय करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने की तैयारी और प्रस्तुतीकरण संबंधी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है । किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा पालन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किये गये पूर्वानुमानों की तर्कसंगतता के साथ–साथ वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल होता है ।

हम मानते हैं की हमने लेखा परीक्षा के जो प्रमाण प्राप्त किये हैं वे लेखा परीक्षा की हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

राय

हमारी राय और हमारी सर्वाधिक जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना ऐसे ढंग से प्रदान करते हैं जिस ढंग से वह वांछित होती है और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापालन सिद्धांतों के अनुकूल सच्चा और न्याय संगत परिदृश्य प्रदान करते हैरू

ए) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च, 2015 को कंपनी के कामकाज के स्थिति का और

बी) लाभ और हानि के विवरण के मामले में उस तिथि पर समाप्त हुए वर्ष के लिए नगद प्रवाह का ।

सी) उस तिथि पर समाप्त हुए वर्ष के नगद प्रवाह के लिए नकद प्रवाह विवरण के मामले में ।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोट

1) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान 143 (5) के अर्थों में कंपनीज (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, द्वारा जैसा की अपेक्षित है, हम परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट मामलों में अनुलग्न (ए) के अंतर्गत एक वक्तव्य दे रहे हैं जो नियंत्रक एवं महालेखापाल , भारत के सुझाये हुए लेखा परिक्षण की पद्धतीनुसार है और इसका प्रभाव कंपनी के लेखा एवं वित्तीय विवरणों पर पडता है ।

2) कंपनी (लेखापाल रिपोर्ट) आदेश 2015 जो केंद्र सरकार ने अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) द्वारा जैसा कि वांछित है, हमने अनुलग्न बी के विवरण में परिच्छेद 3 और 4 में सीमा निर्धारित की है ।

3) अधिनियम के प्रावधान 143 (3) में जैसा वांछित है , हम रिपोर्ट देते है की

   ए) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे सर्वाधिक ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे.

   बी) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून आवश्यक यथेष्ट लेखा बहियां रखी गयी थीं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है.

   सी) तुलनपत्र, नफे और नुकसान का विवरण और नगद प्रवाह का विवरण जिनका इन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, लेखा बहियों के अनुरूप है.

डी) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ–हानि का विवरण और नगद प्रवाह का विवरण कंपनी (लेखा) नियम , 2014 के अनुच्छेद 133 अंतर्गत नियम 7 का पालन करते है

ई) 31 मार्च 2015 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर और जैसा कि निदेशक मंडल ने अभिलेख में दर्ज किया है, 31 मार्च 2015 को कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 164 के उप–अनुच्छेद 2 के अर्थों में को निदेशक नियुक्त किये जाने के लिए अयोग्य नहीं था .

एफ) उन जांचों के आधार पर जिन्हें हमने उचित समझा और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि.

1) कंपनी ने प्रलंबित मुकदमों का प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर क्या पडेगा वो इसके वित्तीय विवरण पत्र में बताया है– वित्तीय विवरणपत्र की टिपण्णी 1.2 देखिये.

2) किसी भी तरह के कोई लंबी अवधि के अनुबंध जिसमे डेरिव्हेटीव्ह अनुबंध शामिल है , जिसके लिये भौतिकीय नुक्सान का प्रावधान हो वो नहीं किये गये है।

3) कंपनी द्वारा निवेशकों को कोई भी राशि स्थानांतरित नहीं करना है जो निवेशकों के शिक्षा और संरक्षण कोष से संबधित हो .

मेसर्स जे. एस.ओबेरॉय अँड कं
चार्टर्ड अकाउंटट
फर्म पंजीकरण क्रमांक:- 111107W

सी.ए. अमरजीत सिंग संधू
भागीदार
सदस्यता क्रमांक: 108665

रिपोर्ट की तारीख:- 25th जुन, 2015
हस्ताक्षर की जगह:- नागपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध 'ए'

मॉयल लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 143 (5) के तहत निर्देशों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के परिच्छेद 1 में निर्दिष्ट के रूप में वर्ष 2014–15 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी की गयी ।

<table>
<tr><th>क्र</th><th>दिशा- निर्देशन</th><th>जवाब</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कंपनी विनिवेश करने के लिए चयनित किया गया है,परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संदर्भ में एक पूरी स्थिति रिपोर्ट(प्रतिबद्ध और सामान्य भंडार सहित) मोड और विनिवेश प्रक्रिया की वर्तमान अवस्था सहित जांच की जा सकती है।</td><td>चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रसरकार/ राज्य सरकारों द्वारा अंशों का कोई विनिवेश नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ऋण/ देयक/ ब्याज आदि में किसी तरह की छुट दी गयी है तो कृपया रिपोर्ट करे और छुट देने की वजह और राशि की कीमत लिखे ।</td><td>जैसा की हमने सूचित किया है हमारे ऑडिट के दौरान यह पाया गया है कि, हम ऋण/ देयक/ ब्याज आदि में किसी तरह की छुट नही दी जाती है , हालांकि व्यापार शर्तों के अनुसार क्रेडिट नोट ग्राहकों के लिए जारी किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>i) यदि किसी ने तीसरे पक्ष से कहे गये झूट और सरकार से अथवा अन्य अधिकारीयों से स्वीकारे हुए भेटवस्तू की उचित रिपोर्ट</td><td>31 मार्च,2015 को कोई भी झूटी रिपोर्ट तीसरे पक्ष को दिखाई नहीं जाती और 2014–15 के दौरान सरकार की ओर से उपहार के रूप में कोई संपत्ति या भेटवस्तू दी नही जाती ।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>उम्र के लिहाज से विश्लेषण पर एक रिपोर्ट(विदेशी और स्थानीय) सभी कानूनी मामलों पर होने वाले खर्च के लिए एक निगरानी तंत्र के लंबित रहने और अस्तित्व / प्रभावशीलता के कारणों सहित कानूनी / मध्यस्थता मामले लंबित रिपोर्ट</td><td>उम्र के लिहाज से विश्लेषण और कारणों का संकेत विचाराधीन/ मध्यस्थता के मामलों की संख्या : –

ए) कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभों के लिए :-
<table>
<tr><th>क्र</th><th>उम्र वार विश्लेषण</th><th>अपूर्ण मामले की संख्या</th><th>रकम (लाख में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>15 वर्ष और उससे अधिक</td><td>10</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>10-15 वर्ष</td><td>04</td><td>05.00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>5-10 वर्ष</td><td>24</td><td>54.00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>0-5 वर्ष</td><td>23</td><td>106.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल रकम (लाख में)</td><td>205.00</td></tr>
</table>
बी) ठेकेदार के दावों के लिए :-
<table>
<tr><th>क्र</th><th>उम्र वार विश्लेषण</th><th>अपूर्ण मामले की संख्या</th><th>रकम (लाख में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>15 वर्ष और उससे अधिक</td><td>01</td><td>678.25</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>5-10 वर्ष</td><td>01</td><td>86.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल रकम (लाख में)</td><td>764.33</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

क्र	दिशा- निर्देशन	जवाब
		सी) सांविधिक देय राशि के लिए :- क्र | उम्र वार विश्लेषण | अपूर्ण मामले की संख्या | रकम (लाख में) 1. | 5-10 वर्ष | 18 | # 1644.76 कुल रकम (लाख में) | 1644.76 हमारी राय में, की वजह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया व्यय के लिए तंत्र की निगरानी अपने स्थान पर है । रु 1986–87 किया गया मगर 2011–12 में प्राप्त हुआ 6.91 लाख रुपये का दावा शामिल है इसलिए 0–5 साल के श्रेणी में शामिल से ।

मेसर्स जे. एस.ओबेरॉय अँड कं
चार्टर्ड अकाउंटट
फर्म पंजीकरण क्रमांक:- **111107W**

सी.ए. अमरजीत सिंग संधू
भागीदार
सदस्यता क्रमांक: 108665

रिपोर्ट की तारीख :- 25 जुन, 2015
हस्ताक्षर की जगह :- नागपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "बी"

मॉयल लिमिटेड

(स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, आदेश 2015 जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है और जो कंपनी अधिनियम के 143 धारा के तहत उपक्रमांक 11 में दिया गया है । उस के तहत अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के परिच्छेद के संदर्भ में)

इस तरह की जांच के आधार पर जैसा कि हम यथोचित समझते है और हमारे लेखा–परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और विवरण के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते है कि :

(i) **(ए)** कंपनी ने अपने अभिलेखों को व्यवस्थित रखा है जिसमें स्थायी संपत्तियों की के साथ पूरा ब्योरा दर्शाया गया है ।

(बी) जैसा कि हमारे समक्ष स्पष्ट किया गया, प्रबंधन ने वर्ष के अंत में स्थिर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन किया तथा ऐसे सत्यापन में कोई भौतिकीय गडबडी नहीं पाई गई। हमारी राय में कंपनी के आकार तथा संपत्तियों के प्रकार को देखते हुए स्थायी संपत्तियों की वर्ष के अंत जांच उचित रही।

(ii) **(ए)** कंपनी के वस्तुसूची का वर्ष के दौरान उचित अंतराल में प्रबंधन द्वारा भौतिकीय सत्यापन किया गया।

(बी) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपनी वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है तथा भौतिकीय स्टॉक और लेखा अभिलेख के बीच भौतिकीय सत्यापन में जो विसंगतियां पायी गई वह वस्तुगत नहीं थी तथा उसे लेखा पुस्तकों में उचित ढंग से दर्ज किया गया है ।

(सी) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अपने खानों का उचित अभिलेख तैयार किया है और इस तरह की भौतिक पुष्टि के दौरान भौतिक माल और बहियों के अभिलेख के बीच पायी गयी विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं और लेखा बहियों में उनका उचित ढंग से दर्ज किया गया है।

(iii) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऐसी किसी भी कंपनी,फर्म अथवा अन्य किसी पार्टी से ऋण, सुरक्षित व असुरक्षित रुप में न तो लिया है या दिया, जिसका ब्योरा रखना कंपनी अधिनियम के धारा 189 के अंतर्गत आता है ।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार माल और स्थिर परिसंपत्तियों की प्रवृत्ति से मेल खाती यथेष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई बडी खामियां देखने को नहीं मिली ।

(v) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने , कंपनी अधिनियम के प्रावधान 73 से 76 तहत जनता से कोई जमा नहीं स्वीकार किया इसलिए जनता से स्वीकार की जाने वाली जमाओं संबंधी कंपनी नियम के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 148 उपधारा (1) के अंतर्गत लागत के अभिलेख रखने का प्रावधान किया है और प्रथम दृष्टया विहित लागत अभिलेख तैयार किये गये हैं । बहरहाल, हमने यह तय करने की दृष्टी से लागत अभिलेखों की जांच नहीं की है कि वे सही या संपूर्ण हैं या नहीं ।

(vii) **(ए)** हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी परीक्षा के आधार पर सामान्य रुप से कंपनी वर्ष के दौरान प्रयोज्य प्रोविडेंट फंड,आय कर, विक्रय कर, उत्पादन शुल्क, उपकरण और अन्य सांविधिक देय नियमित रुप से उपयुक्त अधिकारीयों के यहां जमा कराती रही है ।

(बी) व्यावसायिक कर, आय कर और विक्रय कर, कंपनी ने जिन्हें विभिन्न विवादों के कारण जमा नहीं किया है, निम्नवत हैं :-

संविधि का नाम	मांगी गयी रकम (लाख)	प्रतिवाद के साथ चुकायी गयी रकम (लाख)	अवधि जिससे रकम संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
व्यावसायिक कर अधिनियम, 1975	2.27 7.70	1.13 1.93	2006-07 2007-08	विक्रय कर अपील (एमएस)
आय कर अधिनियम,1961	253.00 127.26 451.79 60.01 45.01	253.00 127.26 451.79 60.01 45.01	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	आय कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
	205.10 116.99 310.23	- 116.99 310.23	2009-10 2011-12 2012-13	आय कर आयुक्त (अपीलीय)
म.प्र.प्रवेश कर अधिनियम, 1975	13.68	6.70	2008-09	म.प्र. व्यावसायिक कर अपीलीय प्राधिकरण
महाराष्ट्र वैट अधिनियम 2002	13.68 4.22	- -	2009-10 2010-11	अपीलीय प्राधिकरण

संविधि का नाम	मांगी गयी रकम (लाख)	प्रतिवाद के साथ चुकायी गयी रकम (लाख)	अवधि जिससे रकम संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
म.प्र.वैट अधिनियम 2002	2.28	0.65	2010-11	MPVAT अपीलीय (जेबीपी)
	3.68 9.15	1.47 6.08	2011-12 2012-13	
महाराष्ट्र सीएसटी अधिनियम,1956	11.32	-	2010-11	बिक्री कर अपीलीय (महाराष्ट्र)
म.प्र.सीएसटी अधिनियम,1956	15.08	-	2012-13	MPCT अपीलीय (जेबीपी)

(सी) हमें दी गयी सुचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को किसी भी तरह की रकम की निवेशकों की शिक्षा या सुरक्षा फंड में करने के लिये जरुरत नहीं है , तदनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 1 या अन्य प्रावधान लागु नहीं होते ।

(viii) कंपनी को वर्ष के अंत में हानी नहीं हुई है और उस तिथि पर समाप्त हुए तिथि वित्त वर्ष के दौरान या इससे ठीक पहले वाले वित्तवर्ष के दौरान नगद हानि नहीं हुई है ।.

(ix) कम्पनी के किसी वित्तीय संस्थान एवं बैंक से न तो कर्जा लिया है और कोई डिबेंचर जारी किया है ।

(x) हमें दी गयी सुचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानोंसे किन्ही दूसरों के लियेकर्ज की गारंटी नहीं दी है ।

(xi) हमें दी गयी सुचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष दौरान कोई सावधि कर्ज नहीं लिया है ।

(xii) हमें दी गयी सुचना और स्पष्टिकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधडी की सूचना या रिपोर्ट नहीं की गयी है ।

मेसर्स जे. एस.ओबेरॉय अँड कं
चार्टर्ड अकाउंटट
फर्म पंजीकरण क्रमांक:- **111107W**

सी.ए. अमरजीत सिंग संधू
भागीदार
सदस्यता क्रमांक: 108665

रिपोर्ट की तारीख :- **25th जुन, 2015**
हस्ताक्षर की जगह :- नागपुर

31 मार्च, 2015 कि स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ लाखों में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
I इक्विटी और देयताएं					
(1) अंशधारी निधि					
(ए) शेयर पुंजी	2.1	**16800.00**		16800.00	
(बी) आरक्षित निधी तथा अधिशेष	2.2	**321370.17**		295933.24	
			338170.17		312733.24
(2) गैर-चालू देयताएं					
(ए) दीर्घ कालिक कर्ज		**0.00**		0.00	
(बी) आस्थागीत कर देयताएं (शुध्द)	1.2(14)	**1100.64**		0.00	
(सी) दीर्घ कालिक प्रावधान	3.1	**786.05**		11281.29	
(डी) दीर्घ कालिक देयताएं	3.2	**240.48**		463.70	
			2127.17		11744.99
(3) प्रवाही देयताएं					
(ए) अल्पकालीक कर्ज		**0.00**		0.00	
(बी) व्यापार देय	4.1	**351.39**		695.70	
(सी) अन्य चालू देयताएं	5.1	**15393.85**		14939.84	
(डी) अल्पकालिक प्रावधान	5.2	**8752.72**		7068.67	
			24497.96		22704.21
	कुल		**364795.30**		347182.44
II परिसंपति					
(1) गैर-चालू परीसंपति					
(ए) स्थिर परिसंपति					
(i) मूर्त परिसंपति	6.1	**28527.69**		22265.15	
(i) अमूर्त परिसंपति	6.1	**863.38**		968.36	
(iii) पुंजी चालू कार्य	6.1	**5255.04**		6882.55	
(iv) निर्माणधीन अमूर्त परिसंपति		**35.15**		14.70	
(बी) अप्रवाही निवेश	7.1	**421.29**		421.29	
(सी) आस्थागीत कर संपत्ति (शुध्द)	1.2 (14)	**0.00**		1654.22	
(डी) दीर्घ कालिक कर्जे और पेशगीयां	8.1	**5744.96**		5568.51	
(ई) अन्य अप्रवाही परिसंपत्ति	8.2	**2233.49**		738.75	
			43081.00		38513.53
(2) प्रवाही परिसंपति					
(ए) प्रवाही निवेश	**0.00**		0.00		
(बी) वस्तुसुची	9.1	**14422.45**		4910.93	
(सी) व्यापारिक प्राप्तीयां	9.2	**10724.02**		11317.56	
(डी) नगदी और नगद के समतुल्य	9.3	**282989.09**		279283.41	
(ई) अल्पकालिक कर्जे और पेशगीया	10.1	**2174.33**		1582.02	
(एफ)अन्य चालू परिसंपत्तियां	10.2	**11404.41**		11574.99	
			321714.30		308668.91
	कुल		**364795.30**		347182.44

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और राइट्स 1.1 और 1.2

यहां तक की तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स जे. एस.ओबेरॉय अँड कं
चार्टर्ड अकाउंटट,
फर्म पंजीकरण क्रमांक 111107W

सीए अमरजीत सिंह संधू
हिस्सेदार
सदस्यता क्रमांक: 108665

नीरज पांडये
कंपनी सचिव

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितिन पी. काजरेकर
उपमहाप्रबंधक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानी लेखा

₹ लाखों में

विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्ष 2014 - 15 के लिए		वर्ष 2013-14 के लिए	
1 प्रचालन से राजस्व (उत्पादन शुल्क या शुध्द)	11.1	82325.15		102128.38	
2 अन्य आय	11.2	31660.59		30332.05	
कुल राजस्व			113985.74		132460.43
3 व्यय:					
सामग्री उपयोग कि लागत	12.1	2407.10		2583.84	
तैयार माल, चालू कार्य और व्यापारगत					
कार्य – प्रक्रिया में और शेयर – व्यापार में	13.1	-9481.47		661.64	
कमर्चारी लाभ खच	14.1	26277.26		25608.84	
मूल्य ऱ्हास और परिशोधन	6.1	4508.14		3518.23	
अन्य खर्च	14.2	26345.89		24298.19	
उप योग		50056.92		56670.74	
घटाएं : अंतर इकाई हस्तांतरण		1128.38		1142.99	
कुल खर्च			48928.54		55527.75
4 असाधारण और असामान्य वस्तूओं और कर के पहले लाभ			65057.20		76932.68
5 असाधारण वस्तूएं			0.00		0.00
6 सामान्य वस्तूओं और कर से पहले लाभ			65057.20		76932.68
7 असामान्य वस्तूएं			0.00		0.00
8 कर से पूर्व लाभ			65057.20		76932.68
9 कर व्यय					
(ए) चालू कर		19383.39		26087.41	
(बी) आस्थागीत कर		2872.76		-110.95	
			22256.15		25976.46
10 अवधी के लिए कर के पश्चात लाभ			42801.05		50956.22
11 प्रती इक्विटी शेयर आय: :					
(ए) बेसिक			25.48		30.33
(बी) डायल्युटेड			25.48		30.33

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और राइट्स 1.1 और 1.2

यहां तक की तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स जे. एस.ओबेरॉय अँड कं
चार्टर्ड अकाउंटट,
फर्म पंजीकरण क्रमांक 111107W
सीए अमरजीत सिंह संधू
हिस्सेदार
सदस्यता क्रमांक: 108665

नीरज पांडये
कंपनी सचिव
मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितिन पी. काजरेकर
उपमहाप्रबंधक (वित्त)
जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई 2015

टिप्पणी संख्या 1.1

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 स्थायी परिसंपत्ति का लेखांकन

(ए) अचल संपत्तियों का मूल्यांकन

स्थिर परिसंपत्ति मूल लागत पर कम संचित मूल्यर्‌हास पर रखी जाती है।

(बी) मूल्यर्‌हास एवं ऋणमुक्ति

मूल्यर्‌हास (i) विंड टरबाइन जनरेटर के मामले में स्ट्रेट लाइन प्रणाली तथा (ii) अन्य सभी परिसंपत्ति पर रिटर्न डाउन वैल्यू प्रणाली, प्रोरेटा आधार पर समय–समय पर अनुसार निर्धारित किये गए दर से की जाती है। यद्यपि पुरे माह के जिस किसी भी दिन से किसी परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है।

पट्टेदारी भूमि की लागत, वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्यों को शामिल करते हुए पट्टे की कालावधि पर परिशोधित की जाती है।

(सी) परिसंपत्ति पर हानि बट्टा खाता

गिराई गई/ हटाई गई सभी परिसंपत्तियाँ उसका स्क्रैप मूल्य शून्य मानकर बट्टे खाते में डाली जाती है। यदि जब ऐसे स्क्रैप परिसंपत्तियों का आंशिक या पूरी तौर पर निपटान किया जाता है तब इस प्रकार से वसूल हुई राशि उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में जमा की जाती है।

(डी) निर्माण कार्य अवधि के दौरान खर्च

विशिष्ट प्रकल्पों को पूर्ण तथा प्रतिस्थापित किए जाने की तारीख तक निर्माण अवधि के दौरान उस प्रकल्प पर किए जाने वाले सभी खर्च जो सीधे पहचाने गए हैं, संबंधित प्रकल्प के नाम में डाले जाते हैं।

(ई) निर्माणकार्य अवधि के दौरान ब्याज

विशिष्ट परिसंपत्तियों की निर्माण अवधि के दौरान कम पूरा होने तक में उनसे संबंधित ऋण पर लगने वाले ब्याज ऋण पर आने वाले अन्य संबंधित लागतों सहित को पूंजी में परिणत कर दिया जाता है।

(एफ) संपत्ति की हानि

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर मूलांकन करती है कि क्या इसके संकेत हैं कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है द्य यदि इस तरह के कोई संकेत मिलते हैं तो कंपनी संपत्ति की योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि इस तरह की योग्य राशि ढुलाई की रकम से कम है तो ढुलाई की रकम से योग्य राशी कम कर दी जाती है। इस कमी को क्षति रुप में मन जाता है और लाभ–हानि के खाते में लिख लिया जाता है। यदि इसके संकेत मिलते हैं कि पहले नुकसान से जिस नुकसान का अनुमान लगाया गया था वह अब नहीं हो रहा है तो वास्तविक रकम का पुनरू अनुमान लगाया जाता है और संपत्ति योग्य राशि में प्रतिबिंबित होती है।

2 निवेश

दीर्घकालिक शेयरों में निवेश लागत में डाला जाता है। यदि अस्थायी स्वभाव के न हो तो मूल्य में घटत का प्रावधान किया जाता है।

3 अंतिम रहतियों का मूल्यांकन

माल का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है।

(ए) तैयार माल

(i) सभी कोटियों के मैंगनीज अयस्क (फाइन्स, हच डस्ट और एचआइएमएस रद्दियों को छोड कर) :– खानों की लागत पर, खान की परिसंपत्तियों के अवमूल्यन या शुद्ध प्राप्य मूल्य सहित, जो भी कम हो।

(ii) मैंगनीज अयस्क के सूक्ष्म कण, हट डस्ट, और एचआइएमएस रद्दियां रू– छाननेध्संसाधित करने,ढुलाई, इत्यादि की प्रति टन लागत पर तकनीकी अनुमानों पर आबंटित या शुद्ध प्राप्य मूल्य जो भी कम हो।

(iii) बंदरगाह पर मैंगनीज अयस्करू– बंदरगाह पर उतरने के बाद की लागत पर या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर जो भी कम हो द्य उतराई के बाद की लागत में ढुलाई, उतराई की लागतें, सैंपलिंग की लागतें, इत्यादि शामिल होती है। भौतिक और बही स्टॉक के बीच के अंतर को तब तक समंजित नहीं किया जाता जब तक कि खान पर स्टॉक की समग्र स्थित समग्र बही स्टॉक से अधिक पायी जाती हो। और जब और जहां सचमुच अयस्क को भेजा जाता है तो रेल से ढुलाई/ या नौवहन के बाद प्रत्येक चट्टे के मुकाबले बढोतरी या कभी का पता लगाया जाता है और उसी को कंपनी की उस वर्ष की बहियों में लिखा जाता है।

(iv) इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साइड (ईएमडी) (उत्पादन के विविध चरणों में 31 मार्च के अनुसार प्रक्रियागत भंडार के साथ जिसकी निश्चिती ईएमडी की पूर्ण निर्मित यूनिटों की प्रतिशत से संबंधित तकनीकी प्राक्कलनों द्वारा की जाती है) रू संयंत्र का मूल्यर्‌हास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी काम हो का समावेश करते हुए चालु वर्ष की उत्पादन लागत।

(v) (ए) तकनीकी मुल्यांकन के द्वारा निर्धारित केक रूप में शामिल करते हुए फेरो मैंगनीज का 31 मार्च को निर्धारण तकनीकी मुल्यांकन द्वारा किया जाता है। चालु वर्ष की उत्पादन लागत जिसमे फेरो मैंगनीज संयंत्र का मूल्यर्‌हास(स्लैग का वसूली योग्य मूल्य कम करके) अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें से जो भी कम हो।

(बी) प्रक्रियागत भंडार : प्रक्रिया से गुजरने वाले फेरो मैंगनीजधसिलिको मैंगनीज की मात्रा को तोला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता और इसलिए उसका कोई भी मूल्य नियत नहीं किया जाता है।

(सी) स्लैग का भंडार: स्लैग यह फेरो मैंगनीज की उत्पादन प्रक्रिया में निर्मित अशुद्ध द्रव्यों का एक पिघला हुआ पिंड होता है उसे स्क्रैप मन जाता है तथा वसूली

योग्य कीमत पर मूल्य आंका जाता है।

(बी) **भंडार सामग्री वस्तुसूची** (सामग्री,कलपूर्जे,टिम्बर,विस्फोटक,ईंधन एवं लुब्रीकेंट्स और कच्चा माल): भारित औसत पद्धति पर लागत निर्धारित की जाती है।

(i) सभी भंडार सामग्री, स्पेअर्स आदि का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर की जांच की जाती है तथा लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किया जाता है।

(ii) फेरो मैंगनीज संयंत्र के मामले में, संयंत्र में उपलब्ध मैंगनीज अयस्क छोडकर कच्चे माल के भंडार का मूल्य भारित औसत पद्धति के लगत पर किया जाता है। संयंत्र में विद्यमान मैंगनीज अयस्क के भंडार का मूल्य चालु वर्ष की उत्पादन कीमत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें जो कम हो तथा परिवहन खर्च तथा अन्य खर्च, यदि कोई हो, तो उसे मिलाकर मूल्यांकित किया जाता है। प्लांट में उपलब्ध अयस्क का खुला एवं बंद भंडार को "स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल" के शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है।

4 बिक्री

रेलवे रसीद/ लॉरी रसीद/ डिलीवरी चालान के आधार पर माल की रवानगी के पश्चात बिक्री इनवोइज तथा राजस्व कोलेखा पुस्तकों में मान्य किया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में राजस्व स्वीकार किया जाता है।

(ए) मैंगनीज अयस्क की बिक्री

(i) लेबोरेटरी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणवत्ता में अंतर के लिए पूरक बिलों को प्रस्तुत किया जाता है द्यआगामी वर्ष में नियत तारीख तक प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टो को प्रेषण के वर्ष में विचार किया जाता है द्य तदनुसार पूरक बिल प्रस्तुत किए जाते है और उसी वर्ष हिसाब में रखे जाते है। नियत तारीख के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों के संबंध में इसे आगामी वर्ष में शामिल किया जाता है।

(ii) बिक्री में रॉयल्टी की राशि शामिल रहती है।

(बी) ईएमडी/ फैरो मैंगनीज/ सिलिको मैंगनीज/ स्लैग की बिक्री

ईएमडी, फेरो मैंगनीज तथा स्लैग की बिक्री में इस पर लागू उत्पाद शुल्क एवं शिक्षा उपकर का समावेश है।

(सी) मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को विद्युत की बिक्री

विद्युत बिक्री समझौते में मंजुर किए गए शुल्क दर के आधार पर ग्रिड में डाली गई उर्जा के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता है।

5 अन्य आय

(ए) विविध देनदारों से ब्याज के रुप में आय भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक–9 के निर्देश अनुरूप निम्नानुसार माने जाते है –

(i) जहाँ देनदारों से वसूली की बैंक द्वारा क्रेडिट पत्र से पुष्टि की जाती है और जहाँ उसकी वसूली सुनिश्चित होती है वहाँ उपार्जन आधार पर स्वीकृति की जाती है।

चालु वित्तीय वर्ष के बाहर ऋण टर्म के लिए ग्राहक को ब्याज बिल जिस वर्ष से संबंधित हो उस वर्ष के लिए मान्य किया जाता है।

(ii) जहाँ देनदारों से वसूली बैंक के मार्फत क्रेडिट पत्र द्वारा पुष्टि नहीं की गई हो, जहाँ वसूली मूल्य अनिश्चित हो, वहाँ प्रबंधन के अनुभव के आधार पर जब कभी वास्तविक वसूली मूल्य प्राप्त होता है उसे आय के तौर पर मन जाता है।

(बी) जमा राशियाँ एवं पेशगियों पर प्राप्त ब्याज आय, उपार्जन आधार पर मान्य की जाती है।

(सी) बदले गए घिसे हुए पार्ट/ स्क्रैप पूंजीगत सामग्री के संबंध में ज्ञापन अभिलेख रखे जाते है। जब उसका निपटारा किया जाता है तब वह आय, उस वर्ष में विविध प्राप्तियों के लेखे में डाली जाती है।

6 कैप्टिव खपत

मैंगनीज अयस्क

ईएमडी/ फेरो मैंगनीज के उत्पादन हेतु कच्चे माल के तौर पर निर्गमित किया गया मैंगनीज अयस्क , फाइन्स ध्एचआइएमएस रिजेक्ट्स का मूल्य चालु वर्ष के उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले तरीके से फाइन्स/ एचआइएमएस रिजेक्ट का मूल्यांकन प्रति टन पर मूल्यांकित किया जाता है। अयस्क की खपत औसत लागत के आधार पर हिसाब में ली जाती है। निर्गमित अयस्क का मूल्य, अयस्क उत्खनन/ प्रचालन खर्च से कम किया जाता है तथा "विनिर्माण खर्च" के मद में कच्चे माल की खपत के तौर पर मान्य किया जाता है।

विद्युत

पवन उर्जा संयंत्र यूनिट से निर्माण की गई बिजली तथा खानध्संयंत्र में उपयोग की गई इस बिजली को निर्माण लागत के आधार पर संबंधित ईकाई को चार्ज किया जाता है।

7 बिक्रीकर, आयकर आदि

(ए) बिक्रीकर,आयकर आदि के संबंध में जिस वर्ष में कर निर्धारण आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त तथा स्वीकृत किया जाता है, उक्त आदेश के अनुसार देय या प्राप्त बकाया राशि को, वह आदेश किस वर्ष से संबंधित है इसे ध्यान में न लेते हुए उक्त आदेश प्राप्ति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

(बी) क्रय के आधार पर बिक्री कर में छूट का दावा किया जाता है। छूट के दावे की राशि तथा वास्तविक स्वीकृत छूट को जिस वर्ष में निर्धारण आदेश कंपनी को प्राप्त होता है और स्वीकार किया जाता है, उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

8 **कार्मिकों के अनुलाभ:**

(ए) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभ

जिस वर्ष में संबंधित सेवा डी गई है उस वर्ष के लाभ–हानि लेखा में छूट मुक्त राशि खर्च, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च के तौर पर माना जाता है। .

(बी) नियोजनोत्तर लाभ

पोस्ट–रोजगार के लाभ भविष्य निधि, ग्रेच्युटी जैसे लाभों से मिलकर बनता है, नकदीकरण, पेंशन और चिकित्सा सुविधाऐं छोड़ दें।

(i) **परिनिश्चित लाभ योजना**

जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, उस वर्ष के लाभ–हानि लेखा में नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ को खर्च के रुप में मान्य किया जाता है। देय राशि के वर्तमान मूल्य पर खर्च को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए, खर्चों को मान्य किया जाता है। नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ से संबंधित बीमांकित प्राप्ति एवं हानि को लाभ हानि लेखा में दर्ज किया जाता है।

(ii) परिनिश्चित अंशदान योजना

परिनिश्चित अंशदान योजना, नियोजनोत्तर लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी अलग–अलग निधियों में तयशुदा अंशदान का भुगतान करती है। परिनिश्चित अंशदान योजना में कंपनी का योगदान संबंधित वित्त वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

9 **स्वैच्छिक सेवानिवृत्त खर्च**

कंपनी वीआरएस लिए गए वर्ष के लाभ हानि लेखा में संपूर्ण खर्च को चार्ज करती है।

10 **कल्याण आयुक्त से प्राप्त सब्सिडी का लेखांकन**

(ए) श्रमिक निवास

कंपनी ने कुछ श्रमिक निवासों का निर्माण किया है/ कर रही है, जिसके लिए कंपनी को कल्याण आयुक्त से सब्सिडी मिल रही है। चूंकि जिस भूमि पर इन निवास स्थानों को निर्माण किया जाता है वह भूमि कल्याण आयुक्त के सुपुर्द की जाती हैं और यह परिसंपत्ति (निर्मित निवासस्थान) कल्याण आयुक्त की ओर अभ्यर्पित की जाती है। इसलिए इसमें कंपनी द्वारा किया गया पूरा खर्च तथा प्राप्त हुई सब्सिडी भी जिस वर्ष में खर्च की जाती है/ सब्सिडी प्राप्त होती है, उस वर्ष के राजस्व खाते पर दर्ज की जाती है।

(बी) कल्याण परिसंपत्ति

परिसंपत्तियाँ जैसे स्कूल बस, रुग्णवाहिका, जलापूर्ति योजना आदि जो कल्याण योजना के अधीन आती है, के अर्जन का पूरा खर्च, जिस वर्ष में किया जाता है उसी वर्ष के संबंधित परिसंपत्ति लेखा में डाला जाता है। प्राप्त हुई सब्सिडी की राशि को आवक वर्ष के उसी परिसंपत्ति के कम किए मूल्य पर आंका जाता है।

11 **कंपनी के दावे**

बीमा कंपनी/ रेल्वेमे दाखिल किए दावों की राशियों का उचित निश्चित मूल्यांकन करके उस वर्ष के दौरान दावा की गई राशियों के आधार पर लेखे में लिया जाता है और यदि कोई अंतर हो तो दावे के निर्धारण पर उसे समायोजित किया जाता है।.

12 **पूर्वदत्त खर्च**

जहाँ 1.00 लाख से ज्यादा के प्रत्येक मामले में भुगतान हो उसे केवल पूर्वदत्त खर्च मन जाता है।

13 **संदिग्ध कर्ज हेतु प्रावधान**

पिछले दो वर्षों से अधिक रुके हुए फुटकर ऋणों की अलग–अलग समीक्षा के आधार पर प्रावधान किया जाता है। निजी पार्टियों के नाम पर तीन वर्षों से अधिक अवधि तक बकाया ऋण राशियों के लिए निश्चित रुप से व्यवस्था की जाती है।

14 **अनुसंधान एवं विकास खर्च**

अनुसंधान एवं विकास खर्च उसी वर्ष के लाभ हानि लेखा में दर्ज किया जाता है, यद्दपि अनुसंधान एवं विकास के लिए स्थायी परिसंपत्ति पर हुआ खर्च अन्य स्थायी परिसंपत्ति पर हुआ खर्च अन्य स्थायी परिसंपत्ति खर्च के समान ही माना जाता है।.

15 **खान बंद का खर्च**

संबंधित नियमों एवं अधिनियमों के तहत तकनीकी मूल्यांकन करके,अंतिम खान बंद करने का वित्तीय प्रभाव, उपलब्ध अयस्क भंडार के आधार पर निकला जाता है। जिसे वर्षानुसार आधार पर सभी खानों के संपूर्ण उत्पादन को ध्यान में लेने के बाद लेखों में प्रावधान किया जाता है।.

16 **वन भूमि को अ-वनभूमि हेतु बदलने के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्यांकन**

संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने पर देनदारियाँ तय की जाती है।.

17 **पुर्वावधि खर्च**

पिछले वर्ष (वर्षों के) के मूलभूत 'कमीशन या ओमिशन' की त्रुटियों को पिछली अवधि के समायोजित खाते में डेबिट/ क्रेडिट डालकर सुधारित किया जाता है।

18 **तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाले महत्त्वपूर्ण लेनदेन के मामले**

तुलन पत्र के तारीख के बाद तथा उसके अनुमोदित होने के पश्चात महत्त्वपूर्ण घटना का उल्लेखनीय प्रभाव या तो तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखा को संयत किया जाता है या निदेशक रिपोर्ट में विशेष तौर पर उल्लेखित किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 1.2

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा पर टिप्पणियाँ

1 आकस्मिक देयताए

(ए) ऋण के तौर पर अस्वीकृत कंपनी के विरुद्ध दावे -

₹ लाखों में

	दावों का विवरण	31-03-2015	31-03-2014
(i)	कार्मिकों द्वारा वेतन एवं अन्य अनुलाभ के दावे	205.00	159.00
(ii)	वन विभाग द्वारा तिरोडी खान से अयस्क की रेलिंग पर ट्रांजिट फी भुगतान के दावे	86.08	86.08
(iii)	आर्बिटीशन अवार्ड पर ब्याज	678.25	562.73
(iv)	प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर तथा कर्मचारियों का प्रोफेशनल टैक्स	75.37	18.24
(v)	अपील के अंतर्गत विवादित आयकर (पहले से भुगतान किया कर 1364.29 रुपये (1054.06 रुपये))	1569.39	1054.06
(vi)	बैंक गारंटी/ क्रेडिट पत्र के अंतर्गत वित्तीय आश्वासन पर आकस्मिक देयता (बराबर राशि की सावधि जमा द्वारा प्रस्तुत)	296.30	333.40

(बी) अपूर्ण संविदाओं की अनुमानित राशि पूंजीगत खातों में दर्शाई गई है तथा इसके लिए 8856.26 रुपये(7831.01)लाख रुपये का प्रावधान नहीं किया गया था। इस प्रकार की संविदाओं के लिए अग्रिम राशि 78.99 रुपये(34.13 रुपये) लाख भुगतान किया गया है ।

2 लेखानिती में परिवर्तन दृ विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में बदलाव लाया है , मूल्यह्रास और अचल संपत्ति का परिशोधन बदल दिया गया है । यह बदलाव कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल ǁ तहत किया गया है द्य इसके परिणाम स्वरुप कंपनी के मूल्यह्रास में बढोतरी होकर वो 548.28 लाख रुपये हो गये द्यकंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल II, पार्ट सी के तहत दिये गये संक्रमण प्रावधान अनुसार 117.90 लाख रुपये विलंबित कर देनदारी में कमी आकर अब शुद्ध रकम 228.97 लाख रुपये अधिभार कमाई पर लगाया गया है।

3 कंपनी की 761.60 वर्ग मीटर भूमि को एकीकृत सडक विकास योजना के तहत नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा अधिगृहित किया गया है। इसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने संबंधी एक लेखी याचिका कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय , नागपुर में दायर की गई गई है जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। याचिका के लंबित होने से उसके लिए पुस्तकों में कोई समायोजन नहीं किया गया ।

प्लांट और मशीनरी में (टिपण्णी क्रमांक रू 6.1) बढोतरी करते हुए मनसर और उकवा खानों में 3865.92 लाख रुपये की लागत से नये वर्टिकल शाफ्ट लगाये गये है जो इस वर्ष परिचालित हो जायेंगे द्य इन शाफ्ट से 18 से 24 महीनों के भीतर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है , इसके लिए एक भार शुरुवात ही विकास आवश्यक है।

4 (ए) वस्तुसूचीयों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में किया जाता है।.

(बी) संयंत्र के बारे में अधिकांश कच्चा माल एवं तैयार माल की वस्तुसूची का उत्पादनध्तकनीकी विभाग द्वारा भार–परिमाण अनुपात के अनुसार निर्णय लिया जाता है और उसके अनुसार उसे हिसाब में लिया जाता है।.

(सी) 6.49 (3.17) लाख रुपये मूल्य का 145.14 (60.50) एमटी मैंगनीज अयस्क का स्टॉक 31.03.2015 को फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थल पर पडा है वह कच्चे माल की वस्तुसूची में शामिल है।

5 31.03.2015 कुल बकाया 11114.77 लाख रुपये , शेष 288.15 लाख रुपये मिलाये गये है। प्राप्त पुष्टीकरणों के संबंध में कंपनी शेष राशियों की और मिलन की प्रक्रिया कर रही है।

6 कार्मिकों के संबंध में दिए गए सुरक्षित ऋण का प्रलेखन कुछ मामलों में लंबित है।

7 अप्रचलित भंडार सामग्रीध्स्पेअरों का निपटान करने के बाद होनेवाली प्रत्याशित हानि हेतु किया गया 1.49 लाख रुपये (3.23 लाख रुपये) का प्रावधान पर्याप्त माना गया है ।

8 वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी ने अपने एक कर्मचारी द्वारा की गई 31.03 (31.03 रुपये) लाख की धनराशि के गबन का पता लगाया है । इस मामले की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा जाँच की गई है तथा इसकी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो अंतिम समीक्षा और कारवाई के अधीन है । चूँकि कर्मचारी को डे टर्मिनल अनुलाभों की राशि जिससे गबन की गई राशि की वसूली की जा सकती है और जो राशि पहले से जमा की गई है वह उपर्युक्त वसूली के लिए पर्याप्त है इसलिए प्रावधान को आवश्यक नहीं माना जाता है ।

9 कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज एवं किराए पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती की राशि 2763.59 लाख रुपये (2663.53 लाख रुपये) है। कुछ मामलों में कर की कटौती के प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है ।

10 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण [एमएसएमई]

₹ लाखों में

	विवरण	31-03-2015 को	31-03-2014 को
1	एमएसएमई को अवैतनिक शेष मूल राशि मूल राशि पर देय ब्याज, बकाया शेष	156.49 शून्य	50.70 शून्य
2	वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किए गए भुगतान के साथ–साथ एमएसएमई विकास अधिनियम (एमएसएमईडीए) की धारा 16 के संदर्भ में ब्याज का भुगतान	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में देरी के लिए देय लेकिन ब्याज जोड़ने के बिना (भुगतान किया, लेकिन नियत दिन के बाद) एमएसएमइडीए के तहत निर्दिष्ट ब्याज और कारण	शून्य	शून्य
4	अर्जित ब्याज और प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अवैतनिक शेष	शून्य	शून्य
5	चालू वर्ष में बकाया ब्याज और देय (जब तक ब्याज देय राशि के रूप में वास्तव में छोटे उद्यमों के लिए भुगतान कर रहे हैं) धारा23 के तहत पाबंदी के प्रयोजन के रूप में घटाया व्यय	शून्य	शून्य

11 (ए) अन्य खर्चों ;टिप्पणी संख्या 14.2 में शामिल है

₹ लाखों में

	विवरण	31-03-2015	31-03-2014
1	**यात्रा व्यय**		
	(ए) अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक	**22.41**	72.69
	(बी) निदेशक	**51.36**	61.40
2	**लेखा परीक्षा शुल्क**		
	(ए) लेखा परीक्षा फीस		
	सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए	**3.93**	3.93
	त्रैमासिक खातों की सीमित समीक्षा के लिए	**2.95**	2.95
	कर्मचारी द्वारा किया गया खर्चा	शून्य	शून्य
	(बी) अन्य सेवा,	**1.59**	1.59
		8.47	8.47
3	**जनसंपर्क एवं प्रचार खर्च सहित विज्ञापन**	**144.13**	72.97

(बी) कोई प्रावधान खान और खनिज (विकास और विनियमन) के संदर्भ में किया गया है द्य जिले खनिज नींव और प्रासंगिक नियमों अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है के बाद से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण भरोसा और विश्वास करने के लिए योगदान करने की दिशा में संशोधन अधिनियम 2015 का गठन नहीं किया गया है

12 **निर्धारित दायित्व** – लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण निचे दर्शाए अनुसार है।

₹ लाखों में

विवरण	आनुतोषिक		छुट्टियों का नगद भुगतान	
	31.03.2015	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014
निधिबद्ध उत्तरदायित्व का प्रारम्भिक एवं बंद शेष का समाधान **वर्ष के प्रारंभ में**	**12091.43**	11684.60	**4108.77**	4726.60
चालू सेवा की लागत	**590.69**	605.49	**286.40**	297.10
ब्याज लागत	**967.31**	934.77	**328.70**	378.13
बीमांकिक (प्राप्ति) हानि	**-760.21**	-364.04	**-533.92**	-1093.34

प्रदत्त लाभ	-1044.33	-769.39	-297.04	-199.72
वर्ष के अंत में	11844.90	12091.43	3892.91	4108.77
योजना संपत्ति का सांगत मूल्य का प्रारंभिक , एवं बंद शेष का समाधान वर्ष के प्रारंभ में	11902.07	10694.27	4928.20	4299.66
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	1089.04	967.83	450.93	389.12
बीमांकिक (प्राप्ति) हानि	121.84	17.45	-9.72	12.19
नियोक्ता अंशदान	189.36	991.91	0.00	426.94
प्रदत्त लाभ	-1044.33	-769.39	-297.04	-199.72
वर्ष के अंत में	12257.98	11902.07	5072.36	4928.20
संपत्ति का संगत मूल्य तथा निधि बद्ध उत्तरदायित्व का समाधान वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य	12257.98	11902.07	5072.36	4928.20
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	11844.90	12091.43	3892.91	4108.77
तुलन पत्र में मान्य देयताएं पूर्व अदा (-)	-413.08	189.36	-1179.45	-819.43
लाभ हानि लेखा में मान्य चालू सेवा की लागत	590.69	605.49	286.40	297.10
ब्याज की लागत	967.31	934.77	328.70	378.13
योजना संपत्ति की अपेक्षित आय	-1089.04	-967.83	-450.93	-389.12
बीमांकिक (प्राप्ति) हानि	-882.05	-381.49	-524.20	-1105.54
लाभ-हानि लेखामें मान्य कुल खर्च	-413.08	190.94	-360.03	-819.43
बिमांकित पूर्वानुमान नश्वरता तालिका (जीवन बीमा)	(1994-96) परम	(1994-96) परम	(1994-96) परम	(1994-96) परम
छुट दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजना संपत्ति पर अपेक्षित वापसी (प्रतिवर्ष)	9.15%	9.05%	9.15%	9.05%
वेतन वृद्धी दर (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

13 **संबंधित पक्षों के साथ व्यव्हार** – लेखांकन मानक (18) के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार का प्रकटीकरण निचे दर्शाया गया है ।.

(i) संबंधित पार्टियों और रिश्ते की सूची

1	श्री. जी.पी कुंदरगी	कुंजी प्रबंधन कर्मिया
2	श्री. ए. के. मेहरा	कुंजी प्रबंधन कर्मिया
3	श्री. एम.पी. चौधरी	कुंजी प्रबंधन कर्मिया
4	श्री. ए. के . झा	कुंजी प्रबंधन कर्मिया
5	श्री. टी. के. पटनाईक	कुंजी प्रबंधन कर्मिया
6	सेल और मॉयल फेरो एलोय प्रा. लि.	संयुक्त उपक्रम कंपनी
7	रिन मॉयल फेरो एलोय प्रा. लि.	संयुक्त उपक्रम कंपनी

(ii) संबंधित पार्टियों के साथ वर्ष के दौरान लेन-देन

₹ लाखों में

	विवरण	2014-15	2013-14
1	**प्रबंधकीय मानदेय**		
	(ए) वेतन और भत्ते	148.54	118.55
	(बी) भविष्य निधि में अंशदान	8.88	7.43
	(सी) परिलब्धियों का वास्तविकः अनुमानित मूल्य	4.95	4.44
	(डी) कुल	162.37	130.42
2	**यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति**	73.77	134.09

14 **आस्थगित कर देयता** – लेखांकन मानक 22 अनुसार निचे दर्शाए अनुसार प्रकटीकरण

₹ लाखों में

क्र. संख्या	विवरण	2014-15/ 31st मार्च, 2015	2013-14/ 31st मार्च, 2014
1	**आस्थगित कर दायित्व** मूल्य–हास से संबंधित	1407.81	1779.30
2	**आस्थगित कर परिसंपत्ति** आयकर अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत	307.17	3433.52
3	**शुद्ध आस्थगित कर देयता (-) परिसंपत्ति**	1100.64	-1654.22
4ए	लाभ और हानि खाते लिए आस्थगित टैक्स: वृद्धि /(–) देनदारी में कमी	2872.76	-110.95
4बी	आस्थगित कर देनदारी में कमी के कारण अलग से विचार संक्रमण के प्रावधान	117.90	0.00

15 **संयुक्त उपक्रम** – लेखांकन मानक 27 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है:

(ए) **संयुक्त उद्यम कंपनियों के बारे में ब्यौरे**

संयुक्त उपक्रम कंपनी का नाम	विनियमन का विवरण		मालकियत का प्रारंभिक का अनुपात	पूंजी के लिए अंशदान (लाख में)
	देश	तिथि		
सेल एण्ड मॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि.	भारत	31.07.2008	50%	410.00
रिनमॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि.	भारत	29.07.2009	50%	10.00

(बी) वित्तीय विवरण

₹ लाखों में

विवरण	स्थिति के रूप में	
	31.03.2015 (अलेखा परीक्षित)	31.03.2014 (लेखा परीक्षित)
साझा उपक्रम कंपनीयों के खातों के अनुसार कंपनी के बयाज कि कुल रकम –		
(i) **एसएआइएल एंड मॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि.**		
शेयर पुंजी	10.00	10.00
शेयर अनुप्रयोग धन का लांबीत आंबटन	400.00	400.00
सुरक्षित निधि और अधिशेष	-137.21	-118.18
वर्मान दायित्व	1.38	1.75
स्थिर परिसंपत्तियां (शुध्द) और प्रगति प्र पुंजीगत कार्य	174.15	186.34
दीर्घकालिक कर्ज और पेशगीयां	0.01	0.01
वर्तमान परिसंपत्तियां	100.01	107.22
आय	7.89	7.49
व्यय	26.92	26.71
आनुभाषिक दायित्व और पुंजीगत वचनबद्धताएं	9.00	9.00
(ii) **रीन मॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि.**		
शेयर पुंजी	10.00	10.00
शेयर अनुप्रयोग धन का लांबीत आंबटन	-0.31	-0.31
सुरक्षित निधि और अधिशेष	0.39	0.42
वर्मान दायित्व	89.82	89.82
स्थिर परिसंपत्तियां (शुध्द) और प्रगति प्र पुंजीगत कार्य	81.94	76.16
दीर्घकालिक कर्ज और पेशगीयां	1.86	1.09
वर्तमान परिसंपत्तियां	16.10	22.68
आय	Nil	Nil
व्यय	Nil	Nil
आनुभाषिक दायित्व और पुंजीगत वचनबद्धताएं	411.95	411.95

16 **प्रावधान** – लेखांकन मानक – 29 के अनुसार विवरणों का प्रकटीकरण निम्न नुसार है

₹ लाखों में

प्रावधानों का वितरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2014	प्रावधान	प्रावधान वापस/ लिखा इस्तेमाल	जमा शेष 31.03.2015
अंतिम खानों को अंतिम रूप से बंद करने का खर्च	703.23 (626.42)	82.82 (76.81)	-- --	786.05 (703.23)
संदिग्ध ऋण और पेशगियां	62.42 (33.14)	7.00 (29.28)	(1.51) --	67.91 (62.42)

नकदी बहिर्वाह खानों के बंद होने के समय खान बंद के अंतिम खर्चों के लिए प्रावधान के संबंध में होने की उम्मीद है।

17 वर्ष के दौरान पूंजीगत माल का आयात शून्य (₹ 398.71) लाख।

18 यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय ₹ 5.57 लाख (₹ 28.56) लाख और विविध व्यय ₹ 27.83 (₹ 22.43) लाख ।

19 कर्मचारी अनुलाभ व्यय के खातें में ₹ 2441.09 लाख (₹ 4481.84) लाख की राशि के लिये प्रावधान की आवश्यकता नहीं है ।

20 लाभ और हानि के बयान के लिए अतिरिक्त जानकारी

(ए) उत्पादन, बिक्री, प्रारंभिक और अंतिम स्कंध -

विवरण	31-03-2015 को समाप्त वर्ष		31-03-2014 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा मिलियन टन	₹ लाख में	मात्रा मिलियन टन	₹ लाख मे
ए) उत्पादन/ निर्मिती -				
मैंगनीज अयस्क	1139156	--	1134508	--
ई.एम.डी	950	--	923	--
फेरो मैंगनीज	10045	--	10042	--
फेरो मैंगनीज स्लैग	13358	--	12750	--
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	32808711	--	33206045	--
बी) विक्रय -				
मैंगनीज अयस्क	910443	74954.60	1132919	94615.66
ई. एम. डी.	655	541.59	893	735.54
फेरो मैंगनीज	8587	4954.22	8707	4788.50
फेरो मैंगनीज स्लैग	13913	1068.59	15352	1137.01
एमपीईडीसीएल को बिजली (केडब्लूएच)	23992560	806.15	25387018	851.68
सी) प्रारंभिक स्कंध –				
मैंगनीज अयस्क	48358	2062.60	76815	3072.26
ई.एम.डी	101	90.69	71	51.81
फेरो मैंगनीज	2543	846.51	1208	489.30
फेरो मैंगनीज स्लैग	5802	500.74	8378	548.83
डी) अंतिम स्कंध –				
मैंगनीज अयस्क	248360	10937.69	48358	2062.60
ई.एम.डी	396	346.80	101	90.69
फेरो मैंगनीज	4001	1636.45	2543	846.51
फेरो मैंगनीज स्लैग	5247	316.62	5776	500.74
टिप्पणी :				
उत्पादन के लिए जारी किया गया मैंगनीज अयस्क के समायोजन के पश्चात अंतिम स्कंध –				
ई.एम.डी	3702		3889	
फेरो मैंगनीज	25009		26157	
कैप्टीव खपत के लिए उपयोग कि गई बिजली सहित पवन उर्जा मिलों से बिजली कि निर्मिती (केडब्लूएच)	8816151		7819027	

(बी) अनुज्ञप्तित और संस्थापित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता -

विवरण	31-03-2015 को समाप्त वर्ष		31-03-2014 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एमटी)	क्षमता का उपयोग	मात्रा (एमटी)	क्षमता का उपयोग
ए) अनुज्ञप्ती और संस्थापित				
ई.एम. डी.	1000	--	1000	--
फेरो मैंगनीज	10000	--	10000	--
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	40000000	--	40000000	--
बी) उत्पादन एवं क्षमता उपयोग				
ई.एम. डी.	950	95%	923	92%
फेरो मैंगनीज	10045	100%	10042	100%
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	32808711	82%	33206045	83%

21 पिछले वर्ष के तत्सम आंकड़े कोष्ठक में दिखाया गए है तथा जहां आवश्यक हो, तुलनीय करने के लिए फिर से संगठित किए गए है ।

31 मार्च, 2015 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

₹ लाखों में

विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
टिप्पणी 2.1 शेयर पुंजी					
अधिकृत					
इक्विटी शेयर :	संख्या	250000000		25000000	
	अंकित मूल्य ₹ में		10.00		10.00
	राशि		25000.00		25000.00
निर्गमित अभिदत और पूर्णत: प्रदत्त					
इक्विटी शेयर :	संख्या	168000000		168000000	
	अंकित मूल्य ₹ में		10.00		10.00
	राशि कुल		16800.00		16800.00

एक इक्विटी शेयर के लिए एक मतदान अधिकार के साथ ₹10/– सममूल्य के इक्विटी शेयरों के रूप में कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर है ।

पिछले पांच वर्षों में भंडार का पूंजीकरण द्वारा जारी किए गए बोनस शेयर का विवरण:

वित्तीय वर्ष	शेयरों की संख्या	पूंजीकृत आरक्षित निधि	
		सामान्य आरक्षित निधि	पूंजीकृत आरक्षित निधि
2009-10	140000000	13993.39	6.61

समाधान विवरण	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
प्रारंभ में शेयरों की संख्या	168000000	168000000
वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त शेयर	0	0
अंत में शेयरों की संख्या	168000000	168000000

प्रत्येक शेयर धारक की शेयर होल्डिंग का विवरण जिसके पास ५ प्रतिशत से अधिक शेयर है

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग प्रतिशत
भारत सरकार	120235680	71.57	120235680	71.57

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
टिप्पणी २.२ आरक्षित निधि एवं अधिशेष				
सामान्य सुरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	295378.79		258378.79	
(+) लाभ–हानि लेखा से स्थानांतरित	25000.00		37000.00	
		320378.79		295378.79
सीएसआर (निगमित सामजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	34.00		163.41	
(+) लाभ– हानि लेखा के अनुसार	18.00		34.00	
(-) लाभ हानि लेखा को स्थानांतरित	34.00		163.41	
		18.00		34.00
लाभ हानि में अधिशेष				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	520.45		1221.62	
घटाए: मूल्यह्रास संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार ख्सं 1.2 नोट को देखें (2),	228.96		0.00	
जोडे : लाभ हानि लेखा विवरण से कर पश्चात लाभ	42801.05		50956.22	
जोडे : सीएसआर (निगमित सामजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि से स्थानानंतरण	34.00		163.41	
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	43126.54		52341.25	

विवरण	31-03-2015 को		31-03-2014 को	
घटाए : विनियोजन				
सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) के लिए स्थानांतरण रिजर्व	18.00		34.00	
50% @ अंतरिम लाभांश (40%)	8400.00		6720.00	
प्रस्तावित अंतिम लाभांश @ 35% (35%)	5880.00		5880.00	
अधिभार और उपकर सहित अंतरिम लाभांश पर कर	1679.51		1142.07	
पहले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	0.00		45.42	
अधिभार और उपकर सहित अंतिम लाभांश पर कर	1175.65		999.31	
सामान्य आरक्षित करने के लिए स्थानांतरण	25000.00		37000.00	
	42153.16		51820.80	
शेष आगे ले जाया गया		973.38		520.45
कुल		321370.17		295933.24

विवरण	31-03-2015 को		31-03-2014 को	
टिप्पणी 3.1 दिर्घकालिक प्रावधान				
(ए) पेंशन निधि के लिए प्रावधान		0.00		10578.06
(बी) खान बंद खर्च के लिए अंतरिम प्रावधान		786.05		703.23
कुल		786.05		11281.29
टिप्पणी 3.2 -दिर्घकालिक देयता				
(ए) आपुर्तिकताओ, ठेकेदार और दूसरों की सुरक्षा जमा				
कुल		240.48		463.70
टिप्पणी 4.1 - व्यापार देय कुल		351.39		695.70
टिप्पणी 5.1 - अन्य चालू देयता				
(ए) ग्राहकों से अग्रिम		671.12		1008.66
(बी) आपुर्तिकताओ, ठेकेदार तथा अन्य से सुरक्षा जमा		2416.43		2058.08
(सी) खर्चों के लिए देयताएं		7055.48		7133.68
(डी) बिना दावे के लाभांश वारंट के लंबित नकदीकरण		111.07		391.11
(ई) पूंजीगत खर्चों की देयताए		2781.76		1410.01
(एफ) अन्य देयताएं		2357.99		2938.30
कुल		15393.85		14939.84
टिप्पणी ५.२ - अल्पकालिक प्रावधान				
(ए) इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश		5880.00		5880.00
(बी) लाभांश पर कर के लिए प्रावधान		1175.65		999.31
(सी) नही ली गई छुट्टी के प्रावधान				
तुलनपत्र की तारीख पर देयता	3892.91		4108.77	
(-) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधि	5072.36		4928.20	
*	-1179.45	0.00	-819.43	0.00
(डी) ग्रेज्युटी के लिए प्रावधान*	-413.08	0.00		189.36
(ई) पेंशन निधि के लिए प्रावधान		1697.07		0.00
कुल		8752.72		7068.67
कुल		24497.96		22704.21

* एलआईसी के पास देयता से अधिकनिधि को पूर्वदत्त खर्चों के अंतर्गत रखा गया है (टिप्पणी 10.1 (बी) (vi) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम राशि)

31 मार्च, 2013 की तुलन पात्र पर टिप्पण

टिप्पणी 6.1 स्थिर परिसंपत्तियां

₹ लाखों में

क्र. सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	सकल भूखंड				अवमूल्यन					शुद्ध भूखंड	
		31.03.2014 को	योग	व्यवकलन	31.03.2015 को	31.03.2014 को	वर्ष के लिए	व्यवकलन	प्रतिधारित आय में समायोजित	31.03.2015 को	31.03.2015 को	31.03.2014 को
ए	**स्थति संपति**											
1	भूमि	1073.42	46.56	0.00	**1119.98**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**1119.98**	1073.42
2	इमारत	11594.33	2485.06	9.38	**14070.01**	2885.48	1012.28	6.99	148.99	**4039.76**	**10030.25**	8708.85
3	संयंत्र और मशीनरी	34313.45	8224.50	964.10	**41573.85**	22426.02	3072.07	902.93	164.32	**24759.48**	**16814.37**	11887.43
4	फर्नीचर और जुनार	332.86	88.70	13.03	**408.53**	229.72	19.06	11.93	32.36	**269.21**	**139.32**	103.14
5	कार्यालय उपकरण	491.52	30.90	0.00	**522.42**	281.46	150.93	0.00	0.00	**432.39**	**90.03**	210.06
6	वाहन	854.37	189.15	27.49	**1016.03**	572.12	135.09	26.12	1.20	**682.29**	**333.74**	282.25
		48659.95	11064.87	1014.00	**58710.82**	26394.80	4389.43	947.97	346.87	**30183.13**	**28527.69**	22265.15
बी	**अस्थाय परिसंपति**											
1	पट्टाधृत भूमि	2347.51	13.73	0.00	**2361.24**	1379.15	118.71	0.00	0.00	**1497.86**	**863.38**	968.36
		51007.46	11078.60	1014.00	**61072.06**	27773.95	4508.14	947.97	346.87	**31680.99**	**29391.07**	23233.51
सी	प्रगतिशिल पूंजी										**5255.04**	6882.55
डी	**विकास के तहत अमूर्त आस्तियों**										**35.15**	14.70
	कुल शुद्ध अचल संपत्ति										**34681.26**	30130.76
ई	गत वर्ष	47991.31	3426.72	410.57	**51007.46**	24639.18	3518.23	383.46	0.00	**27773.95**	**23233.51**	20704.80

1 भूमि के विचार के लिए अलग से भुगतान नहीं किया जाता है, जहाँ इमारतों को भी में भूमि शामिल किया जाता है

2 मूल्यह्रास अवधि के लिए मूल्यह्रास पर शामिल -

	2014-15 के लिए	2013-14 के लिए
(ए) विनिर्माण इकाइयों की संपत्ति	73.58	67.49
(बी) बिजली उत्पादन इकाइयों की संपत्ति	174.68	1006.71

3 आज की तारीख में तुलन पत्र को कोई हानि नहीं है

31 मार्च, 2015 के तुलनपत्र पर टिप्पणी

₹ लाखों में

विवरण		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
टिप्पणी 7.1 गैर दृचालू निवेश (अनकोटेड) दूलागत पर खानों में सहकारी स्टोर/ सोसाइटी के पुर्णत: प्रदत शेयर					
(ए) सहकारी स्टोर (अपंजीकृत) के रु. 5/– प्रत्येक के 500 (500) शेयर		0.03		0.03	
(बी) सरकारी सोसायटी के रु. 25/– प्रत्येक के 1612 (1612) शेयर		0.40		0.40	
(सी) सरकारी सोसायटी के रु. 10/– प्रत्येक के 8556 (8556) शेयर		0.86		0.86	
			1.29		1.29
संयुक्त उपक्रम में निवेश (प्रारम्भिक सदस्यता):					
(ए) सेल और मॉयल फेरो एलोय प्रा. लि. में पूर्णत: प्रदत्त रु. 10/ प्रत्येक के 100000 (100000) शेयर		10.00		10.00	
(बी) रिन मॉयल फेरो एलोय प्रा. लि. पूर्णत: प्रदत्त रु. 10/– प्रत्येक के 100000 (100000) शेयर		10.00		10.00	
			20.00		20.00
शेयर आंबटन के लिए अग्रिम					
शेयरों के आंबटन के विरूद्ध रिन मॉयल फेरो एलोय प्रा. लि. को अग्रिम (अधिकृत शेयर पूंजी में लंबित वृद्धी)			400.00		400.00
	कुल		421.29		421.29
टिप्पणी : 8.1 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम					
(ए) **सुरक्षित**					
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम			86.74		65.48
(बी) **असुरक्षित**					
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम			6.87		6.03
(सी) आयकर का भुगतान अग्रिम (नेट)			5651.35		5497.00
	कुल		5744.96		5568.51
टिप्पणी: 8.2 अन्य गैर चालू परिसंपत्ति					
(ए) स्थायी और अन्य जमा पर प्रोदभूत ब्याज लेकिन देय नहीं			0.00		0.00
(बी) कर्मचारियों को ऋण पर प्रोदभूत ब्याज लेकिन देय नहीं			35.18		40.84
(सी) रेलवे , बिजली बोर्ड और अन्य के पास जमा (असुरक्षित)			712.67		663.78
(डी) पूंजीगत एकक की खरीद के लिए पेशगी			1485.64		34.13
	कुल		2233.49		738.75
टिप्पणी: 9.1 वस्तुसूची (प्रबंधन द्वारा) प्रमाणित					
(ए) कच्चे माल का स्कंध लागत पर मूल्यांकन			56.81		101.29
(बी) लागत पर प्रक्रियागत कार्य			5.17		4.11
(सी) तैयार माल			13232.39		3674.17
(डी) पारगमन में स्टोर			3.15		190.96
(ई) स्टोर्स और स्पेयर्स					
(–) अप्रचालित स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए प्रावधान		1126.42		943.63	
		1.49		3.23	
			1124.93		940.40
	कुल		14422.45		4910.93

31 मार्च, 2015 के तुलनपत्र पर टिप्पणी

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
टिप्पणी: 9.2- व्यापार प्राप्तियां (असुरक्षित)				
(i) अच्छे माना गया				
छह महीने से अधिक अवधि के लिए अतिदेय ऋण	18.89		38.54	
अन्य ऋण	10705.13		11279.02	
		10724.02		11317.56
(ii) संदिग्ध माना गया				
छह माह से अधिक अवधि के लिए अतिदेय ऋण		39.36		32.36
		10763.38		11349.92
(-) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		39.36		32.36
कुल		10724.02		11317.56
टिप्पणी: 9.3- व्यापारी प्राप्य (असुरक्षित)				
(i) हाथ में रोकड		13.53		8.13
(ii) बैंकों में जमा				
सावधि जमा में		280990.00		277293.62
सावधि जमा में (बैंक गारंटी ६ एलसी के विरूद्ध मार्जिन मनी के रो में)		296.30		333.40
विशेष लाभांश खाते में वारंटों का नकदीकरण लंबित		111.07		391.11
चालू खाते में		1578.19		1257.15
कुल		282989.09		279283.41
सावधि जमाओं में 12 माह के बाद परिपक्व होने वाला जमा		0.18		0.00
टिप्पणी: 10.1 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम				
(ए) सुरक्षित				
(i) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		59.25		54.35
(बी) असुरक्षित				
(i) कर्मचारियों को अग्रिम		194.52		161.51
(ii) स्टोर्स , स्पेयर्स और मशीनरी की खरीद के लिए अग्रिम	82.06		289.61	
(-) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	11.75		13.26	
		70.31		276.35
(iii) ठेकेदारों और अन्य अग्रिम	72.29		103.08	
(-) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	16.28		16.28	
(ए) अधिकारियों को अग्रिम		22.80		53.59
अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक को अग्रिम		0.00		0.00
(बी) रिनमॉयल फेरो एलोय प्रा.लि एक संयुक्त उघम कंपनी		33.21		33.31
(v) प्राप्य दावे	0.53		0.53	
(-) संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	0.53		0.53	
		0.00		0.00
(vi) पूर्वदत्त खर्च		1794.24		1003.01
कुल		2174.33		1582.02
टिप्पणी 10.2 अन्य चालु परिसंपत्तियां				
(i) सावधि और अन्य जमाओं पर अर्जित ब्याज		10632.84		10913.82
(ii) फुटकर प्राप्य		771.57		661.17
कुल		11404.41		11574.99

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानी विवरण पर टिप्पणी

₹ लाखों में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए		वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए	
टिप्पणी 11.1 प्राचलन राजस्व				
ए) खनन उत्पादो कि बिक्री		**74954.60**		94615.66
बी) विनिर्मित उत्पादो कि बिक्री		**7355.21**		7377.90
सी) बिजली कि बिक्री		**806.15**		851.68
		83115.96		102845.24
(-) विनिर्मित उत्पादो पर उत्पाद शुल्क		**790.81**		716.86
कुल		**82325.15**		102128.38
टिप्पणी 11.2 अन्य आय				
1 अन्य आय				
ए) प्राप्त ब्याज				
(i) सावधि जमाओं पर	**27550.72**		23999.41	
(ii) अन्य	**426.27**		987.06	
		27976.99		24986.47
बी) कर्मचारीयों से वसुली		**10.69**		10.04
सी) स्क्रेप कि बिक्री		**142.61**		0.31
डी) बिक्री– कर सेटऑफ ? रिफंड		**240.30**		238.18
ई) विविध आय		**847.16**		521.70
2 रिटर्न बैंक प्रावधान				
ए) अप्रचलित स्त्रोत कि बिक्री पर प्रत्याषित हानी के लिए प्रावधान		**1.75**		0.70
बी) प्रावधान अब जरूरी नही		**2441.09**		4574.65
कुल		**31660.59**		30332.05
टिप्पणी: 12.1 कच्चे माल की खतप की लागत				
विद्युतीय मैंगनीज डाई-ऑक्साइड संयंत्र				
ए) मैंगनीज अयस्क	**20.77**		19.22	
बी) सल्फुरिक एसिड	**21.88**		24.03	
सी) सोडीयम कार्बोनेट	**2.00**		3.84	
डी) अन्य	**4.57**		4.30	
		49.22		51.39
फेरो मैंगनीज संयंत्र				
ए) मैंगनीज अयस्क	**1260.08**		1294.14	
बी) कोयला	**710.00**		804.29	
सी) कार्बन पेस्ट '	**33.48**		49.59	
डी) अन्य	**354.32**		384.43	
		2357.88		2532.45
कुल		**2407.10**		2583.84

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानी विवरण पर टिप्पणी

₹ लाखों में

विवरण		वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए		वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए	
टिप्पणी 13.1 तैयार माल, प्रक्रीयागत कार्य और व्यापारगत भंडार की वस्तुसुची में परिवर्तन					
ए) खनन उत्पाद					
अंतिम स्कंध		**10937.69**		2062.60	
(-) प्रारंभिक स्कंध		**2062.60**		3072.26	
			8875.09		-1009.66
बी) विनिर्मित उत्पाद समापन स्कंध					
अंतिम स्कंध		**2299.87**		1615.68	
(-) प्रारंभिक स्कंध		**1615.68**		1224.65	
			684.19		391.03
	ए		**9559.28**		-618.63
घटाए :					
विनिर्मित उत्पादो के स्कंध पर उत्पाद शुल्क					
अंतिम स्कंध पर		**255.54**		177.73	
(-) प्रारंभिक स्कंध पर		**177.73**		134.72	
	बी		**77.81**		43.01
शुध्द बढत/ घटाएं (ए– बी)	कुल		**9481.47**		-661.64
टिप्पणी 14.1: कर्मचारी लाभ खर्च					
वेतन, मजदूरी आणि बोनस			**21628.27**		20641.99
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान			**3212.40**		3586.83
कल्याण खर्च			**1436.59**		1380.02
	कुल		**26277.26**		25608.84

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानी विवरण पर टिपण्णी

₹ लाखों में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए		वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए	
टिपण्णी 14.2 - खर्चों की बिक्री, अन्य खर्चों अन्य विनिर्माण और प्रशासनिक खर्च और लिखना बंद				
1 ठेकेदारो के माध्यम से परिवहन, रेलिंग और अन्य कार्य		6951.35		5467.39
स्टोर्स और स्पेसर्स कि खपत		5587.96		5150.49
3 बिजली और इंधन		4076.60		3736.75
4 इमारतों कि मरम्मत और रखरखाव	379.56		389.62	
5 सयंत्र और मशिनरी कि मरम्मत और रखरखाव	1124.16		1042.88	
6 अन्य की मरम्मत और रखरखाव	151.40		144.72	
		1655.12		1577.22
7 किराया		31.31		28.38
8 दर और कर		212.62		206.70
9 बिमा		225.05		202.42
10 लेखा–परीक्षको का पारिश्रमिक		8.47		8.47
11 निदेशकों की बैठक फीस		12.36		10.60
12 विज्ञापन		252.05		177.70
13 निगमित सामाजीक जिम्मेदारी पर शुल्क		1357.57		1036.04
14 विविध खर्च		1593.11		1489.47
15 रॉयल्टी और उप कर	3389.33		3859.54	
16 बिक्री पर नगद छुट	160.81		105.49	
17 ई–ऑक्शन पर सेवा शुल्क	61.22		54.86	
18 नमुनाकरण खर्च	11.61		15.40	
		3622.97		4035.29
19 खानों पर अन्वेशी ड्रिलिंग	444.86		573.37	
20 ब्लास्टिंग/ रॉकः स्टोप डिजाइन अध्ययन इत्यादि पर खर्च	155.28		346.01	
		600.14		919.38
21 त्याग परिसंपत्तियों का लिखना बंद	66.04		22.09	
22 स्टोर्स और स्पेयर्स की कमी को बत्ते खाते में डालना	4.86		2.17	
23 संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	5.49		29.28	
24 अंतिम खान बंद के लिए प्रावधान	82.82		76.81	
25 पूर्व अवधि मदों के	0.00		121.54	
		159.21		251.89
कुल		26345.89		24298.19

नोट नं. 1.1 से 14.2 ये वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है।

मेसर्स जे. एस.ओबेरॉय अँड कं
चार्टर्ड अकाउंटट,
फर्म पंजीकरण क्रमांक 111107W

सीए अमरजीत सिंह संधू
हिस्सेदार
सदस्यता क्रमांक: 108665

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई 2015

नीरज पांडये
कंपनी सचिव

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितिन पी. काजरेकर
उपमहाप्रबंधक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के नगद प्रवाह का विवरण

₹ लाखों में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए		वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए	
अ) प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
कर और लाभांश से पूर्व शुद्ध लाभ		65057.20		76932.68
समयोजन				
ए) मूल्य–हास	-27550.72		-23999.41	
बी) अनुपयोगी संपत्ति बत्ते खाते में डालना	4508.14		3518.23	
सी) अचल संपत्तियों से कटौती	66.03		27.11	
		-22976.55		-20454.07
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ समयोजन		42080.65		56478.61
समयोजन				
ए) वस्तुसूची	-9511.53		237.82	
बी) विभिन्न देनदार	593.52		17492.29	
सी) प्रोदभूत/ प्राप्त ब्याज अन्य चालू संपत्तियां	176.25		191.65	
डी) ऋण और अग्रिम (अल्पकालिक और दीर्घकालिक)	-2269.17		4183.94	
ई) चालु देयताएं और प्रावधान (अल्पकालिक और दीर्घकालिक)	-8924.69		-2477.72	
		-19935.62		19627.98
प्रचालनों से उत्पन्न नगद		22145.03		76106.59
वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान		-19383.39		-26087.41
प्रचालन गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकद		2761.64		50019.18
बी निवेश गतिविधियों से नकद				
ए) सावधि जमाओं पर ब्याज	27550.72		23999.41	
बी) अचल संपत्ति की खरेदी	-9471.53		-7626.81	
सी) निवेश की खरीदी/ बिक्री	0.00		0.00	
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकद		18079.19		16372.60
सी वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
ए) लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		-17135.16		-14786.79
डी नकद और नकद के समतुल्य में शुद्ध बढत (-) घटत		3705.67		51604.99
इ प्रारंभिक नगदी और नगदी के समतुल्य		279283.41		227678.42
समापन नकद और नकद समतुल्य		282989.08		279283.41
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढत (-) घटत		3705.67		51604.99
नकद और नकद के समतुल्य में विशेष लाभांश खतों में जमा वारंटो का लंबित नकदीकरण शामिल है जो कंपनी को अपने उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है		111.07		391.11

मेसर्स जे. एस.ओबेरॉय अँड कं
चार्टर्ड अकाउंटट,
फर्म पंजीकरण क्रमांक 111107W

सीए अमरजीत सिंह संधू
हिस्सेदार
सदस्यता क्रमांक: 108665

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई 2015

नीरज पांडये
कंपनी सचिव

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

नितिन पी. काजरेकर
उपमहाप्रबंधक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

व्यावसायिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी

लेखांकन मानक ए.एस–17के अनुसार कंपनी ने खंड रिपोर्टिंग पर तीन व्यापार खंडो, अर्थात खनन, विनिर्मान और बिजली उत्पादक को मान्य किया है । ₹ लाखों में

क्र सं	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली निर्माण		विलोपन		स्मेकीत	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
1	राजस्व										
	ए) बाहरी बिक्री (सकल)	74954.60	94615.66	7355.21	7377.90	806.15	851.68	0.00	0.00	83115.96	102845.24
	बी) अंतर–खण्ड बिक्री	1128.38	1142.99	0.00	0.00	547.91	463.23	-1676.29	-1606.22	0.00	0.00
	सी) कुल राजस्व	76082.98	95758.65	7355.21	7377.90	1354.06	1314.91	-1676.29	-1606.22	83115.96	102845.24
2	परीणाम										
	ए) खण्ड परिणाम	30706.89	44825.37	1660.53	1606.15	1029.19	169.11	0.00	0.00	33396.61	46600.63
	बी) अन्य आय (राईट बैंक मिलाकर)	31660.58	30332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31660.58	30332.05
	सी) कुल खण्ड परिणाम	62367.47	75157.42	1660.53	1606.15	1029.19	169.11	0.00	0.00	65057.19	76932.68
	डी) कर पूर्व लाभ									65057.19	76932.68
	इ) आयकर हेतु प्रावधान									19383.39	26087.41
	एफ) विलंबित कर देयताए									2872.76	-110.95
	जी) कर पश्चात लाभ									42801.04	50956.22

क्र सं	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली निर्माण		विलोपन		स्मेकीत	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
3	अन्य जानकारी										
	ए) खंड परिसंपत्ति	53788.75	38105.15	2999.24	2553.22	3193.15	3374.11	304814.16	303149.96	364795.30	347182.44
	बी) खंड देयताएं	9271.59	8537.51	329.55	372.79	382.14	376.99	16641.85	25161.90	26625.13	34449.19
	सी) पूंजीगत खर्च	8897.75	7496.38	48.34	75.35	0.00	0.00	525.46	55.07	9471.55	7626.80
	डी) समाप्त वर्ष के लिए मूल्य .हास	4259.89	2444.02	73.58	67.49	174.68	1006.71	0.00	0.00	4508.15	3518.22

लेने वाली इकाइयों की बिजली शुल्क मध्य द्वारा दिए गए ऋण की राशि से ऊपर की कमाई कर रहे हैं प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी बिजली उत्पन्न करने के कारण मैं बिजली के बिल ही सीमित है और एक खंड राजस्व पहुंचने के लिए इतनी के रूप में एक ही विद्युत उत्पादन इकाई का अन्तर खण्ड राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त है

गैर आवंटित पूंजीगत व्यय कंपनी की संपत्ति और कॉर्पोरेट देनदारियों में शामिल

सामजिक सुख- सुविधाओं का विवरण वर्ष 2014-15 के लिए व्यय एवं आय

₹ लाखों में

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष				जोड	
		वसाहत	शिक्षा	चिकित्सा *	कल्याण #	2014-15 के लिए	2013-14 के लिए
1	वेतन एवं मजदूरी	87.74	65.70	88.16	531.85	**773.45**	743.55
2	भविष्य निधि में अंशदान	10.53	7.88	10.58	63.82	**92.81**	62.92
3	भंडार सामग्री खपत	9.15	41.11	9.05	48.73	**108.04**	95.09
4	बिजली	151.17	0.00	12.99	68.62	**232.78**	163.92
5	औषधि एवं इंजेक्शन	0.00	0.00	113.69	0.00	**113.69**	96.71
6	विविध व्यय	2.85	59.22	175.08	215.73	**452.88**	463.58
7	ठेकेदार– इमारत/ अन्य मरम्मत	359.23	1.36	2.22	74.06	**436.87**	393.69
	उप जोड (ए)	620.67	175.27	411.77	1002.81	**2210.52**	2019.46
8	मूल्य–हास	496.68	50.03	17.48	14.14	**578.33**	249.87
9	ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	उप जोड (बी)	496.68	50.03	17.48	14.14	**578.33**	249.87
10	कुल खर्च (ए + बी) उप जोड	1117.35	225.30	429.25	1016.95	**2788.85**	2269.33
	उपजोड सी						
	बिजली के आय	5.63	0.00	0.00	0.00	**5.63**	4.02
	शाला बस से प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	2.63	**2.63**	2.21
	क्रीडा/ चिकित्सा / अन्य हेतु कल्याण आयुक्त से प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	उप जोड (डी)	5.63	0.00	0.00	2.63	**8.26**	6.23
11	**शुद्ध व्यय (सी-डी)**	**1111.72**	**225.30**	**429.25**	**1014.32**	**2780.59**	**2263.10**
	* सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक और ऊपर	# सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधयों सहित					

कंपनी की ओपन कास्ट खान
डोंगरी बुजुर्ग खान

मॉयल खान के अंदर का दृश्य

बालाघाट खान पर वर्टिकल शाफ्ट

नागदा एवं रतेदी पहाडी , देवास (मध्यप्रदेश) में स्थित 4.8 मेगा वाट एवं 15.2 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा फार्म

मॉयल बालाघाट खान स्थित 10,000 टन वार्षिक क्षमता वाला फेरो मैंगनीज सयंत्र

मॉयल डोंगरी बुजुर्ग खान स्थित 1000 टन वार्षिक क्षमता का ई.एम.डी. संयंत्र

मॉयल बालाघाट खान में स्थित 5,00,000 टन वार्षिक क्षमता वाला आई.एम.बी. संयंत्र

मॉयल डोंगरी बुजुर्ग में स्थित 400000 टन वार्षिक क्षमता वाला आई.एम.बी. संयंत्र

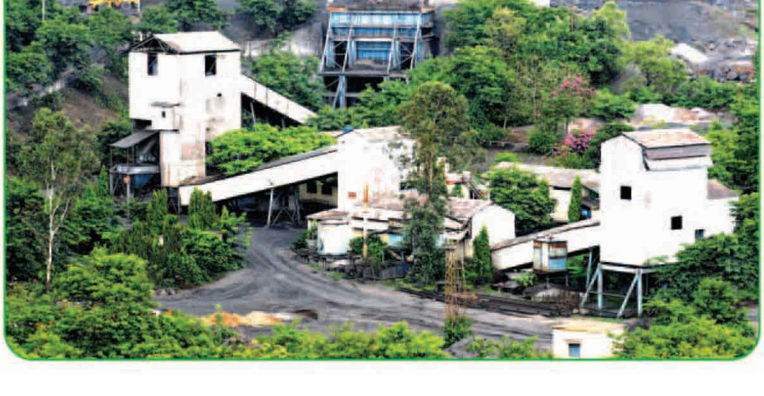

मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CIN : L99999MH1962GOI012398

PAN: AAACM8952A

मॉयल भवन, 1-ए, काटोल रोड, नागपुर - 440 013

ई-मेल : compliance@moil.nic.in

टेलीफैक्स : 07122591661,

वेबसाइट : www.moil.nic.in

Designed & Printed by
Rivera Systems